



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त विधेयक, 2023 के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

(जिन खंडों के प्रतिनिर्देश किया गया है वे विधेयक के खंड हैं)

वित्त विधेयक, 2023
प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध
प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2023 (जिसे इसके पश्चात् "विधेयक" कहा गया है), कर राहत के माध्यम से प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार को जारी रखने, करदाताओं के सामने आ रही कठिनाईयों को दूर करने और विभिन्न उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण करने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) का संशोधन करने के लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित है।

उपरोक्त को प्राप्त करने की दृष्टि से संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्ताव निम्नलिखित शीर्ष के अधीन संगठित किए जा रहे हैं:-

- (क) आयकर की दरें;
- (ख) सामाजिक आर्थिक कल्याण संबंधी उपाय;
- (ग) अनुपालन की सुगमता
- (घ) कर आधार/परिवर्जन रोध को गहन और विस्तृत करना;
- (ङ) अनुपालन और कर प्रशासन में सुधार;
- (च) सुव्यवस्थीकरण उपाय; और
- (छ) अन्य।

प्रत्यक्ष कर
क. आयकर की दरें

I निर्धारण वर्ष 2023-24के लिए कर के लिए उत्तरदायी आय की बाबत आयकर की दरें

निर्धारण वर्ष 2023-24के लिए कर के प्रति दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आयकर की दरों को या तो अधिनियम की विनिर्दिष्ट धाराओं (जैसे देशी कंपनियों के लिए धारा 115खकक या धारा 115खकख व्यक्ति/हिन्दू अविभक्त कुटुंब के लिए 115खकग और सहकारी सोसाइटीयों के लिए 115खकघ) या विधेयक के लिए पहली अनुसूची के भाग I में विनिर्दिष्ट किया गया है। इन विनिर्दिष्ट धाराओं में या पहली अनुसूची में कर की दरों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए धारा 115खकक या 115खकख या 115खकग या 115खकघ में उपबंधित दरें वहीं होंगी जो पहले से ही अधिनियमित है। इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 2023-24के लिए "अग्रिम कर की संगणना, 'वेतन' से स्रोत पर कर कटौती और कतिपय दशाओं में सदैव कर के प्रभार्य के लिए वित्त अधिनियम 2022 के लिए पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित दरें अब पहली अनुसूची का भाग 1 बन जाएंगी। भाग IIIअब निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए लागू होंगे।

(1) धारा 115खकग के अधीन कर की दरें-

अधिनियम की धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार कतिपय शर्तों का समाधान होने पर कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को निर्धारण वर्ष 2021-22 से निर्धारण वर्ष 2023-24 के बाद से निम्नलिखित दरों पर कुल आय के संबंध में कर का भुगतान करने का विकल्प होगा-

कुल आय (₹)	दर
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5 प्रतिशत
5,00,001 से 7,50,000 तक	10 प्रतिशत
7,50,001 से 10,00,000 तक	15 प्रतिशत
10,00,001 से 12,50,000 तक	20 प्रतिशत
12,50,001 से 15,00,000 तक	25 प्रतिशत
15,00,000 से ऊपर	30 प्रतिशत

2. निर्धारण वर्ष 2024-25 के प्रभावी होने के साथ, यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की प्रस्तावित धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन उपबंधित निम्नलिखित दरें वही होंगी जो किसी व्यक्ति, व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम [सहकारी सोसायटी के अलावा या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या न, या धारा 2 के खंड 31 के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की कुल आय के संबंध में संदेय आयकर अवधारित करने में लागू होंगी-

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	3,00,000 ₹ तक	शून्य
2.	3,00,001 ₹. से 6,00,000 ₹. तक	5 प्रतिशत
3.	6,00,001 ₹. से 9,00,000 ₹. तक	10 प्रतिशत
4.	9,00,001 ₹. से 12,00,000 ₹. तक	15 प्रतिशत
5.	12,00,001 ₹. से 15,00,000 ₹. तक	20 प्रतिशत
6.	15,00,000 ₹. से उपर	30 प्रतिशत

3. उपर वर्णित दरें सभी व्यष्टियों या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम (सहकारी सोसायटी के अलावा) या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या न, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को लागू होंगी, जब तक कि प्रस्तावित धारा 115खकग की उपधारा(6) के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग नहीं कर लिया जाता। इस प्रकार अधिनियम की धारा 115खकग में दी गई दरें व्यतिक्रम दरें हैं। और व्यक्ति की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर [धारा 115खकग की उपधारा (6) के अधीन व्यक्ति जिसने विकल्प का प्रयोग किया था से भिन्न] अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा(2) के खंड (i) के अधीन उपबंधित किसी छूट या कटौती को अनुज्ञात किए बिना संगणित की जाएगी। तथापि अधिनियम की धारा 16 के खंड (ik) के अधीन यथा उपबंधित मानक कटौती, अधिनियम की धारा 57 के खंड (iik) के अधीन यथा उपबंधित कुटुंब पेशन की प्रकृति में आय के संबंध में कटौती तथा अधिनियम की प्रस्तावित धारा 80गगच की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित अग्निवीर कॉर्पस निधि में निक्षेपित या संदत्त रकम के संबंध में कटौती, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय की संगणना के प्रयोजन के लिए अनज्ञात की जाएगी।

4. यदि विकल्प का प्रयोग धारा 115खकग की उपधारा (6) में किया जाता है, तो धारा 115खकग की उपधारा(1क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी। विकल्प का प्रयोग,-

(i) किसी व्यक्ति की कारबार या वृत्ति से आय की दशा में ऐसे निर्धारण वर्ष की आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पूर्व, करना अपेक्षित है तथा एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चातवर्ती वर्षों पर भी लागू होगा;या

(ii) किसी व्यक्ति की खंड (1) में निर्दिष्ट आय न होने की दशा में, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा(1) के अधीन प्रस्तुत आय विवरणी के साथ किया जाना अपेक्षित है।

5. कोई व्यक्ति जिसकी आय कारबार या वृत्ति से है, जिसने प्रस्तावित धारा 115खकग की उपधारा(1क) के अधीन उपबंधित रीजीम से बाहर स्थानांतरित होने का उपरोक्त विकल्प का प्रयोग कर लिया है, केवल एक बार प्रस्तावित धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन रीजीम में वापस जाने का विकल्प प्रयोग कर पाएंगे तथापि, कोई व्यक्ति जिसकी कारबार या वृत्ति से आय नहीं है, इस विकल्प का प्रयोग प्रत्येक वर्ष कर पाएगा।

6. अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए “अग्रिम कर” संघ के प्रयोजनों के लिए, संगणित अधिभार द्वारा बढ़ा दिया

जाएगा, प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या न, या आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में,—

(i) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) पचास लाख से अधिक है किंतु ऐसे “अग्रिम कर”की 10 प्रतिशत की दर पर एक करोड़ रूपए से अनधिक है;

(ii) जिसकी कुल आय(जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु ऐसे “अग्रिम कर”की 15% की दर पर दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है।

(iii) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) ऐसे “अग्रिम कर” की 25% की दर पर दो करोड़ से अधिक है।

(iv) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित है) दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु ऐसे “अग्रिम कर” की पंद्रह प्रतिशत की दर पर उपरोक्त खंड(iii) के अधीन नहीं आता है।
6.1 उस दशा में जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध लागू हैं तथा कुल आय में आयकर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से किसी आय को कुल आय में सम्मिलित करती है, आय की इस भाग के संबंध में “अग्रिम-कर” पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6.2 और, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम तथा धारा 115खकग की उपधारा 1क के अधीन जिसकी आय कर प्रभार्य है, “अग्रिम-कर” पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

7. ऐसे मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाएगी।

(2) अधिनियम की धारा 115खकघ तथा धारा 115खकड. के अधीन कर की दर—

भारत में निवासी कोई सहकारी सोसाइटी के पास कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीनधारा 115खकघ के उपबंधों के अनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 से 22 प्रतिशत पर कर का भुगतान करने का विकल्प होगा।

2. अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा 115खकड., 01 अप्रैल, 2023 को या के पश्चात् स्थापित विनिर्माण की नई सहकारी सोसायटी, जो विनिर्माण या उत्पादन 31 मार्च, 2024 को या के पश्चात् प्रारंभ करती है तथा कोई विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियां प्राप्त नहीं करती है, निर्धारण वर्ष 2024-25 से 15 प्रतिशत की रियायती दर पर कर संदाय कर सकेगी। ऐसे कर पर 10 प्रतिशत अधिभार होगा।

(3) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लागू पहली अनुसूची के भाग 1 के अधीन कर की दरें

(क). व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग (1) का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है:-

(i) प्रत्येक व्यक्ति [नीचे (ii) और (iii)में जो वर्णित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 को कोई पैरा लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं:-

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,-

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,-

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ख) सहकारी सोसाइटीयां

सहकारी सोसाइटीयां की दशा में आयकर की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ख में निर्दिष्ट किया गया है। वे (10,000 रुपये तक 10 प्रतिशत 10,000 रुपये और 20,000 रुपये के बीच 20 प्रतिशत और 30,000 रुपये से अधिक पर 30 प्रतिशत अपरिवर्तित रहेंगी।

(ग) फर्म

फर्मों की दशा में आयकर की दर विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग-1 के पैरा ग में निर्दिष्ट की गई है। वे 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आयकर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग -1 के पैरा घ में निर्दिष्ट की गई है। वे 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं।

(ड.) कंपनियां

कंपनियों की दशा में आयकर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ड. में निर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनी की दशा में आयकर की दर कुल आय का 25 प्रतिशत होगी यदि पूर्व वर्ष 2020-21 की कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और अन्य सभी दशाओं में आयकर की दर कुल आय का 30 प्रतिशत होगी।

2. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में आयकर की दर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वही रहेंगी जो विनिर्दिष्ट हैं।

(4) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर पर अधिभार

आयकर की रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी,-

(क) प्रत्येक व्यष्टि, या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम की दशा में जो केवल कंपनियों का सदस्यों के रूप में मिलकर बना है या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन विकल्प का प्रयोग करने वाला ऐसा कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब भी है जिसके पास अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, की दशा में-

- (i) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) 50 लाख रुपए से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के 10 प्रतिशत की दर से; और
- (ii) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) एक करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से;
- (iii) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय को छोड़कर) 2 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के 25 प्रतिशत की दर से;
- (iv) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय को छोड़कर) 5 करोड़ रुपए से अधिक है ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से;

- (v) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) दो करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन खंड (iii) या (iv) के अधीन कवर नहीं किया गया है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से;

1.1 परंतु यह और कि यदि कुल आय में अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के अधीन लाभांश या आय प्रभारित के माध्यम से कोई आय सम्मिलित है, तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

1.2. तथापि, धारा 115क, 115कख, 115कग, 115कगक और 115ड के अधीन आय कराधेय है, तो लाभांश या पूंजीगत अभिलाभ को छोड़कर सभी श्रेणी की आय के लिए अधिभार ऊपर (i) से (v) में उपबंधित की गई दरों पर होगा।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तियों के प्रत्येक संगम सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम की दशा में जो केवल कंपनियों का सदस्यों के रूप में मिलकर बना है, या व्यक्ति के निकायों, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय वाले आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड(vii) में निर्दिष्ट किया गया है, की दशा में,-

- (i) जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के 10 प्रतिशत की दर से; और
- (ii) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से;
- (iii) जिसकी कुल आय [अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड ख में निर्दिष्ट लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर]दो करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के 25 प्रतिशत की दर से;
- (iv) जिसकी कुल आय [अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड ख में निर्दिष्ट लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर] 5करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के 37प्रतिशत की दर से;

- (v) जिसकी कुल आय [अधिनियम की धारा 115कघ के उपखंड (1) में निर्दिष्ट लाभांश या आय के माध्यम से कुल आय सहित] दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन उपखंड (iii) और (iv) में शामिल नहीं है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से:

1.3. परंतुक यह और कि यदि कुल आय में अधिनियम की धारा 115कघ की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन लाभांश या आय प्रभारित करके कोई आय सम्मिलित है, तो आय के उस हिस्से पर गणना की गई आयकर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों के सदस्यों के रूप में मिलकर बना है,—

- (i) ऐसे आयकर के 10 प्रतिशत की दर पर गणना करता है, जहां कुल आय पचास लाख रूपए से अधिक है किंतु एक करोड़ रूपए से अनधिक है;
- (ii) ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर पर गणना करता है, जहां कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसायटी की दशा में (सिवाय धारा 115खकघ के अधीन विकल्प चुनने वाली निवासी सहकारी सोसायटी),—

- (i) ऐसे आयकर के 7 प्रतिशत की दर पर, जहां कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से अनधिक है;
- (ii) ऐसे आयकर के 12 प्रतिशत की दर पर, जहां कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है;

(ड.) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, ऐसे आय-कर के 12 प्रतिशत की दर पर, जहां कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक होती है;

(च) धारा 115खकघ के अधीन चुनने वाली निवासी सहकारी सोसाइटी के मामले में, ऐसे आयकर के 10 प्रतिशत की दर से।

(छ) प्रत्येक देशीय कंपनी के मामले में, ऐसी देशीय कंपनी के सिवाय जिसकी आय अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन करके लिए,—

- (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के 7 प्रतिशत की दर से;

- (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के 12 प्रतिशत की दर से;
- (ज) देशी कंपनी के मामले में जिसकी आय अधिनियम की धारा 115खकक या 115खकख के अधीन कर प्रभार योग्य है,दस प्रतिशत की दर से;
- (झ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी के मामले में,—
- (i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के दो प्रतिशत की दर से;
- (ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के पांच प्रतिशत की दर से;
- (ज) अन्य मामलों में (धारा 92गड.,115थक, 115द या 115नघ सहित), अधिभार 12 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

(5) सीमांत राहत-

जिन मामलों में अधिभार अधिरोपित करना प्रस्तावित है, उनमें सीमांत राहत का भी उपबंध किया गया है।

(6) स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर-

निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए,“स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर” 4% की दर से उद्ग्रहित किया जाना है। आयकर की राशि पर, इसलिए गणना की जाती है, जिसमें सभी मामलों में जहां भी लागू होता है, अधिभार शामिल है। ऐसे उपकर के संबंध में कोई मामूली राहत उपलब्ध नहीं होगी।

II “वेतन” से भिन्न कतिपय आय से वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2023-24 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान धारा 193, 194क, 194ख, 194खख , 194घ, 194ठखक ,194ठखख, 194ठखग और 195 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट की गई हैं। वित्त वर्ष 2022-23के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2022के लिए पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट दरें समान रहेंगीऔर भाग 2 अब प्रवृत्त दर के रूप में 30

प्रतिशत की दर पर ऑनलाइन गेम जीतने पर होने वाली आय के स्रोत पर आय कर कटौती के लिए प्रस्तावित धारा 194खक पर भी लागू होगा।

2. उन धाराओं के लिए जो स्रोत पर कर की कटौती की दर विनिर्दिष्ट करते हैं, इन धाराओं के उपबंधों के अनुसार कर में कटौती जारी रहेगी।

3. अधिभार-

3.1 इस प्रकार काटे गए कर की राशि अधिभार द्वारा बढ़ाई जाएगी,-

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दु अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम की दशा में जो केवल कंपनियों का सदस्यों के रूप में मिलकर बना है या व्यष्टिकों के निकाय के मामले में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, एक अनिवासी होने के नाते, गणना की गई,-

- (i) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) भुगतान किया गया या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (ii) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) भुगतान किया गया या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (iii) ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) भुगतान किया जाता है या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;
- (iv) ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) भुगतान किया जाता है

या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन पांच करोड़ रुपये से अधिक है;

- (v) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां आय या आय का कुल (अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) भुगतान या भुगतान किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन ऊपर (iii) और (iv) के अधीन कवर नहीं किया जाता है।

(II) यह नोट किया जा सकता है कि उस दशा में, जहां व्यष्टि या व्यक्तियों का संगम (सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों का सदस्यों के रूप में मिलकर बना है), या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या न या अधिनियम की धारा 2 के खंड 31 के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की कुल आय में अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा 112क के अधीन प्रभार्य लाभांश या आय के माध्यम से किसी आय को सम्मिलित करता है, उस आय के भाग के संबंध में काटे गए आयकर पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(III) और, उस दशा में जहां व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम (सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम की दशा में जो केवल कंपनियों का सदस्यों के रूप में मिलकर बना है) या व्यष्टियों का निकाय चाहे निगमित हो या न या अधिनियम की धारा 2 के खंड 31 के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की आय अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर के लिए प्रभार्य है, ऐसे व्यक्ति की आय या संकलित आय पर 37 प्रतिशत (जिसमें अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 तथा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सम्मिलित नहीं है) की दर पर अधिभार होगा जो पांच करोड़ रूपए से अधिक हुआ तो लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में अधिभार 25% तक निर्बंधित होगा।

(ख) अनिवासी के रूप में व्यक्तियों के संगम तथा केवल कंपनियों के इनके सदस्यों के रूप में होने की दशा में,—

- (i) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर पर, जहां आय या ऐसी आय के संकलन संदत्त है या संदत्त होने की संभावना है तथा कटौती के अधीन रहते हुए जो पचास लाख रूपए से अधिक है किंतु एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है;

(ii) ऐसे कर के 15 प्रतिशत दर पर, जहां आय या ऐसी आय के सकलन संदत्त है या संदत्त होने की संभावना है तथा कटौती के अधीन रहते हुए जो एक करोड़ रूपए से अधिक है;

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के मामले में, अनिवासी के रूप में,-

(i) ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से गणना की जाती है। ऐसे कर का जहां संदत्त की गई आय या ऐसी आय का कुल संदाय किया जाता है या संदत्त किए जाने की संभावना है और कटौती के अधीन एक करोड़ रूपए से अधिक हो किंतु दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है;

(ii) ऐसे करके 12 प्रतिशत की दर से गणना की जाती है। ऐसे कर का जहां, संदत्त की गई आय या ऐसी आय का कुल संदाय किया जाता है या संदत्त किए जाने की संभावना है और दस करोड़ रुपये से अधिक की कटौती के अधीन है।

(घ) अनिवासी के रूप में प्रत्येक फर्म की दशा में, जहां संदत्त की गई आय या ऐसी आय का कुल संदाय किया जाता है या संदत्त करने की संभावना है ऐसे कर का 12 प्रतिशत की दर पर है तथा एक करोड़ रुपये से अधिक की कटौती के अधीन है;

(ड.) देशी कंपनी के अलावा हर कंपनी के मामले में संगणना,-

(i) ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त की गई या संदाय की जाने वाली ऐसी आय की आय या कुल संदाय किए जाने की संभावना है और एक करोड़ रुपये से अधिक की कटौती के अधीन है लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(ii) ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से, जहां ऐसी आय या संदत्त की जाने वाली आय या संदाय किए जाने की संभावना और दस करोड़ रुपये से अधिक की कटौती के अधीन है।

3.2 अन्य मामलों में कटौती पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा।

(2) स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर-

“स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” चार प्रतिशत की दर से उदग्रहित किया जाता रहेगा। जिसके अंतर्गत देशी कंपनी से भिन्न अन्य कंपनी सहित भारत में अनिवासी व्यक्तियों के मामलों में अधिभार जहां कहीं लागू हो उदग्रहित होगा।

III. “वेतन” से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें, “अग्रिम कर” की संगणना और वित्त वर्ष 2023-24 (निर्धारण वर्ष 2024-25) के दौरान विशेष मामलों में आयकर प्रभार

वित्त वर्ष 2023-24के दौरान “वेतन” से या अधिनियम की धारा 194त के अधीन की कटौती की दरें और निर्धारिती की सभी श्रेणियों के मामले में उक्त वर्ष के दौरान देय “अग्रिम कर”की गणना के लिए विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह दरें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उन आय पर कर लगाने के लिए भी लागू होती हैं, जिन मामलों में त्वरित निर्धारण किया जाना है, उदाहरण के लिए, अनिवासियों को भारत में होने वाले नौवहन मुनाफे का अनंतिम निर्धारण, भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छे लोगों के लिए, जो कर से बचने के लिए संपत्ति स्थानांतरित करने की संभावना रखते हैं, कम अवधि के लिए गठित निकायों का आकलन, आदि। पिछले वर्ष से कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिवाय उनके जिनकी आय अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा(1क)के अधीन कर के लिए प्रभार्य है। उक्त भाग III के साथ-साथ अधिनियम की यथा विनिर्दिष्ट धारा में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाई गई हैं-

क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा(1क) में उपबंधित दरें, वित्तीय वर्ष 2023-24 (निर्धारण वर्ष 2024-25) के लिए कुल आय के संबंध में, किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम (सहकारी सोसाइटी से सिवाय), या व्यष्टियों का निकाय चाहे निगमित हो या न, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के कर संदाय अवधारण करने के लिए व्यतिक्रम के रूप में लागू होंगी यह दरें निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं:-

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	3,00,000 रु तक	शून्य
2.	3,00,001 रु. से 6,00,000 रु. तक	5 प्रतिशत
3.	6,00,001 रु. से 9,00,000 रु. तक	10 प्रतिशत
4.	9,00,001 रु. से 12,00,000 रु. तक	15 प्रतिशत
5.	12,00,001 रु. से 15,00,000 रु. तक	20 प्रतिशत
6.	15,00,000 रु. से उपर	30 प्रतिशत

2. तथापि, यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की प्रस्तावित धारा 115खकग की उपधारा (6) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, भाग 3 की पहली अनुसूची में यथा उपबंधित दरें लागू होंगी।

3. विधेयक की पहली अनुसूची के भाग -III के पैरा क में आयकर की निम्नलिखित दरें उपबंधित की जाती हैं:-

- (i) प्रत्येक व्यक्ति (नीचे उल्लिखित (ii) और (iii) से भिन्न या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टिकों के निकायों के मामले में चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उप-खंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ऐसा मामला नहीं है जिस पर भाग III का कोई अन्य पैरा लागू होता है) आयकर की दरें निम्नानुसार हैं:-

2,50,000 रुपये तक	शून्य
2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

- (ii) प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष से कम है,

-

3,00,000 रुपये तक	शून्य
3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

- (iii) प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है,-

5,00,000 रुपये तक	शून्य
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

4. इस पैराग्राफ के पूर्ववर्ती उपबंधों (धारा 111क, 112 और 112क के अधीन पूंजी लाभ सहित) पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि को निम्नलिखित दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा, -

- क. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क, 112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;
- ख. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;
- ग. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;
- घ. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से;
- ड. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 111क,112 और 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन खंड(ग) और (घ) के अधीन कवर नहीं किया जाता है, ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से लागू होगा;

4.1 परंतु कुल आय में अधिनियम की धारा 111क ,112 और अधिनियम की धारा 112क के अधीन लाभांश या आय प्रभारी के माध्यम से कोई आय भी सम्मिलित है, की दशा में,तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4.2 परंतु यह और कि केवल कंपनियों के सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में आयकर पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4.3 और, जहां कोई व्यक्ति जिसकी आय अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर के लिए प्रभार्य है, आय पर 37 प्रतिशत की दर पर अधिभार या ऐसे व्यक्ति की आय का सकलन (अधिनियम की धारा 111, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम

द्वारा आय के सिवाय) पांच करोड़ से अधिक होना, लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में अधिभार 25 प्रतिशत तक निर्बंधित कर दिया जाएगा। और, ऐसे व्यक्तियों की दशा में अध्याय 12 या अध्याय 12-क के अधीन कर के लिए प्रभाय आय पर आय पर अधिभार 25 प्रतिशत तक निर्बंधित रहेगा।

5. अधिभार के मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाती है।

ख. सहकारी सोसाइटीयां

सहकारी सोसाइटीयां के मामले में, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III के पैरा ख में आयकर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है। ये दरें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों के समान ही रहेगी। ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ से अधिक नहीं है, के मामले में आयकर की राशि पर सात प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। ऐसी सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसकी कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है, अधिभार की दर बारह प्रतिशत से उद्ग्रहित होना जारी रहेगी।

2. अधिभार की दशा में सीमांत राहत उपबंधित है।

3. कतिपय शर्तों का समाधान करने पर, भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी को धारा 115खकघ के उपबंधों के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से कर का संदाय करने का विकल्प है। ऐसे कर पर अधिभार 10 प्रतिशत होगा और अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा 115खकघ के अधीन 1 अप्रैल, 2023 को या के पश्चात् स्थापित एक नई विनिर्माण सहकारी सोसाइटी, जिसने 31 मार्च, 2024 को या से पूर्व विनिर्माण या उत्पादन आरंभ कर दिया है तथा कोई विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौती प्राप्त नहीं करती है, निर्धारण वर्ष 2024-25 से 15 प्रतिशत की रियायती दर पर कर संदाय का विकल्प ले सकेगी। ऐसे कर पर अधिभार 10% होगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय पर

आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ से अधिक है।

घ.स्थानीय प्राधिकरण

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय-कर पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रूपए से अधिक है।

ड.कंपनियां

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर पूर्व वर्ष 2022-23 का कुल आवर्त या सकल प्राप्त चार सौ करोड़ से अधिक नहीं है, कुल आय का पच्चीस प्रतिशत होगी और जहां कंपनियां धारा 115खक रीजीम में रहना जारी रखती हैं। अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी तथापि घरेलू कंपनियों के पास अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115 खकख के अधीन , इनमें अंतर्विष्ट शर्तों को पूर्ण करने पर, कराधान के लिए विकल्प होगा। धारा 115खकख में कर की दर 15 प्रतिशत है और धारा 115खकक में 22 प्रतिशत है। दोनों दशाओं में अधिभार 10 प्रतिशत है।

2. देशी कंपनी से भिन्न अन्य कंपनी की दशा में कर की दरें वहीं है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विनिर्दिष्ट की गई है।

3. किसी देशी कंपनी की दशा में (अधिनियम की धारा 115खकक और धारा 115 खकख के अधीन कराधान के लिए विकल्प लिया है से भिन्न) सात प्रतिशत की दर से अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से कम है। यदि देशी कंपनी (उनके सिवाय जिन्होंने अधिनियम की धारा 115खकक तथा 115 खकख के अधीन कराधान का विकल्प लिया है), से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा।

4. देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से अनाधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है।

5. सभी मामलों में अधिभार में सीमांत राहत उपबंधित की गई है।

6. अन्य मामलों में, (जिनके अंतर्गत धारा 92गड. की उपधारा (2क), 115थक, 115द या 115नघ भी है) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा।

7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, सभी मामलों में "आय कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित (जहां कहीं लागू हो) संगणित कर की रकम पर चार प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकरणों के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

8. नए अंतःस्थापित उपबंध 115खखज के लिए कर की दर संबंधित धाराओं में उपबंधित है तथा अधिभार करदाता की प्रास्थिति के आधार पर उद्ग्रहित होगा जैसा अन्यथा ऐसे करदाताओं को लागू है।

IV. धारा 87क के अधीन छूट

आयकर अधिनियम की धारा 87क के उपबंधों के अधीन कोई निर्धारिती, भारत में एक व्यक्ति निवासी के रूप में, जिसकी आय पांच लाख रूपए से अधिक नहीं है, को संदेय आयकर की रकम पर सौ प्रतिशत की छूट उपबंधित की गई है, जिससे अभिप्राय है कि व्यक्ति जिसकी आय पांच लाख रूपए तक की है, से आय-कर संदाय अपेक्षित नहीं है।

2. निर्धारण वर्ष 2024-25 से, कोई निर्धारिती जो भारत में एक व्यक्ति निवासी है, जिसकी आय प्रस्तावित धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर प्रभार्य है, अब सात लाख से अनाधिक कुल आय पर संदेय आयकर की रकम पर सौ प्रतिशत छूट का हकदार होगा।

[खंड 2,43,50,52,55,56 और पहली अनुसूची]

ख. सामाजिक आर्थिक कल्याण संबंधी उपाय

सुक्ष्म तथा लघु उद्यमों को समय रहते संदाय करने के लिए संवर्धन

अधिनियम की धारा 43ख केवल वास्तविक संदाय पर ही कतिपय कटौतियों को अनुज्ञात करने के लिए उपबंध करती है और, इस धारा का परंतुक प्रौद्भवन आधार पर कटौती अनुज्ञात करता है, यदि आय की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख को रकम संदत हो।

2. सुक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए समय से संदायों का संवर्धन करने के लिए, अधिनियम की धारा 43ख की परिधि के भीतर ऐसे उद्यमों को किए गए संदायों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 43ख में एक नया खंड (ज) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे किसी सुक्ष्म और लघु उद्यम को निर्धारित द्वाारा संदेय किसी राशि को, केवल वास्तविक संदाय पर कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा। तथापि, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अधिनियम की धारा 43(ख) का परंतुक ऐसे संदायों के संबंध में लागू नहीं होगा।

3. सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 15, लिखित करार के अनुसार ऐसे समय के भीतर सुक्ष्म और लघु उद्यम के संदाय को आज्ञापक करती है, जो पैंतालीस दिन से अधिक नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कोई लिखित करार नहीं है, तो धारा यह आज्ञापक करती है कि संदाय पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 43ख का प्रस्तावित संशोधन केवल संदाय के आधार पर कटौती के रूप में संदाय को अनुज्ञात करेगा। यदि संदाय सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 15 के अधीन आज्ञापक समय के भीतर है, तो यह केवल प्रौद्भवन के आधार पर अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

अग्निपथ स्कीम, 2022

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निवीरों के नामांकन के लिए अग्निपथ स्कीम, 2022 (स्कीम) पुनःस्थापित की है। यह 1 नवंबर, 2022 से प्रवृत्त हुई है। अग्निपथ स्कीम, 2022 को कार्यान्वित करने के लिए सरकार के विनिश्चय के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने लोक लेखा शीर्ष के हित साधक खंड में एक अक्षरणीय समर्पित अग्निवीर कोरपस निधि को बनाने का निर्णय लिया है। अग्निवीर कोरपस निधि से अग्निवीर को दिए गए पैकेज को 'सेवा निधि' कहा गया है।

2. स्कीम में, अग्निवीर कोरपस निधि को एक निधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सभी अग्निवीरों के संचित अंशदानों और सरकार के समरूप अभिदायों के साथ उनके संबंधित खाते में इन अभिदायों पर ब्याज को रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) के संरक्षण के अधीन निम्नलिखित विशेषताओं के साथ इस स्कीम को संचालित किया जाएगा और इस निधि का रख-रखाव किया जाएगा—

- (i) प्रत्येक अग्निवीर, व्यष्टिक अग्निवीर कोरपस निधि के उसके मासिक अनुकूलित अग्निवीर पैकेज का 30% अभिदाय करेगा। इसके अतिरिक्त सरकार भी 'अग्निवीर कोरपस निधि' में समरूप रकम का अभिदाय करेगी। सरकार, अभिदाता को उसके खाते में डाले गए अभिदायों पर समय समय पर अनुमोदित ब्याज का भुगतान भी करेगी।
- (ii) चार वर्षों की नियोजन अवधि के पूरा होने पर, अग्निवीरों को एक मुश्त 'सेवा निधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उसके अभिदाय ब्याज सहित होगा और उसके ब्याज सहित अभिदाय की संचित रकम के बराबर से समरूप अभिदाय होगा।

3. अग्निवीर की कुल आय के संगणन से कटौती अनुज्ञात करने के लिए, उसके अग्निवीर कोरपस निधि खाते के उसके द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अभिदाय और अग्निवीर कोरपस निधि से अग्निवीर या उसके नामिती द्वारा प्राप्त किए गए भुगतान पर कर से छूट के लिए, निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है:

- i. अधिनियम की धारा 10 में एक नए खंड (12 ग) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि अग्निपथ स्कीम, 2022 के अधीन नामांकित किसी व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के नामिती द्वारा अग्निपथ कोरपस निधि के अधीन प्राप्त किए गए किसी भुगतान पर आयकर से छूट प्राप्त होगी।
- ii. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की नई धारा 80 गगज को अंतःस्थापित कर यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई निर्धारिती, जो अग्निवीर स्कीम में नामांकित कोई व्यष्टि हो और जिसने 1 नवंबर, 2022 को या उसके पश्चात अग्निवीर कोरपस निधि में अभिदान किया हो, उसकी कुल

आय से अग्निवीर कोरपस निधि में उसके खाते में की उसके द्वारा जमा पूरी रकम और केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी रकम की भी कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

- iii. प्रस्तावित धारा 10 के खंड (12ग) और धारा 80गगज के उद्देश्य के लिए, 'अग्निपथ स्कीम' को केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरःस्थापित कर भारतीय सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए एक स्कीम के रूप में और 'अग्निवीर कोरपस फंड' को केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम के पैरा 2(ग) में परिभाषित निधि के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव है।
- iv. अधिनियम की धारा 17 के खंड (1) में नए उपखंड को अंतःस्थापित कर यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 80गगज में निर्दिष्ट अग्निपथ स्कीम में नामांकित किसी व्यष्टि के अग्निवीर कोरपस निधि खाते में पूर्व वर्ष में सरकार द्वारा किए गए अभिदाय को उस व्यष्टि के वेतन के रूप में समझा जाएगा। इसकी तत्स्थानी कटौती का उपबंध उपर्युक्त (2) में वर्णित अनुसार किया गया है।
- v. इसके अतिरिक्त यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 115खकग की नई कर रीजीम में अग्निपथ स्कीम में नामांकित और अग्निवीर कोरपस निधि में अभिदाय करने वाला कोई व्यष्टि अपनी सेवा निधि के सरकार के अभिदाय की कटौती पायेगा। [धारा 80गगज की उप-धारा (2)]

4. ये संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 5,10, 39, 50]

सहकारी चीनी को पुरानी मांग से राहत

भारत के कतिपय राज्यों में सहकारी सेक्टर में प्रचलित चीनी कारखाने गन्ना उत्पादकों को एक अंतिम रकम का संदाय करते हैं, जिसे प्रायः अंतिम गन्ना मूल्य (एफसीपी) कहा जाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ना नियंत्रण आदेश, 1996 के अधीन नियत किए गए कानूनी न्यूनतम मूल्य के ऊपर होता है। एफसीपी विशिष्ट कारखाने के कार्य परिणामों के आधार पर विनिश्चित किया जाता है जिसमें कारखाने द्वारा उपगत सभी राजस्वों और व्यय को विचार में लिया जाता है।

2. सहकारी चीनी कारखानों द्वारा गन्ने का क्रय करने के लिए कानूनी न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) से ऊपर अंतिम गन्ना मूल्य (एफसीपी) के संदाय के परिणामस्वरूप कर संबंधी मुकदमेबाजी हुई। सहकारी चीनी कारखाने इस आधिक्य संदाय का कारबार व्यय के रूप में दावा कर रहे थे, जबकि निर्धारण में इसे इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि एसएमपी के ऊपर गन्ने का क्रय करने के लिए संदत्त अधिक मूल्य अनुप्रयोजन/लाभ के वितरण की प्रकृति का है और इसलिए कटौती के रूप में अनुज्ञेय नहीं है।

3. इस विषय में निश्चितता उपबंधित करने के लिए और चीनी सेक्टर में सहकारी संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए एक नया

खंड (xvii) अंतःस्थापित किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि चीनी के निर्माण में लगी सहकारी सोसाइटीयों द्वारा उस मूल्य पर, जो सरकार द्वारा या सरकार के अनुमोदन से नियत मूल्य के बराबर या उससे कम है, गन्ने का क्रय करने के लिए संदत रकम गन्ना सहकारी कारखानों की कारबार से आय की संगणना करने के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। उक्त संशोधन वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा तारीख 1 अप्रैल, 2016 से प्रवर्तन में आया था और निर्धारण वर्ष 2016-17 से लागू था। 2016-17 से पूर्व के निर्धारण वर्षों के संबंध में अभी भी लंबित मांगे और मुकदमेबाजी अस्तित्व में हैं।

4. अतः इस विषय का तर्कसंगत रूप से समापन करने के लिए और उपरोल्लिखित राहत के फायदे का सभी लागू वर्षों तक विस्तार करने के लिए, एक नई उपधारा (19) अंतःस्थापित करके अधिनियम की धारा 155 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। इससे यह उपबंध होगा कि किसी ऐसे सहकारी चीनी कारखाने के मामले में, जहां निर्धारिती द्वारा गन्ने का क्रय करने के लिए उपगत किसी व्यय के संबंध में किसी कटौती के लिए दावा किया गया है और ऐसी कटौती को पूर्णतः या भागतः नामंजूर किया गया है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती द्वारा इस बाबत किए गए आवेदन के आधार पर ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए ऐसे निर्धारिती की कुल आय की पुनःसंगणना करेगा। निर्धारण अधिकारी ऐसी कटौती को उस सीमा तक अनुज्ञात करेगा जिस सीमा तक ऐसा व्यय उस मूल्य पर उपगत किया गया है जो उस पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सरकार द्वारा नियत या अनुमोदित मूल्य के बराबर है या उससे कम है। साथ ही, धारा 154 का उपबंध, जहां तक हो सके, इसको लागू होगा, और धारा 154 की उपधारा (7) विनिर्दिष्ट चार वर्षों की अवधि की गणना 1 अप्रैल, 2022 से आरंभ पूर्ववर्ती वर्ष के अंत से की जाएगी।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

[खंड 74]

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के बिना नकद प्रत्याहरण के लिए सहकारियों की आरंभिक सीमा में वृद्धि

अधिनियम की धारा 194द यह उपबंध करती है कि बैंककारी या किसी डाकघर के कारबार करने में अंतर्वलित कोई बैंककारी कंपनी या कोई सहकारी सोसाइटी, जो किसी व्यक्ति (जिसे प्राप्तिकर्ता कहा गया है) को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, नकद में ऐसी राशि के संदाय के समय, आयकर के रूप में, ऐसी राशि के दो प्रतिशत के समतुल्य किसी रकम

की कटौती करेगी। कर कटौती की अपेक्षा केवल तब लागू होती है जब किसी वर्ष के दौरान नकद में रकम या रकम का संकलन का संदाय एक करोड़ रुपए के अधिक होता है।

2. तथापि ऐसे प्राप्तिकर्ता के मामले में जो गैर कर-फाइलकर्ता है, वित्त वर्ष के दौरान 20 लाख रुपए से अधिक परंतु 1 करोड़ रु. के संकलन से अनधिक किसी राशि पर 2% की दर से और वित्त वर्ष के दौरान संकलित एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर 5% की दर से कटौती की जाएगी।

3. गैर-फाइलकर्ता से, कोई ऐसा प्राप्तिकर्ता जिसने ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें संदाय प्राप्त किया गया है के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए सुसंगत सभी तीन निर्धारण वर्षों के लिए कोई आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है, अभिप्रेत है।

4. एक नए परंतुक को अंतःस्थापित करके अधिनियम की धारा 194द का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्राप्तिकर्ता कोई सहकारी सोसाइटी है, इस धारा के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा कि "1 करोड़ रुपए"शब्दों से स्थान पर "3 करोड़ रुपए"शब्द रखे गए थे।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

[खंड 85]

प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के सापेक्ष नकद उधार/संव्यवहार के लिए शास्ति

अधिनियम की धारा 269धध यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई उधार या निक्षेप खाते में देय चैक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण के सिवाय नहीं लेगा, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम बीस हजार रुपए या अधिक है। इसी प्रकार, धारा 269न यह उपबंध करती है कि किसी उधार या निक्षेप का खाते में देय चैक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण के सिवाय प्रतिसंदाय नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम बीस हजार रुपए या अधिक है। तथापि उपबंधों में कतिपय अपवाद विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

2. अधिनियम की धारा 269धध और 269न के संबंध में बैंककारी कंपनियों के साथ नकद संव्यवहार पर सीमा के लिए प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों ("पीएसीएस") और प्राथमिक कृषि सहाकारिता और ग्रामीण विकास बैंक ("पीसीएआरडी") को एक समान स्तर पर लाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से उधार देने और निक्षेप प्रतिग्रहित करने में

सम्मिलित है। वर्तमान उपबंध यह कथन करता है कि प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों ("पीएसीएस") और प्राथमिक कृषि सहाकारिता और ग्रामीण विकास बैंक ("पीसीएआरडी") में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति धारा 269धध के अनुसार 20,000 हजार रुपए से अधिक नकद में उधार या निक्षेप के प्रतिग्रहण पर साथ ही धारा 269न के अधीन 20,000 रुपए से अधिक नकद में उधार और निक्षेप के प्रतिसंदाय पर शास्ति के लिए दायी है। चूंकि प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों ("पीएसीएस") और प्राथमिक कृषि सहाकारिता और ग्रामीण विकास बैंक ("पीसीएआरडी") जमीनी स्तर पर प्रत्यय संबंधी प्रसुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उपरोक्त उपबंधों के अधीन उन्हें शिथिलीकरण दिया जाना चाहिए।

3. कम आय वाले वर्ग को राहत देने और ऐसे क्षेत्रों में कारबार के संचालन को और सुगम बनाने हेतु किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों ("पीएसीएस") और किसी प्राथमिक कृषि सहाकारिता और किसी ग्रामीण विकास बैंक ("पीसीएआरडी") के लिए 20,000 रुपए की सीमा को दो लाख रुपए तक बढ़ाकर अधिनियम की धारा 269धध में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह वहां लागू होगा जहां ऐसे किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों ("पीएसीएस") और किसी प्राथमिक कृषि सहाकारिता और ग्रामीण विकास बैंक ("पीसीएआरडी") द्वारा इसके सदस्य से निक्षेप को प्रतिग्रहित किया गया है या ऐसा उधार, किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों ("पीएसीएस") और किसी प्राथमिक कृषि सहाकारिता और ग्रामीण विकास बैंक ("पीसीएआरडी") से इसके सदस्य द्वारा लिया गया है। शास्ति केवल तभी उद्ग्राह्य होगी यदि उधार या निक्षेप की रकम दो लाख रुपए या उससे अधिक है।

4. उपरोक्त के क्रम में, अधिनियम की धारा 269न के उपबंधों में संशोधन किए जाने और प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों और किसी प्राथमिक कृषि सहाकारिता और ग्रामीण विकास बैंक के मामले में 20 हजार रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव किया गया है कि जहां ऐसा निक्षेप किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों ("पीएसीएस") और किसी प्राथमिक कृषि सहाकारिता और ग्रामीण विकास बैंक ("पीसीएआरडी") द्वारा इसके सदस्य को संदत्त किया गया है या ऐसा उधार जिसे किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों ("पीएसीएस") और किसी प्राथमिक कृषि सहाकारिता और ग्रामीण विकास बैंक ("पीसीएआरडी") से इसके सदस्य द्वारा प्रतिसंदाय किया गया है, के मामले में, संदाय, खाते में देय चैक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण के सिवाय, प्रतिसंदाय

नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम 2 लाख रुपए या अधिक है। यदि ऐसे उधार या निक्षेप की रकम 2 लाख रुपये से अधिक है, शास्ति अधिरोपण योग्य होगी।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 105 और 106]

स्टार्ट-अप्स में हानियों को अग्रणीत करने और मुजरा करने के लिए राहत

अधिनियम की धारा 79 उन कंपनियों से भिन्न कंपनियों, जिसमें पब्लिक सारवान रूप से हितबद्ध है, के मामलों में हानियों को अग्रणीत करने और मुजरा करने को निर्बंधित करती है। यह अग्रणीत हानियों के मुजरा करने को प्रतिषेध करती है, यदि शेयरधारिता में परिवर्तन है। अग्रणीत हानि का मुजरा किया जा सकता है, केवल यदि उस पूर्ववर्ती वर्ष जिससे हानि संबंधित है की अंतिम तारीख को कंपनी के पास कम से कम 51% शेयरधारिता (पूर्ववर्ती वर्ष की अंतिम तारीख के अनुसार) वही रहती है।

2. तथापि, अधिनियम की धारा 80-झकग में यथा निर्दिष्ट किसी पात्र स्टार्ट-अप के मामले में कुछ शिथिलीकरण का उपबंध किया गया है। पात्र स्टार्ट-अप के संबंध में कम से कम 51% की शेयरधारिता के जारी रहने की शर्त लागू नहीं होती है, यदि उस वर्ष, जिसमें हानि उद्भूत हुई थी, के अंतिम दिवस पर कंपनी के सभी शेयरधारक, उस पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें हानि का मुजरा किया गया है के अंतिम दिन को उन शेयरों को धारण किया जाना जारी रखते हैं। एक अतिरिक्त शर्त यह है कि इस शिथिलीकरण के अधीन हानि का मुजरा किया जाना अनुज्ञात है, केवल यदि यह उस वर्ष, जिसमें कंपनी निगमित की गई है, से आरंभिक सात वर्ष की अवधि के दौरान उपगत की गई है।

3. इस 7 वर्ष की अवधि को अधिनियम की धारा 80-झकग की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट 10 वर्षों की अवधि के साथ सुमेलित करने के लिए पात्र स्टार्ट-अप्स की हानि के लिए समय की अवधि के शिथिलीकरण का विचार किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे कि अवधि को सात वर्ष से बढ़ाकर निगमन की तारीख से दस वर्ष किया जा सके।

4. अतः अधिनियम की धारा 79 की उपधारा 1 के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि पात्र स्टार्ट-अप्स की अग्रणीत हानि पर इस परंतुक के अधीन मुजरा किया जाने के लिए विचार किया जा सके, यदि ऐसी हानि उस वर्ष, जिसमें ऐसी कंपनी निगमित की गई थी, से दस वर्षों की आरंभिक अवधि के दौरान उपगत की गई है।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 35]

कटौती के लिए पात्र स्टार्ट-अप के लिए निगमन की तारीख का बढ़ाया जाना

अधिनियम की धारा 80झकग के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, निर्धारिती के विकल्प पर, निगमन के वर्ष से आरंभ, दस वर्षों में से तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा किसी पात्र कारबार से व्युत्पन्न हुए लाभ और हानि के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती के लिए उपबंध, इस शर्त के अधीन करती है कि:-

- (i) उसके कारबार का कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपये से अधिक न हो,
- (ii) वह अंतर-मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से पात्र कारबार का प्रमाण-पत्र रखता हो, और
- (iii) उसका निगमन 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात्, परंतु 1 अप्रैल, 2023से पहले हुआ हो।

2. भारत में स्टार्ट-अप के विकास का अतिरिक्त संप्रवर्तन करने के लिए और उनके लिए प्रतिस्पर्धा प्लेटफार्म का उपबंध करने के लिए, अधिनियम की धारा 80झकग के उपबंधों के संशोधन का प्रस्ताव है ताकि पात्र स्टार्ट-अप के निगमन की अवधि को 1 अप्रैल, 2024 तक बढ़ाया जाए।

3. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 41]

स्वर्ण का इलेक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति में संपरिवर्त और विपर्ययेन

स्वर्ण विनिमय के बारे में संघीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसरण में सेबी को प्रस्तावित स्वर्ण विनिमय के संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का विनियामक बनाया गया है। तदनुसार, सेबी इलेक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति (ईजीआर) के साधन द्वारा विद्यमान स्टॉक एक्सचेंज पर स्वर्ण में तत्काल व्यापार के लिए एक विस्तृत विनियामक ढांचा लेकर आया है।

2. इलैक्ट्रानिक स्वर्ण की संकल्पना को अग्रसर करने के लिए, किसी सेबी रजिस्ट्रीकृत वॉल्ट प्रबंधक द्वारा स्वर्ण के भौतिक रूप को इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्तियों में संपरिवर्तन या विपर्ययेन को पूंजी अभिलाभ के प्रयोजनार्थ 'अंतरण'के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित करने का प्रस्ताव है।

3. यह भी प्रस्तावित है कि पूंजी अभिलाभ की संगणना करने के प्रयोजनार्थ ईजीआर के अर्जन की कीमत को उस व्यक्ति के हाथों में स्वर्ण की कीमत समझा जाएगा जिसके नाम में इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति जारी की गई है और पूंजी अभिलाभ के प्रयोजनार्थ धारण अवधि को उस अवधि में सम्मिलित किया जा सकेगा जिसके लिए निर्धारिती द्वारा स्वर्ण को इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति में इसके संपरिवर्तन से पूर्व धारित किया गया था। उसी प्रकार, स्वर्ण का इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति में संपरिवर्तन के लिए उपबंधों का भी प्रस्ताव किया गया है।

4. उपरोक्त परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है :-

i. अधिनियम की धारा 47 में एक नया खंड अंतः स्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी वॉल्ट प्रबंधक द्वारा पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, जो भौतिक रूप में स्वर्ण का इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति में या ऐसी इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति का भौतिक रूप में स्वर्ण में अंतरण है, को 'अंतरण'के रूप में नहीं समझा जाएगा।

ii. इस नए अंतःस्थापित खंड के प्रयोजनार्थ, 'वॉल्ट प्रबंधक' को परिभाषित करने के लिए इससे ऐसा वॉल्ट प्रबंधक अभिप्रेत है जैसा कि भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 के विनियम 2 के खंड (1) के अधीन परिभाषित किया गया है।

iii. अधिनियम की धारा 49 में एक नई उपधारा (10) अंतःस्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके जहां किसी वॉल्ट प्रबंधक द्वारा जानी इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति धारा 47 में अंतःस्थापित किए गए नये खंड (viiघ) में यथा निर्दिष्ट, किसी अंतरण के प्रतिफल के रूप में व्यक्ति की संपत्ति बन जाती है, उक्त अंतरण के प्रयोजनार्थ आस्ति के अर्जन की कीमत उस व्यक्ति के हाथों में स्वर्ण की कीमत समझा जाएगा जिसके नाम में इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति जारी की गई है। उसी प्रकार, जहां स्वर्ण को किसी इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति के विरुद्ध जारी किया गया है, जो धारा 47 में अंतःस्थापित किए गए नये खंड (viiघ) में यथा निर्दिष्ट, किसी अंतरण के प्रतिफल के रूप में व्यक्ति की संपत्ति बन जाती है, उक्त अंतरण के प्रयोजनार्थ आस्ति (जो स्वर्ण है) के अर्जन की कीमत को उस व्यक्ति के हाथों में इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति की कीमत समझा जाएगा।

iv. अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (42क) के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (जड़) अंतःस्थापित करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूंजी अभिलाभ के प्रयोजनार्थ धारण अवधि को उस अवधि में सम्मिलित किया जाएगा जिसके लिए निर्धारिती द्वारा स्वर्ण को इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति में संपरिवर्तन से पूर्व धारित किया गया था।

V. यह उपबंध करने के लिए कि पूंजी अभिलाभ के प्रयोजनार्थ धारण अवधि में वह अवधि भी सम्मिलित हो सकेगी जिसके लिए इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति में संपरिवर्तन से पूर्व निर्धारिती द्वारा स्वर्ण को धारण किया गया था और उसी प्रकार पूंजी अभिलाभ के प्रयोजनार्थ धारण अवधि में वह अवधि भी सम्मिलित हो सकेगी जिसके लिए इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति को स्वर्ण में संपरिवर्तन से पूर्व निर्धारिती द्वारा इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति को धारण किया गया था, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (42क) के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (जड़) का अंतःस्थापन

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3,21,23]

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आई एफ एस सी) के लिए कर प्रोत्साहन:-

पिछले कुछ वर्षों से अधिनियम के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित यूनिटों को अनेक रियायतें उपबंधित की गई हैं, जिससे इसे वित्तीय सेवा सेक्टर का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके।

2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से प्रचालन और प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित उपबंध को करने का प्रस्ताव किया जाता है :

(i) अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे 31 मार्च, 2023 को चालू परिसीमा से 31 मार्च, 2025 को पुनःस्थापन की दशा में पारिणामिक निधि में मूल निधि की आस्तियों या उसके पूर्णतः स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन यान के अंतरण के लिए तारीख को बढ़ाया जा सके।

(ii) अपतट व्युत्पन्न लिखतों के अंतरण पर अनिवासियों की आय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यूनिट में प्रविष्ट करने के साथ अधिनियम की धारा 10(4ड.) के अधीन छूट प्राप्त है। अपतट व्युत्पन्न लिखत संविदा के अधीन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग यूनिट भारतीय

प्रतिभूतियों में विनिधान अनुज्ञेय कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट द्वारा ऐसे विनिधानों पर उपार्जित आय अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन पूंजी अभिलाभ, ब्याज, लाभांश के रूप में कराधेय होती है। कर संदाय के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट ऐसी आय को अपतट व्युत्पन्न लिखतों को दे देते हैं। वर्तमान में, छूट केवल अपतट व्युत्पन्न लिखतों के अंतरण पर ही उपबंधित है तथा न कि अनिवासी अपतट व्युत्पन्न लिखत धारकों को आय वितरण पर, अतः यह वितरित आय भारत में दो बार कराधेय है जैसे कि पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट द्वारा प्राप्त की गई है तथा दूसरा, जब वही आय अनिवासी अपतट व्युत्पन्न धारकों को वितरित की गई है। इस प्रकार, दोहरे कराधेय को हटाने के लिए, अधिनियम की धारा 10 के खंड (45) का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी अपतट बैंकिंग यूनिट में प्रविष्ट के साथ अपतट व्युत्पन्न लिखतों पर वितरित आय को छूट उपबंधित करना भी है, जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है जो विहित की जाएं। यह भी उपबंधित किया गया है कि ऐसी छूट प्राप्त आय में केवल वह रकम सम्मिलित होगी जो धारा 115कघ के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग यूनिट के हाथों में कर प्रभाय है।

(iii) आई.एफ.एस.सी.ए. (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022, 19 मई 2022 को प्रवृत्त हो चुका है। अधिनियम के उपबंधों में उक्त विनियम का निदेश लाने के लिए, अधिनियम में आई.एफ.एस.सी.ए. (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के निदेश को सम्मिलित करने के लिए “विनिर्दिष्ट निधि”, “ पारिणामिक निधि ” तथा “विनिधान निधि” की परिभाषा का संशोधन प्रस्तावित है।

3. पैरा 2 (i) तथा 2 (iii) में निर्दिष्ट उपरोक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे। पैरा 2(ii) का संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा।

[खंड 5, 21, 59]

विकास प्राधिकरणों आदि के लिए छूट को सुकर बनाना

अधिनियम की धारा 10 का खंड (46) किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग या निम्नलिखित के किसी ऐसे वर्ग के लिए प्रोद्भूत किसी विनिर्दिष्ट आय के लिए छूट का उपबंध करता है जो-

(क) आम जनता के फायदे के लिए किसी क्रिया-कलाप का विनिगमन या प्रशासन करने के उद्देश्यों के साथ किसी केंद्रीय, राज्यीय या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किया गया है या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया है;

(ख) किसी वाणिज्यिक क्रिया-कलाप में अंतर्वलित नहीं है; और

(ग) इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2. धारा 10 के खंड 46 के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग द्वारा वाणिज्यिक क्रिया-कलापों के करने पर निर्बंधन एक मुकदमे बाजी का विषय रहा है।

3. हाल ही में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहायक आयकर आयुक्त(छूट) बनाम अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के मामले में 2017 की सिविल अपील संख्या 21762 में अपने तारीख 19.10.2022 के आदेश के द्वारा यह विनिश्चय किया कि आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46) के उपखंड (ख) में “वाणिज्यिक” का वही अर्थ है जो आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड 15 में “व्यापार, वाणिज्य, कारबार” है। इसीलिए ऐसे अधिसूचित निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग (जिस भी नाम से जाने जाए) द्वारा प्रभार्य राशि के संबंध में यह अवधारण करने के लिए कि क्या यह “वाणिज्यिक क्रियाकलाप”की रिष्टि के भीतर आता है, वही प्रतिफल-अर्थात्: या तो यह नाममात्र की मूल्यवृद्धि या महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर वृद्धि के साथ की कीमत है, अपेक्षित होगा।

4. तथापि, माननीय न्यायालय ने सांविधानिक प्राधिकारियों, बोर्डों इत्यादि की बाबत एक ठीक विभेद भी किया गया है। जो “पब्लिक कृत्यों/सेवाओं” को आवश्यक रूप से प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों या केंद्रीय सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय ने धारण किया है कि लोक सेवाओं के लिए प्रभार्य किसी भी रकम या धन जो भी हो, को प्रथम दृष्टया कारबार या वाणिज्यिक प्राप्तियों की रिष्टि से अपवर्जित किया जाए, क्योंकि इनके उद्देश्य लोक प्रयोजनों/कृत्यों की उन्नति के लिए आवश्यक हैं।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (46) की परिधि से किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (जो कंपनी नहीं है) की आय का अपवर्जन और उनकी आय के लिए अधिनियम की धारा 10 में नए खंड (46क) का अंतःस्थापन किया जा सके।

6. नया खंड (46क) किसी ऐसे निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (जो कंपनी नहीं है) से उद्भूत किसी आय की छूट का प्रस्ताव करता है जिसे किसी केंद्रीय या राज्यीय अधिनियम द्वारा एक या ज्यादा निम्नलिखित परियोजनाओं के साथ स्थापित या गठित किया गया है, अर्थात्:-

(i) आवासीय वास-सुविधा की आवश्यकता का निपटान और समाधान;

(ii) शहरों नगरों और ग्रामों की कार्य-योजना, विकास या सुधार;

(iii) आम जनता के फायदे के लिए किसी क्रिया-कलाप का विनियमन या विनियमन और विकास; या

(iv) आम जनता के फायदे के लिए, इस उद्देश्य जिसके लिए इसका सृजन किया गया है, से प्रोद्भूत किसी मामले का विनियमन।

7. इस खंड के प्रयोजनों के लिए इसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाना भी अपेक्षित है।

8. अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के 19वें परंतुक के स्पष्टीकरण में भी परिणामी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) में भी परिणामी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

9. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5 और 7]

कतिपय नीतिगत अपविनिधान को सुकर बनाना

अधिनियम की धारा 72क समामेलन या निर्विलयन में संचित हानि और शेष अवक्षयण मोक को अग्रणीत करने या मुजरा करने पर उपबंधों से संबंधित है। धारा 72क की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि विनिर्दिष्ट मामलों में, समामेलित कंपनी की संचित हानि या शेष अवक्षयण

उप पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें समामेलन प्रभावित हुआ था समामेलित कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण के रूप में माना जाएगा। नीतिगत अपविनिधान के मामले में हानि और शेष अवक्षयण को अग्रणीत करने और मुजरा करने को सुकर बनाने के लिए उक्त धारा में शर्तें भी अधिकथित की गई हैं। नीतिगत अपविनिधान को किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में केंद्रीय सरकार या किसी राज्यीय सरकार द्वारा शेयरधारिता के विक्रय के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका परिणाम क्रेता को नियंत्रण के अंतरण के साथ 51% से नीचे इसकी शेयरधारिता में कमी है।

2. अधिनियम की धारा 72कक कतिपय मामलों में समामेलन की किसी स्कीम में संचित हानि और शेष अवक्षयण मोक का अग्रणीत करने से संबंधित है, जिसमें अन्य बातों के साथ एक या अधिक बैंककारी कंपनी का किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ समामेलन भी सम्मिलित है।

3. और नीतिगत अपविनिधान को सुकर बनाने के लिए अधिनियम की धारा 72क में 'नीतिगत अपविनिधान' की परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि नीतिगत अपविनिधान से, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी कंपनी में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा शेयरधारिता का विक्रय, अभिप्राय है जिसका परिणाम-

(i) इक्यावन प्रतिशत से नीचे इसकी शेयरधारिता में कमी, और

(ii) क्रेता को नियंत्रण का अंतरण

4. पहली शर्त शेयरधारिता के ऐसे विक्रय से पूर्व शेयरधारिता इक्यावन प्रतिशत से उपर थी, के मामले में लागू होगी। नियंत्रण के अंतरण की अपेक्षा या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर कंपनी (या इनमें से कोई दो या ये सब) द्वारा अग्रणीत की जा सकेगी।

5. किसी नीतिगत अपविनिधान के परिणाम स्वरूप एक या अधिक बैंककारी कंपनी का किसी अन्य बैंककारी संस्था या किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन की दशा में संचित हानि और शेष अवक्षयण मोक को अग्रणीत करने को अनुज्ञात करने के लिए अधिनियम की धारा 72कक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

6. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 33 और 34]

नई विनिर्माता सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करने के लिए 15% रियायती कर

काराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019, से अन्य बातों के साथ, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में धारा 115खकख को अंतःस्थापित की गई थी, जो उपबंध करती है कि 31 मार्च, 2023 को या के पश्चात् स्थापित नई विनिर्माता देशी कंपनियां, जिन्होंने 31 मार्च, 2023 तक विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ किया है तथा किसी विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों को प्राप्त नहीं करती हैं, कर संदाय के लिए 15 प्रतिशत की रियायती दर का विकल्प चुन सकती है। वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करने का समय बढ़ा दिया गया है। तथापि वैसा ही उपबंध नई विनिर्माता सहकारी सोसाइटियों के लिए उपबंधित नहीं किया गया है।

2. नई विनिर्माता सहकारी सोसाइटियों तथा नई विनिर्माता कंपनियों के बीच में बराबर मुकाबले का क्षेत्र उपबंध करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि 15 प्रतिशत की रियायती कर रीजिम नई विनिर्माता सहाकारी सोसाइटियों को भी उपबंध की जाए।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम में नई धारा 115खकड. का अंतःस्थापन प्रस्तावित है, जिसमें नई विनिर्माता सहकारी सोसाइटियों को भी रियायती दर रीजिम का उपबंध किया जा रहा है। शर्तें सारवान रूप से वहीं शर्तें हैं जो इन विनिर्माता कंपनियों को लागू होती हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं:-

- i. अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अध्याय 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 115खकघ के अधीन वर्णित से भिन्न, किसी निर्धारिती की कुल आय के संबंध में संदेय आयकर, भारत की सहकारी सोसाइटी निवासी के तौर पर, 1 अप्रैल, 2024 को या के पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए, ऐसे निर्धारिती के विकल्प पर कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के समाधान पर, 15 प्रतिशत की दर पर संगणित की जाएगी।
 - ii. रियायती दर के लिए शर्त यह होगी कि नई विनिर्माता सहकारी सोसाइटी की कुल आय की संगणना-
- (क) धारा 10कक के उपबंधों के अधीन या धारा 32 की उपधारा (i) के खंड (ii) क) या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) या उपधारा (2) क

- क) के उपखंड (ii) या उपखंड (ii क) या उपखंड (iii) या धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 80अअकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्ही उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी।
- (ख) पूर्व निर्धारण वर्ष से अग्रणीत हानि या अवक्षयण के मुजरे के बिना की जाएगी, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती से हुई मानी जाएगी; और
- (ग) अवक्षयण के दावे द्वारा की जाएगी, यदि कोई उक्त धारा की उपधारा (i) के खंड (iiक) से भिन्न धारा 32 के अधीन, ऐसी रीति में अवधारित की जाएगी जैसी विहित की जाए;
- (iii) (ii)ख में निर्दिष्ट हानि तथा अवक्षयन को पूर्व प्रभाव दिया गया समझा जाएगा तथा किसी पश्चातवर्ती वर्ष के लिए ऐसी हानि के लिए कोई और कटौती नहीं की जाएगी।
- (iv) रियायती दर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि 1 अप्रैल, 2024 को या के पश्चातवर्ती आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष को सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए आय की प्रथम विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (i) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या से पूर्व व्यक्ति द्वारा विहित रीति में विकल्प का प्रयोग किया गया है या नहीं तथा ऐसा विकल्प एक बार प्रयोग करने पर पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा;
- (v) इस प्रकार प्रयोग किया गया विकल्प वापिस नहीं लिया जा सकता;
- (vi) यदि निर्धारिती कोई आय सम्मिलित करता है, जो न तो वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण या उत्पादन से प्राप्त हुई है और न ही आनुषंगिक है तथा जिसके संबंध में अध्याय के अधीन पृथक रूप से कर की विनिर्दिष्ट दर उपबंधित नहीं की गई है, ऐसी आय 22 प्रतिशत की दर पर कराधेय होगी तथा ऐसी आय की संगणना में किसी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती या भत्ता नहीं होगा।
- (vii) जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती के बीच निकट संबंध के कारण जिसे यह धारा लागू होती है तथा कोई अन्य व्यक्ति, या किसी अन्य कारण के लिए, कारबार का क्रम उनके बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित है कि

उनके बीच में संव्यवहारित कारबार निर्धारिती के लिए सामान्य से अधिक लाभ उत्पादन करता है, जो ऐसे कारबार में बढ़ना पहले से प्रत्याशित है, इस धारा के संयोजन के लिए निर्धारण अधिकारी ऐसे कारबार के लाभ तथा अभिलाभ की संगणना में, लाभ की रकम को लेगा जो युक्तियुक्त रूप से उससे प्राप्त किया गया है तथा ऐसी आय को 30 प्रतिशत की दर पर कर प्रभार्य होगा।

(viii) पूर्वोक्त व्यवस्था की दशा में, धारा 92खक में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार सम्मिलित है, ऐसा संव्यवहार से होने वाले लाभ की रकम धारा 92च के खंड (ii) में यथा परिभाषित आसन्निकट कीमत के संबंध में अवधारित की जाएगी, निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित लाभ की रकम से अधिक किसी लाभ की रकम को निर्धारिती की आय समझा जाएगा। ऐसे मामले में आय के संबंध में संदेय आय कर की संगणना 30 प्रतिशत की दर पर की जाएगी;

(ix) आय के संबंध में आयकर, अधिनियम के अधीन पूंजी आस्ति के अंतरण से प्राप्त अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ रूप में जिस पर अवक्षयण अनुज्ञेय है, 20 प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा;

(x) जहां निर्धारिती किसी पूर्व वर्ष में धारा के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का समाधान करने में असफल रहता है, पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में विकल्प अवैध हो जाएगा, तथा अधिनियम के अन्य उपबंध निर्धारिती को लागू होंगे यदि पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है।

4. यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई मशीन या संयंत्र जिसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किया गया था, को पूर्व में कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण होने पर किसी प्रयोजन के लिए उपयोग की गई मशीन या संयंत्र नहीं माना जाएगा।

5. यह भी प्रस्तावित है कि जहां मशीन या संयंत्र या उसका कोई भाग जो पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था, को निर्धारिती द्वारा उपयोग में लाया गया तथा ऐसी मशीन या संयंत्र या उसके भाग का कुल मूल्य निर्धारिती द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीन या संयंत्र के कुल मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, तब विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने पर रियायती दर लागू होगी।

6. यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्धारित वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार तथा उससे संबंधित अनुसंधान या उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तुओं या चीजों के वितरण से भिन्न किसी अन्य कारबार में नहीं लगेगा।
7. इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तावित है कि किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन का कारबार में विद्युत उत्पादन के कारबार को सम्मिलित किया जाएगा, किन्तु कतिपय विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
8. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 92खक में एक नए खंड (vख) का अंतःस्थापन, 'देशी संव्यवहार' के कार्यक्षेत्र के भीतर सहकारी सोसाइटी तथा निकट संबंध वाले अन्य व्यक्ति के बीच संव्यवहार को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित है।
9. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होना प्रस्तावित हैं तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 45,51 और 52]

ग. अनुलापल की सुगमता

प्राथमिक व्ययों के क्रमिक अपाकरण पर कटौती के दावे को सुगम बनाना

अधिनियम की धारा 35घ, उपक्रम के विस्तार या किसी नई इकाई की स्थापना के संबंध में, ऐसे कतिपय प्रारंभिक व्ययों के क्रमिक अपाकरण के लिए उपबंध करती है जो कारबार के प्रारंभ से पूर्व या कारबार के प्रारंभ के पश्चात् उपगत हुए हैं। इसमें साध्यता रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट आदि की तैयारी के संबंध में व्यय भी सम्मिलित हैं।

2. धारा अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि साध्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट या बाजार सर्वेक्षण कराने या कोई अन्य सर्वेक्षण या इंजीनियरी संबंधी सेवाएं या तो निर्धारित द्वारा स्वयं या बोर्ड द्वारा या किसी समुत्थान जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, द्वारा किए जाना आवश्यक होगा।

3. इन प्राथमिक व्ययों के क्रमिक अपाकरण का दावा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अधिनियम की धारा 35घ का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी समुत्थान द्वारा इन क्रियाकलापों के संबंध में किए जाने वाली कार्य की शर्त

को हटाया जा सके। इसके बजाय निर्धारिती से विहित अवधि के भीतर विहित आयकर प्राधिकारी को विहित प्रारूप और रीति में इस व्यय की विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए कोई विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 12]

उपधारणात्मक कराधान स्कीमों के लिए आरंभिक सीमा में वृद्धि

अधिनियम की धारा 44कघ के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ लघु कारोबारों के लिए किसी उपधारणात्मक आय की स्कीम का उपबंध करते हैं। यह स्कीम पात्र कारोबारों और 2 करोड़ रुपए या कम की आवर्त या सकल प्राप्ति वाले कारबार को जारी रखने के लिए कतिपय निवासी निर्धारितियों (अर्थात् कोई व्यष्टिक, हिंदू अविभक्त कुटुंब या एलएलपी से भिन्न कोई साझेदारी फर्म) के संबंध में लागू होती है। इस स्कीम के अधीन आवर्त या सकल प्राप्ति के 8% या 6% के समतुल्य किसी राशि को, कतिपय शर्तों के अधीन कारबारों से लाभों और अभिलाभों के रूप में माना जाएगा। यदि निर्धारिती ने 8% या 6% से अधिक की कमाई का दावा किया है, तब उच्चतर राशि कराधेय है।

2. अधिनियम की धारा 44कघक का लघु वृत्तिको के लिए किसी उपधारणात्मक आय की स्कीम का उपबंध करती है। यह स्कीम कतिपय ऐसे निवासी निर्धारितियों (अर्थात् कोई व्यष्टिक, हिंदू अविभक्त कुटुंब या एलएलपी से भिन्न कोई साझेदारी फर्म) जो धारा 44कक की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी वृत्तिक में अंतर्वर्तित हैं और जिनकी कुल सकल प्राप्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख रुपए से अनधिक है, के संबंध में लागू होती है। इस स्कीम के अधीन सकल प्राप्ति के 50% के समतुल्य किसी राशि को कारबार से लाभ और अभिलाभ के रूप में माना जाएगा। यदि निर्धारिती ने 50% से अधिक कमाई का दावा किया है, तब उच्चतर राशि कराधेय है।

3. अधिनियम की धारा 44कख के अधीन, कारबार कर रहे प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाए, यदि किसी पूर्व वर्ष में कारबार में उसका कुल विक्रय, व्यापारवर्त या सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक रही हो। जहां 95% प्राप्तियां/संदाय गैर-नकदी ढंग से हो वहां सीमा को बढ़ाकर दस करोड़ रुपए किया गया है। किसी व्यक्ति के

पेशा करने की दशा में, उससे यह अपेक्षित है कि वह उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाए, यदि किसी पूर्व वर्ष में वृत्ति में, उसकी सकल प्राप्तियां पचास लाख रुपए से अधिक हो। इस धारा के अधीन जो उपधारणात्मक स्कीम का विकल्प चुनते हैं और उसकी शर्तें पूरी करते हैं उनको संपरीक्षा से छूट है।

4. लघु और मध्यम खंड में अधिक व्यक्तियों को फायदा देने के लिए, पात्र कारबार और पेशों के लिए उपधारणात्मक स्कीम के फायदे उठाने की पात्रता के लिए बढ़ती हुई आरंभिक सीमा के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

5. गैर-नकदी संव्यवहारों के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए और उनका संप्रवर्तन करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि कतिपय शर्तों की पूर्ति होने पर अधिनियम की धारा 44कघ और धारा 44कघक में उपधारणात्मक स्कीमों के लिए आरंभिक सीमाओं को बढ़ाया जाए।

6. यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि:-

- अधिनियम की धारा 44कघ के अधीन, पात्र कारबार के लिए, जहां पूर्व वर्ष के दौरान, नकदी में, प्राप्त रकम या संकलित रकमें, कुल व्यापारावर्त या सकल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक न हो, वहां तीन करोड़ रुपए की आरंभिक सीमा लागू होगी।
- अधिनियम की धारा 44कघक के अधीन, अधिनियम की धारा 44कक की उपधारा(1) में निर्दिष्ट पेशों के लिए, जहां पूर्व वर्ष के दौरान, नकदी में, प्राप्त रकम या संकलित रकमें, कुल सकल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां सत्तर लाख रुपए की आरंभिक सीमा लागू होगी।
- बैंक पर आहरित किसी चैक द्वारा या किसी बैंक ड्राफ्ट द्वारा की गई प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय न हो, को नकदी में प्राप्ति समझा जाएगा।
- अधिनियम की धारा 44कख के उपबंध, उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो अधिनियम की धारा 44कघ की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 44कघक की उपधारा (1), जैसा भी मामला हो, के उपबंधों के अनुसार पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है।

7. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 15,16 और 17]

निम्नतर या शून्य दर पर कर की कटौती के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु परिधि का विस्तारीकरण

अधिनियम की धारा 197 निम्नतर या शून्य दर पर कर कटौती के कोई प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के संबंधित है। यह निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती के लिए शून्य दर या निम्नतर दर पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के लिए लागू करने का उपबंध करती है यदि, कर की कटौती अधिनियम की धारा 192, धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखग, धारा 194ड, धारा 194ण और धारा 195 के अधीन की जानी अपेक्षित है। यदि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्राप्तकर्ता की कुल आय किसी निम्नतर दर या शून्य दर पर आयकर की कटौती से न्यायोचित है तो वह निर्धारिती को कोई समुचित प्रमाण-पत्र देने के लिए अपेक्षित है।

2. अधिनियम की धारा 194ठखक अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि कारबार न्यास, अनिवासी इकाई धारकों की ब्याज से आय पर 5% की दर से कर की कटौती करेगा और कर निक्षेप करेगा। ये अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं कि कुछ मामलों में कटौती की दर को कुछ छूट के कारण कम किया जाना अपेक्षित होगा, उदाहरणार्थ सोवरेन धन निधि और पेंशन निधियां अधिसूचित करने के लिए अनुज्ञात अधिनियम की धारा 10 (23चड़) के अधीन छूट। तथापि, चूंकि अधिनियम की धारा 194ठखक के अधीन निम्नतर कटौती के लिए प्रमाण-पत्र अधिनियम की धारा 197 के अधीन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, छूट का फायदा कर कटौती के समय उपलब्ध नहीं होगा।

3. इस कठिनाई को दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 194ठखक के अधीन वह राशि जिसपर कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है, निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाण-पत्र हेतु भी पात्र होगी।

4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 88]

घ. कर आधार/परिवर्जन रोध को गहन और विस्तृत करना

साधारणतया निवास न करने वाले को दान के लिए धारा 9 के अधीन धारणा उपबंध का विस्तार

अधिनियम के अधीन वह आय, जो अन्य बातों के साथ, किसी वर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई है, कर के लिए प्रभार्य है। आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) एक धारणा उपबंध है जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय के प्रकार का उपबंध करती है।

2. वित्त(सं.2) अधिनियम, 2019 अधिनियम की धारा 9 की उपधारा(1) के खंड (viii) को अंतःस्थापित कर यह उपबंध करता है कि 5 जुलाई,2019 को या उसके पश्चात्, पचास हजार रुपए से अधिक की कोई धनराशि, किसी गैर-निवासी द्वारा बिना प्रतिफल के, भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से प्राप्त की गई है तो वह भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत आय समझी जाएगी। अधिनियम की धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xviiअ) में धनराशि निर्दिष्ट है।

3. उपरोक्त संशोधन दुरुपयोग रोधी उपबंध के रूप में पुरः स्थापित किया गया है, क्योंकि कतिपय अवसर देखे गए हैं जहां भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा गैर-निवासियों को दान किया गया था और ऐसे गैर-निवासियों द्वारा गैर-कराधेय होने का दावा किया गया था।

4. यह देखा गया है कि कतिपय व्यक्ति साधारणतया निवासी न होते हुए, भारत में निवास कर रहे व्यक्ति से दान प्राप्त कर रहे हैं और उस पर कर का संदाय नहीं कर रहे हैं।

5. उपरोक्त को देखते हुए, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (viii) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे धारणा उपबंध का विस्तार साधारणतया निवास न करने वाले द्वारा भारत में निवास कर रहे किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के प्राप्त की गई पचास हजार रुपए से अधिक की धनराशि को किया जाए।

6. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 4]

धारा 10 के खंड (22ख) के अधीन समाचार एजेंसी को प्राप्त छूट का हटाया जाना

अधिनियम की धारा 10 का खंड (22ख), अन्य बातों के साथ, ऐसी अधिसूचित समाचार एजेंसी की आय को प्राप्त छूट का उपबंध करता है जिसको भारत में केवल समाचार के संग्रह और वितरण के लिए स्थापित किया गया है। यह इस शर्त के अधीन है कि समाचार एजेंसी उसकी आय का या उसके संचयन का उपयोजन केवल समाचार के संग्रह और वितरण के लिए करती है और उसकी आय को किसी भी रीति में उसके सदस्यों में वितरित नहीं करती है।

2. आय-कर अधिनियम के अधीन छूटों और कटौतियों को हटाने की सरकार की कथित नीति के अनुसार, अधिनियम की धारा 10 के खंड (22ख) के अधीन समाचार एजेंसी को उपलब्ध छूट को निर्धारण वर्ष 2024-25 से वापस लेने का प्रस्ताव है।

3. उपरोक्त को देखते हुए अधिनियम की धारा 10 के खंड (22ख) के चौथे परंतुक को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जाए कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (22ख) में अंतर्विष्ट कोई बात, समाचार एजेंसी की 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय को लागू नहीं होगी।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होगा।

[खंड 5]

कारबार न्यास द्वारा उसके यूनिट धारकों को वितरण के माध्यम से कर का परिवर्जन

वित्त(सं.2) अधिनियम, 2014 ने भू संपदा विनिधान न्यास (आर ई आई टी) और अवसंरचना विनिधान न्यास (इन विट) [सामान्यतः कारबार न्यास के रूप में निर्दिष्ट] के लिए एक विशेष कराधान रीजीम की पुरःस्थापना की है। इस विशेष रीजीम को अवसंरचना में वित्तीय और विनिधान की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुरःस्थापित किया गया था। कारबार न्यास विशेष प्रयोजन संबंधी यान (एस पी वी) में साम्या या ऋण लिखतों के माध्यम से विनिधान करते हैं।

2. कारबार संरचना को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 115पक के अधीन विशेष कराधान रीजीम, अन्य बातों के साथ-साथ, आरईआईटी और इन विट दोनों की दशा में विशेष प्रयोजन संबंधी यान से कारबार न्यास द्वारा प्राप्त ब्याज आय, लाभांश आय तथा आर ई आई टी की दशा में किराए की आय के संबंध में कारबार न्यास को पास थ्रू स्टेटस का उपबंध करती है। ऐसी आय यूनिट धारकों के हाथ में कराधेय है जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त न हो।

3. अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (1) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यूनिट कारबार न्यास द्वारा उसके यूनिट धारकों को वितरित कोई आय को उसी प्रकृति का समझा जाएगा तथा यूनिट धारकों के हाथ में उसी अनुपात में होगा जैसा कि उसे कारबार न्यास द्वारा प्राप्त किया गया था।

4. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (3), अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि यदि कारबार न्यास से यूनिट धारक द्वारा प्राप्त “वितरित आय” उस प्रकृति की है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चग) या खंड (23चगक) में यथानिर्दिष्ट है, जैसा कि एस पीवी से आर ईआईटी की किराया आय या कारबार न्यास द्वारा प्राप्त ब्याज या लाभांश हो, तब ऐसी वितरित आय या उसका भाग ऐसे यूनिट धारक की आय समझी जाएगी।

5. कतिपय मामलों में यह पाया गया है कि कारबार न्यास अपने यूनिट धारकों को राशियां वितरित करते हैं जो कि निम्नलिखित चार वर्गों में वर्गीकृत की गई हैं-

(क) ब्याज

(ख) लाभांश

(ग) किराया आय

(घ) ऋण का पुनः संदाय

6. जैसा कि ऊपर कथन किया गया है कि कारबार न्यास के स्तर पर ब्याज, लाभांश और किराया आय को पास द्वारा स्टेटस प्रदान किया गया है तथा यूनिट धारक के हाथ में कराधेय है तथापि वितरणों के संबंध में जो कारबार न्यास द्वारा उसके यूनिट धारकों को किए गए हैं जिन्हें ऋण के पुनः संदाय के रूप में दिखाया गया है, वास्तविक रूप में यह यूनिट धारक की

एक आय है जो कारबार न्यास के या यूनिट धारक, दोनों के हाथों में कराधान के अंतर्गत नहीं आती है।

7. यह नोट किया जा सकता है कि कारबार न्यास द्वारा किए गए किसी वितरण का दोहरा गैर-कराधान जो कि कारबार न्यास के साथ-साथ यूनिट धारक के हाथों में भी छूट प्राप्त है, कारबार न्यास को लागू विशेष कराधान रीजिम का आशय नहीं है।

8. उपरोक्त की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि, यूनिट धारक द्वारा प्राप्त ऐसी राशि उसके हाथ में कराधेय है। तथापि ऐसी स्थिति के लिए भी उपबंध प्रस्तावित है जब यूनिट धारक द्वारा प्राप्त राशि उसके द्वारा धारित यूनिट के मोचन का अभ्यावेदन करती है। इस प्रकार से अधिनियम को इस माध्यम से संशोधन करने का प्रस्ताव है,-

(i) अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में खंड (xii) का अंतःस्थापन यह उपबंध करने के लिए है कि शीर्ष “अन्य स्रोतों से आय” के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य आय में यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त कोई राशि भी सम्मिलित होगी, जो कि-

(क) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चग) या खंड (23चगक) में यथानिर्दिष्ट आय की प्रकृति की नहीं है: और

(ख) अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (2) के अधीन कर प्रभार्य नहीं है।

(ii) उक्त खंड में परंतुक का अंतःस्थापन यह उपबंध करने के लिए है, कि जहां यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त कोई राशि यूनिट या उसके द्वारा धारित यूनिटों के मोचन के लिए है, प्राप्त राशि यूनिट अर्जन करने की लागत में से घटा दी जाएगी या ऐसी लागत का विस्तार प्राप्त राशि से अधिक न हो।

(iii) अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (3) का अंतःस्थापन यह उपबंध करता है कि इस धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में यथानिर्दिष्ट कारबार न्यास से यूनिट धारक द्वारा प्राप्त किसी राशि के संबंध में लागू नहीं होंगे।

(iv) अधिनियम की धारा 2 के खंड (24) में उपखंड (xvii) का अंतःस्थापन यह उपबंध करता है कि अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई राशि आय में सम्मिलित होगी।

9. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 3, 32 और 58]

किसी निवासी को सूचीबद्ध डिबेंचर पर ब्याज के संदाय पर टीडीएस से छूट को हटाया जाना

अधिनियम की धारा 193, किसी निवासी को प्रतिभूतियों पर ब्याज के द्वारा किसी आय के संदाय पर टीडीएस के लिए उपबंध करती है।

2. अधिनियम की धारा 193 का परंतुक कतिपय प्रतिभूतियों पर ब्याज के संदाय के संबंध में टीडीएस से छूट का उपबंध करता है। उपर्युक्त धारा के परंतुक का खंड (ix) उपबंध करता है कि किसी कंपनी द्वारा जारी कोई प्रतिभूति पर संदेय कोई ब्याज के मामले में कर कटौती नहीं की जाएगी, जहां ऐसी प्रतिभूति सारवान रहित प्ररूप में है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956(1956 का 32) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है।

3. यह देखा गया है कि उपर्युक्त टीडीएस छूट के कारण प्राप्तकर्ता द्वारा ब्याज आय की न्यून रिपोर्टिंग की जाती है। अतः अधिनियम की धारा 193 के परंतुक के खंड (ix) का लोप करने का प्रस्ताव है।

4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

[खंड 81]

धारा 44खख और धारा 44खखख के अधीन उपधारणात्मक स्कीम का दुरुपयोग का निवारण

अधिनियम की धारा निवासी निर्धारिती के मामले में उपधारणात्मक स्कीम के -44खख ऐसे गैर लिए उपबंध करती है जो खनिज तेलों की संभावना में, या उसे निकालने के लिए, या उसके

उत्पादन में उपयोग की गई या की जाने वाली उपलब्ध सेवा या इस संबंध में प्रसुविधा, या पूर्ती संयंत्र और भाडे पर मशीनरी के कारबार में लगा हुआ हो। इस स्कीम के अधीन, उक्त धारा की उपधारा प्रतिशत के बराबर की रकम को 10 में विनिर्दिष्ट रकम के योग के (2)“कारबार या वृत्ति के लाभ और हानि” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार का लाभ और हानि समझा जाएगा।

2. अधिनियम की धारा 44खख ऐसी गैर-निवासी विदेशी कंपनी के मामले में उपधारणात्मक स्कीम के लिए उपबंध करती है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात किसी टर्न की पावर प्रोजेक्ट के संबंध में सिविल अवसंरचना के कारबार में या, संयंत्र या मशीनरी के निर्माण या उसके परीक्षण या चलाने के, जैसा भी हो, कारबार में लगी हुई हो। इस स्कीम के अधीन, ऐसी सिविल अवसंरचना, निर्माण, परीक्षण या चलाने के कारण ऐसे निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को भुगतान की गई या संदेय (चाहे भारत में या बाहर) रकम के दस प्रतिशत के बराबर की राशि को “कारबार या वृत्ति के लाभ और हानि” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार का लाभ और हानि समझा जाएगा।

3. दोनो धाराए यह उपबंध करती हैं कि कोई निर्धारिती विनिर्दिष्ट लाभ और हानि से कम लाभ और हानि का दावा कर सकता है, यदि वह अधिनियम की धारा 44कक की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित लेखा पुस्तके और अन्य दस्तावेजों को रखता है और उनका रखरखाव करता है तथा अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराता है तथा अधिनियम की धारा 44कख के अधीन अपेक्षित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट देता है।

4. ऐसा देखा गया है कि करदाता उपधारणात्मक स्कीम आय और गैर-उपधारणात्मक स्कीम आय दोनो की सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपधारणात्मक स्कीम को चयन करते हैं और नहीं करते हैं। जिस वर्ष में उन्हें हानि होती है, वे लेखा पुस्तको के अनुसार वास्तविक हानि का दावा करते हैं और उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ष में उन्हें अधिक लाभ होता है, वे लाभ को 10 प्रतिशत पर सीमित करने के लिए उपधारणात्मक स्कीम का उपयोग करते हैं और पूर्व वर्षों से अग्रेषित हानि का मुजरा करते हैं। संकल्पनात्मक रूप में, यदि कोई निर्धारिती लेखा पुस्तकों का रख रखाव करता है और ऐसे लेखाओं के अनुसार हानि का दावा करता है, तो उसे लेखाओ के अनुसार लाभ को भी प्रकट करना चाहिए। उपधारणात्मक आधार पर संगणित आय के साथ लेखा पुस्तकों के अनुसार संगणित हानि के मुजरा के लिए कोई बात तर्कसंगत नहीं है।

5. ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए, अधिनियम की धारा 44खख की नई उपधारा और धारा 44खखख के अंत (2) की उपधारा 32 स्थापन का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि धारा: में किसी बात के होते हुए भी (1) की उपधारा 72 और धारा, जहां कोई निर्धारिती उपधारणात्मक कराधान के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्व वर्ष के लिए कारबार के लाभ और हानि की घोषणा करता है, वहां अनामेलित अवक्षेपण और अघोषित हानि का मुजरा ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

6. ये संशोधन अप्रैल 1, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2025-2024 और पश्चातवर्ती वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 18 & 19]

ऑनलाइन गेम की शुद्ध जीत-राशि पर टीडीएस और कराधेयता

अधिनियम की धारा 194ख उपबंध करती है कि वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को, दस हजार रुपए से अधिक कोई रकम किसी लॉटरी या वर्ग पहेली या कार्ड गेम और किसी प्रकार के अन्य गेम से जीत द्वारा आय के संदाय के लिए उत्तरदायी है, वह उस पर संदाय के समय, प्रवृत्त दर से आय-कर की कटौती करेगा।

2. अधिनियम की धारा 194खख, किसी रेस कोर्स में घुड़दौड़ या पंद्यम की व्यवस्था करने के लिए या किसी रेस कोर्स में बाजी लगाने के लिए, स्रोत पर कर की कटौती के ऐसे ही उपबंधों का उपबंध करती है।

3. अधिनियम की धारा 115खख, लॉटरी, वर्ग पहेली, रेस जिसमें घुड़दौड़, कार्ड गेम और किसी प्रकार के अन्य गेम या द्यूत या किसी प्रकार अथवा प्रकृति की बाजी लगाने से हुई जीत पर कर की दर के लिए उपबंध करती है।

4. यह देखा गया है कि कटौती करने वाले 10,000/- रु. प्रति संव्यवहार की आरंभिक सीमा को लागू कर अधिनियम की धारा 194ख और धारा 194खख के अधीन कर की कटौती कर रहे हैं, और जीत को बहु संव्यवहार में विभाजित कर, प्रति संव्यवहार 10,000/- रु. से कम के कर, कर कटौती का परिवर्जन कर रहे हैं। यह विधान-मंडल के आशय के विपरीत है।

5. हाल ही के समय में देखा गया है कि ऑनलाइन गेम्स के उपयोक्ता बढ़े हैं। ऑनलाइन गेम्स की भिन्न प्रकृति के कारण, कई प्रकार के गेम्स के विकल्पों और भुगतान विकल्पों के साथ इंटरनेट और कंप्यूटर साधनों से सरल पहुंच में होने से, ऑनलाइन गेम्स के टीडीएस और कराधेय होने से संबंधित विनिर्दिष्ट उपबंधों को लाने की आवश्यकता है।

6. तदनुसार, यह प्रस्ताव किया गया है कि:-

(i) अधिनियम की धारा 194ख और धारा 194खख का संशोधन यह उपबंध करने के लिए किया जाए कि इन धाराओं के अधीन कर की कटौती वित्त वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक की रकम या संकलित रकम पर होगी;

(ii) अधिनियम की धारा 194ख का संशोधन उसके विस्तार के भीतर “द्यूत या किसी प्रकार अथवा प्रकृति की बाजी, जैसा भी हो” को सम्मिलित करने के लिए किया जाए;

(iii) अधिनियम की धारा 194ख का संशोधन 1 जुलाई, 2023 से उक्त धारा के कार्यक्षेत्र से ऑनलाइन गेम्स को अपवर्जित करने के लिए किया जाए, क्योंकि उस तारीख से ऑनलाइन गेम्स की जीत पर स्रोत पर कर कटौती के लिए एक नई धारा 194खक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है;

(iv) 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होने वाली, अधिनियम में नई धारा 194ख को यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया जाए कि वित्तीय वर्ष के अंत पर उपयोक्ता खाते में शुद्ध जीत पर स्रोत पर कर कटौती हो। उस मामले में जहां वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से प्रत्याहरण हो, वहां ऐसे प्रत्याहरण में समाविष्ट शुद्ध जीत पर ऐसे प्रत्याहरण के समय कर की कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के अंत पर उपयोक्ता खाते में बची हुई शुद्ध जीत की रकम पर भी आय-कर की कटौती की जाएगी। शुद्ध जीत को विहित रीति में संगणित किया जाएगा।

(v) प्रस्तावित धारा 194खक में यह उपबंध किया जाए कि उस दशा में जहां शुद्ध जीत पूर्णतः नकद में है या भागतः नकद है या भागतः वस्तु रूप में है, परंतु नकद का भाग पूर्ण शुद्ध जीत के संबंध में कर कटौती के दायित्व की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां संदेय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जीत के निर्मोचन से पूर्व, यह सुनिश्चित करेगा कि शुद्ध जीत से संबंधित कर का भुगतान कर दिया गया है;

(vi) यह उपबंध किया जाए कि नई धारा 194खक के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा। बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रत्येक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद के प्रत्येक

सदन के समक्ष रखा जाएगा और ऑनलाइन गेम से हुई जीत द्वारा हुई किसी आय पर, आय-कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर और आय-कर प्राधिकारियों पर बाध्य होगा।

(vii) प्रस्तावित धारा 194खक में “कंप्यूटर साधन”, “इंटरनेट”, “ऑनलाइन गेम”, “ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी”, “उपयोक्ता”, “उपयोक्ता खाता” की परिभाषा का उपबंध किया जाए;

(viii) अधिनियम की धारा 115खख का संशोधन, निर्धारण वर्ष 2024-25 से उक्त धारा के कार्यक्षेत्र से ऑनलाइन गेम से हुई जीत से आय को अपवर्जित करने के लिए किया जाए, क्योंकि उस निर्धारण वर्ष से ऑनलाइन गेम से हुई जीत पर कर लगाने के लिए धारा 115खखज को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ix) ऑनलाइन गेम से हुई जीत पर कर लगाने के संबंध में अधिनियम में नई धारा 115खखज को यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया जाए कि जहां निर्धारिती की कुल आय में किसी ऑनलाइन गेम से हुई जीत से हुई कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा—

- तीस प्रतिशत की दर से, विहित रीति में संगणित, पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे ऑनलाइन गेम से हुई शुद्ध जीत पर परिकलित आय-कर की रकम; और
- आय-कर की वह रकम जिससे निर्धारिती पर प्रभार्य होता, यदि ऊपर निर्दिष्ट शुद्ध जीत द्वारा उसकी कुल आय को कम कर दिया जाता;

(x) प्रस्तावित धारा 115 खखज में “कंप्यूटर साधन”, “इंटरनेट”, “आनलाइन गेम” की परिभाषा का उपबंध किया जाए।

7. अधिनियम की धारा 194ख और धारा 194खख के लिए प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे। अधिनियम की प्रस्तावित धारा 194खक 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। अधिनियम की धारा 115खख के लिए प्रस्तावित संशोधन और अधिनियम में प्रस्तावित धारा 115खखज 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होंगी।

[खंड 53,54,82,83 और 84]

कतिपय प्रेषणों के टीसीएस की बढ़ती दरें

अधिनियम की धारा 206ग एल्कोहल, शराब, वन उपज, स्क्रेप आदि में व्यापार के कारबार पर टीसीएस के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा की उपधारा (1छ) लिब्रलाइज्ड रेमिटेन्स स्कीम के माध्यम से विदेशी प्रेषण पर और विदेशी यात्रा पैकेज के विक्रय पर टीसीएस का उपबंध करती है।

2. कतिपय विदेशी प्रेषणों पर और विदेशी यात्रा पैकेज के विक्रय पर टीसीएस बढ़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1छ) में संशोधन का प्रस्ताव है।

3. चालू और प्रस्तावित टीसीएस दरें निम्न रूप में सारणीबद्ध हैं:-

क्रम सं.	प्रेषण का प्रकार	चालू दर	प्रस्तावित दर
(i)	किसी शिक्षा के उद्देश्य के लिए, यदि प्रेषित की जा रही रकम, धारा 80ड में परिभाषित किसी वित्तीय संस्था से लिया गया कोई ऋण है।	7 लाख रुपये से अधिक रकम या संकलित रकम का 0.5 %	कोई परिवर्तन नहीं।
(ii)	क्र. सं. (i) से भिन्न शिक्षा के उद्देश्य के लिए या चिकित्सा उपचार के उद्देश्य के लिए।	7 लाख रुपये से अधिक रकम या संकलित रकम का 5 %।	कोई परिवर्तन नहीं।
(iii)	विदेशी यात्रा पैकेज	बिना किसी आरंभिक सीमा के 5%।	बिना किसी आरंभिक सीमा के 20 %।
(iv)	कोई अन्य मामला	7 लाख रुपये से अधिक रकम या संकलित रकम का 5 %।	बिना किसी आरंभिक सीमा के 20 %।

*उपरोक्त सारणी में, टीसीएस की चालू दर और प्रस्तावित दर किसी वित्तीय वर्ष में क्रेता द्वारा प्रेषित की जा रही रकम या संकलित रकम पर है।

4. ये संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 90]

धारा 54 और धारा 54च के अधीन दावाकृत रोलओवर फायदे को सीमित करना

आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 54 और 54च के विद्यमान उपबंधों में दीर्घावधि पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ पर तब कटौती अनुज्ञात है यदि कोई निर्धारिती, उस तारीख से एक वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर या उसके दो वर्ष पश्चात्, जिसको अंतरण किया गया था, भारत में कोई आवासीय संपत्ति क्रय की गई है, या उस तारीख के तीन वर्ष पश्चात् की अवधि के भीतर भारत में कोई आवासीय संपत्ति का निर्माण किया गया है। अधिनियम की धारा 54 के लिए, किसी आवासीय मकान के अंतरण से उद्भूत दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ पर तब कटौती उपलब्ध है यदि पूंजी अभिलाभ का किसी आवासीय मकान में पुनः विनिधान किया गया है। अधिनियम की धारा 54च में, किसी आवासीय मकान को छोड़कर किसी दीर्घावधि पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी

अभिलाभ पर कटौती उपलब्ध है, यदि शुद्ध प्रतिफल का किसी आवासीय मकान में पुनः विनिधान किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 54 और 54च का प्राथमिक उद्देश्य आवास की भारी कमी को कम करने और मकान निर्माण क्रियाकलाप को गति देना था। तथापि, यह पाया गया कि उच्च शुद्ध मालियत रखने वाले निर्धारितियों द्वारा अत्यधिक कीमती आवासीय मकानों की खरीद करके इन उपबंधों के अधीन भारी कटौतियों का दावा किया जा रहा है। इससे इन धाराओं का प्रयोजन ही विफल हो रहा है।

3. इसे रोकने के लिए, उस अधिकतम कटौती पर दस करोड़ रुपये तक एक सीमा अधिरोपित करने का प्रस्ताव है जिसका दावा निर्धारितों द्वारा धारा 54 और 54च के अधीन किया जा सकता है। यह उपबंध किया गया है कि यदि क्रय की गई नई आस्ति की कीमत दस करोड़ रुपये से अधिक है, तो ऐसी आस्ति की कीमत दस करोड़ रुपये समझी जाएगी। इससे दोनों धाराओं के अधीन कटौती की सीमा दस करोड़ रुपये तक होगी।

4. परिणामतः, धारा 54 की उपधारा (2) और धारा 54च की उपधारा (4), जो पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा करने के संबंध में हैं, को भी संशोधित किया गया है। एक परंतुक अंतःस्थापित कर, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 54 की उपधारा (2) और धारा 54च की उपधारा (4) के उपबंध, पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा करने के प्रयोजनार्थ, केवल दस करोड़ रुपये तक के पूंजी अभिलाभों या शुद्ध प्रतिफल, जैसा भी मामला हो, पर लागू होंगे।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 25 और 30]

बाजार से सहबद्ध डिबेंचर के मामले में पूंजी अभिलाभों के कराधान के लिए विशेष उपबंध

यह देखा गया है कि संकर प्रतिभूतियों की एक विविधता जिसमें प्लेन वैनिला डेब्ट सिक्क्योरिटीज एंड एक्सचेंज ट्रेडिड डेरीवेटिवस की विशेषताएं भी सम्मिलित हैं, प्राइवेट स्थापनों के माध्यम से जारी और स्टॉक विनिमय पर सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। यह देखा गया है कि ऐसी प्रतिभूतियां प्लेन वैनिला डेब्ट सिक्क्योरिटीज से भिन्न हैं।

2. 'बाजार से सहबद्ध डिबेंचर' सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं। ये वर्तमान में सूचकांकीकरण के बिना 10% की दर से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में कराधेय हैं। तथापि ये प्रतिभूतियां ऐसे व्युत्पन्नों की प्रकृति की हैं जो सामान्यतः लागू दरों से कराधेय हैं। इसके अतिरिक्त ये परिवर्तनीय ब्याज देती हैं चूंकि ये बाजार के निष्पादन के साथ सहबद्ध हैं।

3. लागू दरों से लघुकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में इन प्रतिभूतियों के अंतरण या मोचन या पूर्ण होने से उद्भूत पूंजी अभिलाभों पर कर लगाने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 50कक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “बाजार से सहबद्ध डिबेंचर” के अंतरण या मोचन का या पूर्ण होने के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को ऐसे डिबेंचर के अंतरण या मोचन के संबंध में पूर्णतः या अनन्य रूप से डिबेंचर के अर्जन और प्रोद्भूत व्यय की कीमत से घटाने पर, लघुकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ के रूप में माना जाएगा।

4. इसके अतिरिक्त, ‘बाजार से सहबद्ध डिबेंचर’को ऐसे सभी प्रतिभूतियों जिसे, जिस भी नाम से जाना जाए, जिसका ऋण प्रतिभूति के प्ररूप में महत्वपूर्ण मुख्य संगठक है और जहां प्रत्यागम अन्य महत्वपूर्ण प्रतिभूतियों या सूचकांकों पर बाजार प्रत्यागम से सहबद्ध है और जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बाजार से सहबद्ध डिबेंचर के रूप में वर्गीकृत या विनियमित कोई प्रतिभूति भी सम्मिलित है, को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 24]

सामानसूची के अवमूल्यन के माध्यम से करों के अस्थायी स्थगन को रोकना

निर्धारितियों से आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लेखा बहियां के अनुरक्षण की अपेक्षा की जाती है। केंद्रीय सरकार ने आय की संगणना के लिए आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों (आई.सी.डी.एस.)को अधिसूचित किया है। आई.सी.डी.एस.-II सामानसूची के मूल्यांकन से संबंधित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 भी लागत अभिलेखों के अनुरक्षण करने का और कुछ मामलों में लागत लेखाकार द्वारा इसका लेखा परीक्षण करने का आदेश देती है।

2. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कि सामानसूची को विधि के विभिन्न उपबंधों के अनुसार मूल्यांकित किया है, अधिनियम की धारा 142 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण से पूर्व जांच करने के संबंध में प्रस्ताव है:-

- (i) निर्धारिती सीधे निर्धारण अधिकारी को सक्षम बनाने के लिए लागत लेखाकार इसकी बाबत प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा सामान सूची को मूल्यांकित करेगा। निर्धारिती से तत्पश्चात विधिवत रूप से विहित फार्म और ऐसे लागत लेखाकार द्वारा सत्यापित और ऐसे विवरणों को आगे स्थापित करने की रिपोर्ट भेजने की

अपेक्षा की जाती है जैसा भी मामला हो विहित और ऐसे अन्य विवरणों की निर्धारण अधिकारी से अपेक्षा की जाए।

- (ii) यह उपबंध करने के लिए कि खर्चों, घटना के लिए, ऐसी मूल्यांकन सामान सूची (लागत लेखाकार की पारिश्रमिक सहित) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा और ऐसे निर्धारित व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त किया जाएगा।
- (iii) यह उपबंध करने के लिए कि सिवाय इसके जहां निर्धारण अधिनियम की धारा 144 के अधीन किया है, निर्धारिती ऐसी सामान सूची के मूल्यांकन के आधार पर किसी सामग्री के संबंध में सुनवाई करने का अवसर दिया जाएगा जिसका निर्धारण करने हेतु उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।
- (iv) 'लागत लेखाकार' को परिभाषित करने के लिए लागत और कर्मकार लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित लागत लेखाकार को अभिप्रेत करता है और जो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यास के विधि मान्य प्रमाण पत्र को अवधारित करता है।

3. आगे, निम्नलिखित पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है:-

- (i) अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए जैसा कि समय-सीमा की संगणना के प्रयोजन के लिए लागत लेखाकार के माध्यम से सामान सूची मूल्यांकन की अवधि सम्मिलित नहीं है।
- (ii) अधिनियम की धारा 295 संशोधन करने के लिए पूर्वोक्त धारा में सम्मिलित करने के लिए सामान्य सूची और विवरणियों की रिपोर्ट विहित प्ररूप में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, जो ऐसी रिपोर्ट में शामिल होगी।

अधिनियम की धारा 142 और 153 में संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2023 को लागू होंगे तथापि निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे।

अधिनियम की धारा 295 में संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

[खंड 68, 72 और 122]

जीवन बीमा पॉलिसियों के अधीन आय की छूट का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) ऐसी पॉलिसी पर बोनस सहित, जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त धनराशि पर आयकर छूट के लिए उपबंध करती है। इसमें यह शर्त है

कि पॉलिसी के निबंधनों के दौरान किसी वर्ष के लिए संदेय किस्त सुरक्षित राशि वास्तविक पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन उपबंधित छूट का विधायी आशय जीवन बीमा कवरेज के तुच्छ और असली मामलों के लिए उपबंधित लाभ और किसी व्यक्तिगत जीवन के लिए जोखिम किस्त आर्थिक सहायता द्वारा वस्तुनिष्ठ कल्याण के लिए भी किया गया है। तथापि अधिक वर्षों तक यह अवलोकन किया गया है कि अनेक व्यक्तिगत उच्च शुद्ध धनराशि ऐसे जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन प्राप्त धनराशि पर छूट का दावा करते हुए और बड़ी किस्त का अंशदाय (जैसा कि निवेश पॉलिसी में क्रियाशील है) पॉलिसी में निवेश करके अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन उपबंधित छूट का दुष्प्रयोग किया जा रहा है।

3. खंड के अधीन छूट का दुष्प्रयोग रोकने के उद्देश्य से, वित्त अधिनियम, 2021, अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) को संशोधित करने का उपबंध किया है कि यू.एल.आई.पी. के अधीन प्राप्त धन राशि (किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि को छोड़कर) जारी की गई है या तारीख 1 फरवरी, 2021 के पश्चात दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक की ऐसी पॉलिसी निबंधन के दौरान किसी पूर्व वर्ष के लिए संदेय किस्त की राशि यदि कोई हो छूट प्राप्त नहीं होगी। यह भी उपबंध किया है कि यदि किस्त यू.एल.आई.पी. से अधिक संदेय पर जारी की गई है या 1 फरवरी, 2021 के पश्चात् उक्त खंड के अधीन छूट ऐसी पॉलिसियों के संबंध में ही उपलब्ध होगी जहां संकलित किस्त किसी पॉलिसी के निबंधन के दौरान किसी पूर्ण वर्ष के लिए दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं की जाती है। तारीख 19.01.2022 के 2022 के परिपत्र संख्या-2 स्पष्ट करने के लिए जारी किया था कि छूट कैसे संगणित की जानी है जब वह एक पॉलिसी से अधिक हो।

4. उपरोक्त संशोधन के अधिनियम के पश्चात्, 2,50,000 से अधिक संदेय किस्त लेते हुए यू.एल.आई.पी. की अधिनियम की धारा 10 खंड (10घ) के परिदृश्य से बाहर कर दिया गया है, जीवन बीमा पॉलिसियों के और अन्य कई प्रकार के संदेय किस्त की धनराशि के संबंध में छूट के लिए भी योग्य होगी।

5. ऐसे दुष्प्रयोग को नियंत्रण करने के उद्देश्य से, इसमें एक वर्ष में 5,00,000 से अधिक की संकलित किस्त या किस्त बीमा पॉलिसियों (यू.एल.आई.पी. से भिन्न जिसके लिए पहले ही विद्यमान उपबंध हैं) से आयकर का प्रस्ताव है। आयकर को छूट दिये जाने का प्रस्ताव है यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किया है। यह आय 'अन्य स्रोतों से आय के शीर्षक के अधीन करादेय होगी'। कटौती संदेय किस्त के लिए अनुज्ञात होगी यदि ऐसी किस्त का पूर्व में

कटौती के लिए दावा नहीं किया गया है। प्रस्तावित उपबंध 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् जारी की गई पॉलिसियों के लिए लागू होंगे। इसमें इस तारीख से पूर्व जारी की गई पॉलिसियों के लिए कराधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ऐसा करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है.-

- (i) अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) के लिए नया परंतुक (छठा परंतुक) अंतःस्थापित करने का उपबंध किया है कि इस खंड में कोई अंतर्वलित 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् जारी की गई किसी जीवन बीमा पॉलिसी (जोड़ने वाली बीमा पॉलिसी से भिन्न) की बाबत लागू नहीं होगी, यदि ऐसी पॉलिसी के निबंधन के दौरान किसी पूर्व वर्ष के लिए संदेय किस्त की धनराशि 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है;
- (ii) अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) का नया परंतुक (सातवां परंतुक) अंतः स्थापित किये जाने का उपबंध किया है कि यदि किस्त तारीख 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् जारी की गई है। जीवन बीमा पॉलिसियों को जोड़ने वाली यूनिट से भिन्न अधिक व्यक्तियों के द्वारा संदेय की गई है, इस खंड के उपबंध उन जीवन बीमा पॉलिसियों (बीमा पॉलिसियों को जोड़ने वाली यूनिट से भिन्न) की बाबत भी लागू होंगे जहां किस्त की संकलन धनराशि उनमें से किसी पॉलिसियों के निबंधन के दौरान किसी पूर्व वर्ष में छठा परंतुक में निर्दिष्ट धनराशि अधिक नहीं होती है;
- (iii) अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) का विद्यमान छठा परंतुक (नया प्रस्तावित आठवां परंतुक) के संशोधन करने का उपबंध किया है कि चौथा, पांचवां, छठा और सातवां परंतुक के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किसी धन राशि को लागू नहीं होंगे;
- (iv) अधिनियम की धारा 56 की उपधारा में खंड (xiii) का अंतःस्थापन करने का उपबंध जहां कोई राशि जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय पर (बोनस के द्वारा आवंटित धन राशि सहित) प्राप्त हुई है, जिसे अधिनियम की धारा 10 खंड (10घ) के अधीन छूट प्राप्त नहीं है, ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी के निबंधन के दौरान संदत्त किस्त के संकलन से अधिक प्राप्त राशि 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य होगी। यदि संदत्त किस्त का दावा किया गया है चूंकि ऐसी किस्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में कटौती के रूप में प्राप्त धनराशि से कटौती की जायेगी। संगणना तंत्र वर्णित करना होगा। यह यू.एल.आई.पी. या मुख्य व्यक्ति बीमा पॉलिसियों को लागू नहीं होगी जिनके कराधान अधिनियम के किसी अन्य विद्यमान उपबंधों द्वारा शासित है।

(v) अधिनियम की धारा 56 के उपधारा (2) में खंड(xiii) के स्पष्टीकरण के लिए अंतःस्थापन किये जाने का उपबंध किया है कि इस खंड के प्रयोजन 'जोड़ने वाली पॉलिसी के यूनिट' अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) के लिए स्पष्टीकरण 3 में इसको निर्दिष्ट करने का अर्थ एक ही होगा;

(vi) इसमें अधिनियम की धारा 2 खंड (24) में उपखंड (xviii) का अंतःस्थापन किये जाने का उपबंध किया है कि आय अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) खंड (xiii) में निर्दिष्ट धनराशि भी सम्मिलित होगी।

6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभाव में आयेंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 और पश्चातवर्ती वर्ष को लागू होंगे।

[खंड 3,5 और 32]

धारा 194 (झग) के टीडीएस के उपबंधों के साथ धारा 45 (5क) के उपबंधों की संरेखीकरण

अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (5क) के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि किसी पूंजी आस्ति जो संयुक्त विकास करार (जे डी ए) के अधीन, भूमि या भवन या दोनों हैं, के अंतरण से किसी निर्धारिती (व्यष्टिक और हिंदू अविभक्त कुटुंब) को प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ पर, पूंजी अभिलाभ, उस पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के संपूर्ण या किसी भाग के लिए समापन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, की आय के रूप में आयकर से प्रभार्य होगा। इसके अतिरिक्त इस संव्यवहार पर पूंजी अभिलाभ की रकम की संगणना करने के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को 'नकद' में प्राप्त प्रतिफल द्वारा वृद्धि के कारण उसके शेयर के मूल्य को स्टांप शुल्क के रूप में माना जाएगा।

2. यह देखा गया है कि कर-दाता यह अनुमान लगा रहे हैं कि प्रतिफल की कोई रकम जो नकद से भिन्न किसी और माध्यम से प्राप्त की गई है अर्थात् बैंक या इलेक्ट्रॉनिक संदाय माध्यम, धारा 45 की धारा (5क) के अधीन कर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए प्रतिफल में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यह विधि के आशय के अनुसार नहीं है जैसा कि अधिनियम की धारा 194-झग के उपबंधों से साक्ष्यिक है, जो अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि धारा 45 की उपधारा (5क) में निर्दिष्ट करार के अधीन, कर, कटौतीकर्ता को नकदी में या बैंक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य माध्यम से संदत्त प्रतिफल (किसी भी अन्य प्रकार का) द्वारा किसी राशि पर कटौती की जाएगी। तदनुसार, धारा 45 की उपधारा(5क) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को 'नकद' में या किसी बैंक या ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त प्रतिफल द्वारा वृद्धि के कारण उसके शेयर के मूल्य को स्टांप शुल्क के रूप में माना जाएगा।

3. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 20]

किसी संपत्ति के अर्जन, नवीकरण या पुनर्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी के ब्याज पर दावाकृत दोहरी कटौती का निवारण

अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी संपत्ति के अर्जन, नवीकरण या पुनर्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की रकम अधिनियम की धारा 24 के अधीन “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात है।

2. अधिनियम की धारा 48 अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना आस्ति के अर्जन की कीमत और उसके किसी सुधार की कीमत को पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य से घटा कर की जाएगी।

3. यह अवलोकन किया गया है कि कुछ निर्धारिती किसी संपत्ति के अर्जन, नवीकरण या पुनर्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर संदत्त ब्याज की दोहरी कटौती का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले, इसे धारा 24 के अधीन गृह संपत्ति से आय से कटौती के रूप में दावा किया गया है और कुछ मामलों में अधिनियम के अध्याय 6क के अन्य उपबंधों के अधीन भी कटौती का दावा किया जा रहा है। दूसरा ऐसी संपत्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ की संगणना करते समय यही ब्याज अधिनियम की धारा 48 के अधीन अर्जन की कीमत या सुधार की कीमत के एक भाग के रूप में भी शामिल होता है।

4. इस दोहरी कटौती का निवारण करने के लिए धारा 48 के खंड (ii) के पश्चात् एक परंतुक को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके की अर्जन की कीमत या सुधार की कीमत धारा 24 या अध्याय 6क के अधीन दावा किए गए ब्याज की रकम में सम्मिलित नहीं होगी।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

पूंजी अभिलाभों की संगणना के लिए कतिपय आस्तियों के मामले में अर्जन की कीमत को परिभाषित करना

अधिनियम की धारा 55 के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ पूंजी अभिलाभों की संगणना के प्रयोजनों के लिए ‘किसी सुधार की कीमत’ और ‘अर्जन की कीमत’ को परिभाषित करते हैं। तथापि अमूर्त

आस्तियों जैसे कतिपय आस्तियों या किसी अन्य प्रकार के अधिकार हैं, जिसके अर्जन हेतु कोई प्रतिफल संदत्त नहीं किया गया है। ऐसी आस्तियों के अर्जन की कीमत वर्तमान उपबंध में 'शून्य' के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से विधिक विवाद हैं और न्यायालयों ने धारण किया है कि पूंजी अभिलाभों के अधीन कराधेयता के लिए अर्जन की एक परिभाषित कीमत होनी चाहिए या अधिनियम के अधीन इसे शून्य माना जाना चाहिए। चूंकि ऐसा कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है जो यह कथन करता है कि ऐसी आस्ति की कीमत शून्य है। न्यायालय ऐसी आस्तियों के अंतरण से पूंजी अभिलाभों की प्रभायता के पक्ष में नहीं है।

2. इसलिए 'किसी सुधार की कीमत' और 'अर्जन की कीमत' को परिभाषित करने के लिए धारा 55 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (1) और उपधारा (2) के खंड (क) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति के किसी अमूर्त आस्ति या किसी अन्य प्रकार के अधिकार (यथास्थिति, उक्त उपखंड या खंड में यथा उल्लेखित से अन्य) के 'किसी सुधार की कीमत' और 'अर्जन की कीमत' को शून्य माना जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 31]

ड. अनुपालन और कर प्रशासन में सुधार

बंदोबस्त के लिए अंतरिम बोर्ड द्वारा लंबित परिशोधन संबंधी आवेदनों के निपटान के लिए समय का बढ़ाया जाना:-

अधिनियम की धारा 245घ किसी निर्धारिती द्वारा बंदोबस्त के लिए आवेदन प्राप्त होने पर बंदोबस्त आयोग के लिए प्रक्रिया अधिकथित करती है। यह धारा, बंदोबस्त के संबंध में अनुसरण की जाने वाली समयसीमा या लंबित आवेदनों का निपटान तथा इस संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का भी उपबंध करती है।

2. बंदोबस्त आयोग को समाप्त करने के लिए, अधिनियम को, तारीख 01.02.2021 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था। परिणामस्वरूप, केंद्रीय सरकार को, तारीख 31.01.2021 से बंदोबस्त आयोग के पास लंबित आवेदनों के निपटान हेतु किसी अंतरिम उपाय के रूप में एक या अधिक अंतरिम बंदोबस्त बोर्ड (आई बी एस) के गठन करने में समर्थ किया गया है। उपधारा (9) से उपधारा (13) , बंदोबस्त आयोग के समक्ष लंबित आवेदनों का निपटान करने के लिए उपबंध बनाने हेतु वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा धारा 245घ में पुरःस्थापित की गई थी।

3. उपधारा (9) का खंड (iv) यह उपबंध करता है कि उपधारा (6ख) के अनुसार, किसी आदेश का संशोधन करने या परिशोधन संबंधी आवेदन फाईल करने के लिए, समय-सीमा का तारीख 01.02.2021 को या इसके पश्चात् अवसान हो जाता है, तब तारीख 01.02.2021 से आईबीएस के गठन तक की अवधि का, समय-सीमा की संगणना करने से अपवर्जन किया जाएगा, और ऐसे अपवर्जन के पश्चात्, यदि आदेश का संशोधन करने या आवेदन करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा 60 दिवस से कम है, तो ऐसी अवधि को 60 दिवस तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसलिए धारा 245घ की उपधारा(9) के खंड (iv) के उपबंधों के अनुसार, तारीख 01.02.2021 से 10.08.2021 (जब आईबीएस के गठन का आदेश जारी किया गया था) तक के बीच की अवधिकी समय-सीमा की संगणना करने के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

4. इस संबंध में, परिशोधन/संशोधन संबंधी आदेश पारित करने के लिए, अधिनियम के अधीन आईबीएस के पास उपलब्ध समय के विस्तार के संबंध में पणधारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि लंबित आवेदन केवल, अभिलेख से स्पष्ट, गलती के परिशोधन या संशोधन से संबंधित है, यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे आदेशों को पारित करने के लिए आईबीएस के पास उपलब्ध समय सीमा को लंबित मामलों को निपटाने के लिए और किसी अतिरिक्त मुकदमेबाजी से बचने के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

5. तदनुसार, धारा 245घ की उपधारा (9) के खंड (iv) को एक नये खंड से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा(6ख) के अधीन आदेश का संशोधन करने या आवेदन करने की समय-सीमा का अवसान 01.02.2021 को या उसके पश्चात् , परंतु 01.02.2022 के पहले हो जाता है, तो ऐसी समय-सीमा तारीख 30.09.2023 तक विस्तारित रहेगी।

6. यह संशोधन 1 फरवरी, 2021 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगा।

[खंड 95]

संयुक्त आयुक्त (अपील) के प्राधिकारी की पुरःस्थापना

अधिनियम के अधीन अपीलों के लिए वर्तमान स्कीम के अनुसार, अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी निर्धारिती के लिए पहला अपीलीय प्राधिकारी आयुक्त (अपील) है। ऐसे आयुक्त(अपील)निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निर्धारण के किसी आदेश या शास्ति के किसी आदेश की पुष्टि, कम करने, वृद्धि करने या अभिशून्य/निरस्त करने का अधिकार है। आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील योग्य है।

2. यह देखा गया है कि अपील के लिए पहला प्राधिकारी, वर्तमान में आयुक्त (अपील) के पास अपीलों की बहुत अधिक संख्या तथा प्रत्येक वर्ष अग्रनित की गई लंबित अपीलों के कारण बहुत अधिक भार है।

इस बाधा को दूर करने के लिए अपील के लिए एक नए प्राधिकारी का ऐसे मामले, जिनमें लघु रकम के इप्सित विवाद सम्मिलित हैं, के कतिपय वर्ग का निपटान करने के लिए संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त स्तर पर सर्जित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। ऐसे प्राधिकारी को अपील के निपटान की प्रक्रिया के संबंध में आयुक्त (अपील) के समान सभी अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही हैं।

3. पूर्व धारा 246 उपायुक्त (अपील) के अपील संबंधी कृत्यों हेतु उपबंध कर रहीं थी। उस संस्था को वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया था। तदनुसार अधिनियम की धारा 246 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाईल किए जाने का उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने की ईप्सा करती है कि किसी निर्धारण अधिकारी (संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे) के निम्नलिखित आदेशों में से किसी के द्वारा व्यथित कोई निर्धारिती संयुक्त आयुक्त अपील को निम्नलिखित के विरुद्ध अपील कर सकेगा-

(i) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जो एक संसूचना है, जहां निर्धारिती ने समायोजन करने का आक्षेप किया है, या धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश, जहां निर्धारिती ने निर्धारण आय की रकम या कर अवधारण की रकम या संगणित हानि की रकम या उस प्रास्थिति जिसके अधीन उसका निर्धारण किया गया है का आक्षेप करता है;

(ii) धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना का कोई आदेश;

(iii) धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जो कोई संसूचना है;

(iv) धारा 201 के अधीन कोई आदेश;

(v) धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन कोई आदेश जो कोई संसूचना है;

(vi) धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश;

(vii) अध्याय 21 के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण का कोई आदेश; और

(viii) उपरोक्त (i)से (vii)में उल्लिखित आदेशों में से किसी आदेश का संशोधन करने के लिए धारा 154 या धारा 155 के अधीन कोई आदेश:

2. उपधारा (1) के अधीन एक परंतुक को अंतःस्थापित करने का यह प्रस्ताव किया गया है कि जहां इस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट कोई आदेश किसी उपायुक्त के पद से उपर किसी आयकर प्राधिकारी के द्वारा या अनुमोदन से पारित किया गया है, अपील संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष फाईल नहीं की जा सकती है।

3. प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध फाईल की गई कोई अपील आयुक्त(अपील), बोर्ड या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी आयकर प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, ऐसी अपील और ऐसी अपील से उद्भूत या सहबद्ध कोई मामला और जो मामला लंबित है, का अंतरण संयुक्त आयुक्त (अपील) को कर सकेगा जो ऐसी अपील

या मामले पर उसी प्रक्रम से आगे बढ़ेगा जहां वह अंतरण से पूर्व था। यह आयुक्त (अपील) के समक्ष फाईल की गई कतिपय विद्यमान अपीलों को संयुक्त आयुक्त (अपील) के पास अंतरण करने में समर्थ करेगा।

4. प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड या इस संबंध में बोर्ड द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई आयकर प्राधिकारी किसी ऐसी अपील जो किसी संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है और ऐसी अपील से उद्भूत या सहबद्ध कोई मामला और जो मामला लंबित है, का अंतरण आयुक्त (अपील) को कर सकेगा जो ऐसी अपील या मामले पर उसी प्रक्रम से आगे बढ़ेगा जहां वह अंतरण से पूर्व था।

5. प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई अपील उपधारा(2) या उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन अंतरित की गई है, अपीलार्थी को पुनः सुनवाई किए जाने का कोई अवसर प्रदान किया जाएगा।

6. प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अपील के निपटान के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई स्कीम बना सकेगी जिससे कि तकनीकी रूप से साध्य बनाने के लिए अपीलीय कार्यवाहियों में संयुक्त आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच आने वाले इंटरफेस को दूर करके पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किसी त्वरित रीति में अपीलों का निपटान किया जा सके और यह निदेश दे सके कि संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान के लिए क्षेत्राधिकारिता और प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होगा या अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन के साथ लागू होगा।

7. प्रस्तावित धारा की उपधारा(6) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उस उपधारा के उपबंध किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग के संबंध में लागू नहीं होंगे।

8. प्रवर्ग जिसके अधीन निर्धारिती का "व्यष्टिक", "हिंदू अविभक्त कुटुंब" और इसी प्रकार के रूप में निर्धारण किया गया है, का अर्थ निकालने के लिए "प्रास्थिति"को परिभाषित करने के लिए इस धारा में कोई स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

9. संयुक्त आयुक्त (अपील) के लिए एक परिभाषा अंतःस्थापित करके अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने और संयुक्त आयुक्त (अपील) को अधिनियम के अधीन एक आयकर प्राधिकारी बनाने के लिए अधिनियम की धारा 116 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

10. इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयुक्त आयुक्त (अपील) के कृत्य आयुक्त (अपील) के कृत्यों के साथ संरेखित हैं, अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में परिणामिक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

11. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 3, 60, 61, 62,64,65,73,75,76, 78,79,98,99,100,101,102,
103,104,107,109,110,111,112,115,117,120,121 और 122]

टीपी रिपोर्ट, आदि देने के लिए दिए गए समय का घटाया जाना

अधिनियम की धारा 92घ, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करता है या कोई विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार करता है, वह आय-कर नियम, 1962 (नियम) के नियम 10घ के अधीन उपबंधित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और उनका रख-रखाव करेगा।

2. अधिनियम की धारा 92घ की उपधारा (3) के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी (एओ) या आयुक्त (अपील), नियम के नियम 10घ में यथा उपबंधित, ऐसे व्यक्ति से कोई सूचना या दस्तावेज, इस संबंध में जारी किए गए नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, देने की अपेक्षा कर सकेगा। यह भी उपबंध किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने पर 30 दिन की अवधि का विस्तार अतिरिक्त 30 दिन की अवधि तक किया जा सकेगा।

3. यह अभ्यावेदन किया गया है कि कई अवसरों पर टीपी कार्यवाहियों के लिए सीमित समय उपलब्ध होने के कारण इस सूचना या दस्तावेज जो किसी मामले में पहले से ही निर्धारिती के कब्जे में है, को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 30 दिन देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। तदनुसार, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में सूचना या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय अवधि का सुव्यवस्थीकरण अपेक्षित है, जिससे कि एओ को लंबित कार्यवाहियों को पूरा करने और प्रस्तुत सूचना/दस्तावेज की परीक्षा करने की युक्तियुक्त समय की मात्रा उपलब्ध की जाए।

4. उपरोक्त को देखते हुए, निम्नलिखित उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 92घ की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है :-

(i) आय-कर अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) अधिनियम की धारा 92घ की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति, जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया हो, से इस संबंध में जारी नोटिस की प्राप्ति की तारीख के दस दिन की अवधि के भीतर, वहां निर्दिष्ट कोई सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ii) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार करने वाले ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर दस दिन की अवधि का विस्तार ऐसी अतिरिक्त अवधि तक कर सकेगा जो कि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 46]

अपील अधिकरण में अपीलों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 253 में अपील अधिकरण में अपीलें फाइल करने से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। उक्त धारा की उपधारा (1) में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन पारित ऐसे आदेशों के प्रकार का ब्यौरा दिया गया है, जिनके विरुद्ध व्यथित निर्धारिती अपील अधिकरण में अपील कर सकता है। उक्त उपधारा में यह उपबंधित है कि किसी आयुक्त (अपील) द्वारा धारा 154, धारा 250, धारा 270क, धारा 271, धारा 271क, धारा 271ज या धारा 272क के अधीन पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती अपील अधिकरण में अपील कर सकता है। अतः अपील अधिकरण आयुक्त (अपील) के ऐसे आदेशों के लिए अपील का प्रथम स्तर है।

2. अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन धारा 271ककख, 271ककग और 271ककघ में शास्ति अधिरोपित करने के लिए शास्ति उपबंध हैं। अधिनियम की धारा 271ककख में निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे किसी मामले में शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध है, जहां अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई है। अधिनियम की धारा 271ककग निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे किसी मामले में शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करती है, जहां अवधारित की गई आय में किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ में निर्दिष्ट कोई आय भी सम्मिलित है। अधिनियम की धारा 271ककघ में निर्धारण अधिकारी द्वारा तब शास्ति अधिरोपित करने के उपबंध अंतर्विष्ट हैं यदि अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाए रखी गई लेखाबहियों में कर दायित्व से बचने के लिए कोई मिथ्या प्रविष्टि की गई है या किसी ऐसी प्रविष्टि का लोप किया गया है जो ऐसे व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने के लिए सुसंगत है।

3. वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा धारा 271ककख , 271ककग और 271ककघ आयुक्त (अपील) को उक्त धाराओं के अधीन भी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश पारित करने हेतु समर्थ बनाने के लिए संशोधित की गई थीं। तथापि, इसके प्रति निर्देश को अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में अंतःस्थापित नहीं किया गया था, इसलिए व्यथित निर्धारिती, आयुक्त (अपील) द्वारा पारित ऐसे शास्ति आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता था जिसके कारण करदाता की शिकायत थी। अतः अधिनियम की धारा 253 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त (अपील) द्वारा 271ककख, 271ककग और 271ककघ के अधीन पारित किए गए शास्ति आदेशों के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील की जाएगी।

4. इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अधिनियम की धारा 263 को प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त को भी उक्त धारा के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाने हेतु संशोधित किया गया था। तथापि, अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित किए गए ऐसे आदेशों का अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में कोई निर्देश न होने के कारण किसी प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित किए गए किसी आदेश से या अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित ऐसे आदेश में सुधार करते हुए अधिनियम की धारा 154 के अधीन पारित किए गए आदेश से व्यथित निर्धारिती अपील अधिकरण में अपील नहीं कर सकता था। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि अधिनियम की धारा 253 को संशोधित किया जाए जिससे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित किसी आदेश या किसी ऐसे आदेश के संबंध में अधिनियम की धारा 154 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील की जाएगी।

5. अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (4) आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील में प्रत्यर्थी को अपील अधिकरण के समक्ष प्रति-आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुज्ञात करता है। तथापि, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपील अधिकरण को आयुक्त (अपील) से भिन्न प्राधिकारियों जैसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक के आदेशों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी, चाहे यह राजस्व विभाग है या निर्धारिती है, अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (4) के उपबंधों के फलस्वरूप अपील अधिकरण के समक्ष अपील के विरुद्ध प्रति-आक्षेप ज्ञापन फाइल नहीं कर सकता है। इससे शिकायतें पैदा होती हैं तथा ऐसे मामलों में उचित और साम्य निर्णय नहीं किया जा सकता है। अतः यह प्रस्ताव है कि धारा 253 की उपधारा (4) में संशोधन किया जाए जिससे सभी श्रेणी के ऐसे मामलों में प्रति-आक्षेप ज्ञापन फाइल करना समर्थ हो सके जिनके विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जहां निर्धारिती विवाद समाधान पैनल के आदेश के परिणामस्वरूप निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण

में अपील फाइल करता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी अपील में प्रति-आक्षेप फाइल करने में समर्थ होगा जिसमें वर्तमान में इसे फाइल नहीं किया जा सकता है।

6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 102]

तलाशी तथा अभिग्रहण के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन

अधिनियम की धारा 132 तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित उपबंध बनाती है। धारा, तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता, लेखा-बहियों या अन्य दस्तावेजों की पुस्तकों की जांच, साक्ष्य की अभिरक्षा के लिए सक्रिय, अस्थायी कुर्की इत्यादि के दौरान आयकर प्राधिकरण को शक्तिशाली करने के लिए ब्यौराबद्ध उपबंधों को बनाती है। धारा तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान या इसके पश्चात आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली समय सीमा का भी उपबंध करती है।

2. धारा यह उपबंध करती है कि तलाशी के क्रम के दौरान, प्राधिकृत अधिकारी ऐसी तलाशी के क्रम के दौरान निष्पादित की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही के लिए उसकी सहायता करने हेतु किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा तथा यह ऐसे अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अनुपालना करे। इस प्रकार, यहां यह भी उपबंध है कि प्राधिकृत अधिकारी मूल्यांकन अधिकारी को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य का आकलन करने के लिए निदेश दे सकेगा तथा ऐसा निदेश तलाशी के दौरान या तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार के कार्यान्वयन की तारीख से 60 दिन के भीतर दिया जा सकेगा।

3. पिछले कुछ समय पूर्व, प्रौद्योगिकी तथा डीजीटाईजेशन का प्रत्येक पहलू जिसके अंतर्गत प्रबंधन तथा लेखों का अनुरक्षण, डाटा का डीजीटाईजेशन, क्लाउड स्टोरेज इत्यादि आते हैं, में उपयोग में वृद्धि होने के कारण, तलाशी तथा अभिग्रहण की प्रक्रिया जटिल हो गई है, जिससे लेखों के पूर्ण तथा उचित विश्लेषण के लिए डाटा फॉरेंसिक, विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए डीकोडिंग डाटा इत्यादि के उपयोग की अपेक्षा रहती है। उसी प्रकार, वहां एक अप्रकटित आय रखने का रूझान है जिसे जंगम संपत्ति के अतिरिक्त बहुत प्रकार की विभिन्न आस्तियों या विनिधान के रूप में रखा जाता है। ऐसी आस्तियों के मूल्यांकन तथा सूचना को सुलझाने के लिए अधिकतर डीजीटल फॉरेंसिक वृत्तिक, मूल्यांकन, अभिलेख विशेषज्ञ इत्यादि जैसे विनिर्दिष्ट डोमेन विशेषज्ञ की अपेक्षा रहती है। इसके अतिरिक्त, अन्य वृत्तियों की सेवाओं जैसे ताला ठीक करने वाले, बढ़ई इत्यादि भी कार्य की जटिल प्रकृति के कारण बहुत से मामलों में अपेक्षित होते हैं।

4. अतः धारा के सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि तलाशी के क्रम के दौरान प्राधिकृत अधिकारी इस संबंध में तलाशी के प्रयोजन के लिए

उसे सहायता देने के लिए बोर्ड द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसरण में, प्रधान मुख्यायुक्त या प्रधान आयुक्त, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा यथाअनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व की अपेक्षा कर सकेगा। उसी प्रकार, तलाशी के पश्चात की जांच में, प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति या अस्तित्व तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन या द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन को निदेश दे सकेगा, जो विहित रीति में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य का आकलन करेगा तथा ऐसे निदेश की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर प्राधिकृत अधिकारी या निर्धारण अधिकारी को आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

6. वित्त अधिनियम, 2021 के अधिनियम से पूर्व, तलाशी के मामलों में ऐसे निर्धारण को करने के लिए प्रक्रिया धारा 153 क में लेखबद्ध थी तथा उनके पूर्ण करने की समय सीमा धारा 153 ख में लेखबद्ध की गई थी। 2021 में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, तलाशी के परिणामतः निर्धारण या पुनःनिर्धारण का अब निष्पादन अधिनियम की धारा 147 के अधीन किया जाता है तथा धारा 153 क तथा धारा 153 ख के उपबंध जब लागू नहीं होते हैं।

7. तलाशी की कार्यवाहियों के निष्कर्ष के दिन स्थापित करने के लिए तलाशी के मामलों में निर्धारण या पुनःनिर्धारण को पूर्ण करने के लिए समय सीमाएं ऐसी प्रक्रिया के दौरान अंतिम अनुमोदन के कार्यान्वयन से जुड़ी होती हैं, तथा जो धारा 153 ख में उपबंधित अंतिम अनुमोदन को संस्थापित करती हैं जैसा कि धारा 153 ख के उपबंध अब लागू नहीं होते हैं, अतः स्वातः ही धारा 132 के अधीन अंतिम अनुमोदन तथा उसके कार्यान्वयन के अर्थ को उपबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

8. यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगा।

[खंड 63]

कारबार पुनर्गठन के संबंध में उपबंध

वित्त विधेयक, 2022 द्वारा अधिनियम की धारा 170क अंतःस्थापित की गई थी, जिससे कि दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन अधिकरण या न्यायालय या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी कारबार पुनर्गठन के आदेश को प्रभावशील बनाने के लिए उपबंधों को बनाया जा सके।

2. यह धारा यह उपबंध करती है कि कारबार पुनर्गठन की दशा में, जहां अधिनियम की धारा 139 के अधीन उत्तराधिकारी द्वारा आय की विवरणी फाइल की है, ऐसा उत्तराधिकारी उस मास, जिसमें कारबार पुनर्गठन आदेश जारी हुआ था, की समाप्ति से छह मास के भीतर उपांतरित विवरणी, उक्त आदेश के अनुसरण में तथा उसकी सीमा में रहते हुए, प्रस्तुत करेगा। परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा तारीख 19 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सं.110/2022, द्वारा कंपनियों द्वारा ऐसी उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप तथा रीति विहित करते हुए नियम 12घ अधिसूचित किया गया है।

3. कारबार पुनर्गठन तथा कॉर्पोरेट पुनःसंरचना से संबंधित उपबंध कंपनी अधिनियम, 2013 जैसे अन्य कानूनों के अधीन भी उपलब्ध हैं। उपबंधों की विविधता को ध्यान में रखते हुए, गत वर्ष अधिनियम की धारा 170क के अंतःस्थापन से कतिपय मुद्दे सामने आये हैं। ये उन अस्तित्वों, जो सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए पूर्व में ही विवरणी प्रस्तुत कर चुके हैं, निर्धारण अधिकारी पर निर्धारण या पुनःनिर्धारण आदेशों को पारित या उपांतरित करने के लिए, उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की बाध्यता होती है, से संबंधित हैं। किसी अनाशयित मुकदमेबाजी से बचने के लिए, उसे स्पष्ट करने हेतु विधि का संशोधन प्रस्तावित है।

4. तदनुसार, धारा 170क को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 139 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे कारबार पुनर्गठन की दशा में, जहां दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथापरिभाषित अधिकरण या उच्च न्यायालय या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश की तारीख से पूर्व, किसी अस्तित्व द्वारा, जिसे यह आदेश लागू होता है, ने पूर्व वर्ष से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए कोई आय की विवरणी प्रस्तुत की है, उत्तराधिकारी उस मास के अंत से छह मास के भीतर, जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया था, एक उपांतरित विवरणी यथा विहित प्ररूप तथा रीति में उक्त आदेश के अनुसरण तथा सीमा में रहते हुए प्रस्तुत करेगा। यह पूर्वाधिकारी द्वारा फाइल विवरणी को उपांतरित करने की जहां आवश्यकता है, के लिए भी समर्थ करेगा।

5. उत्तराधिकारी अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत उपांतरित विवरणी के पश्चात निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया का कोई उपबंध नहीं है। अंतः यह उपबंधित किया जा रहा है कि यदि उपधारा (1)के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां पूर्ण हो चुकी हैं, तो निर्धारण अधिकारी इस प्रकार प्रस्तुत की गई उपांतरित विवरणी को ध्यान में रखते हुए कारबार पुनर्गठन के आदेश के अनुसरण में सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को उपांतरित करने के लिए एक आदेश पारित करेगा। जहां उपधारा (1)के अधीन उपांतरित विवरणी को प्रस्तुत करने की तारीख पर सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां लंबित हैं, निर्धारण अधिकारी इस प्रकार प्रस्तुत उपांतरित विवरणी को ध्यान में रखते हुए तथा कारबार पुनर्गठन के आदेश के अनुसरण में सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को निर्धारित या पुनःनिर्धारित करने का आदेश पारित करेगा।

6. से निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजन के लिए, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, अधिनियम के अन्य सभी उपबंध लागू होंगे तथा ऐसे निर्धारण वर्ष को लागू दर पर कर प्रभार्य होगा।

7. इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित निबधनों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है:-

- (i) 'कारबार पुनर्गठन'से कारबार का ऐसा पुनर्गठन अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों के कारबार का समामेलन या निर्विलयन या विलय भी अंतर्वर्तित है;
- (ii) 'उत्तराधिकारी' से कारबार पुनर्गठन में सभी परिणामिक कंपनियां अभिप्रेत हैं; चाहे ऐसे कारबार पुनर्गठन से पूर्व कंपनी विद्यमान थी या नहीं।

8. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

[खंड 77]

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण :-

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 46 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत आरंभिक अधिकारी भी है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा। अधिकांशतः आदेशों को आरंभिक अधिकारी या अनुमोदन अधिकारी तक पहुंचने में समय लगता है, इसलिए विहित समय सीमा के भीतर अपील फाइल करना कठिन है तथा ऐसी फाइल करने की प्रक्रिया में विलंब पैदा करता है।

2. अतः यह प्रस्तावित है कि बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 46 के उपबंधों का, यथास्थिति, आरंभिक अधिकारी के कार्यालय में या व्यथित व्यक्ति को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करना अनुज्ञात करने के लिए, संशोधन किया जा सके। बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 54क के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के निदेश से उसी तरह का परिवर्तन भी प्रस्तावित है।

3. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 18(2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, "उच्च न्यायालय", न्याय निर्णयन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे उच्च न्यायालय की अधिकारिता के रूप में परिभाषित है, जिसके भीतर या तो व्यथित पक्षकार साधारणतया निवास करता है या अभिलाभ के लिए कारबार करता है या व्यैक्तिक रूप से कार्य करता है, या यदि व्यथित पक्षकर सरकार है तो, उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता होगी जिसके भीतर प्रत्यर्थी या अधिक प्रत्यर्थी होने की दशा में कोई प्रत्यर्थी रहता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए कार्य करता है। यह देखा गया है कि अनिवासी, जिसके विरुद्ध बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है तथा जो परिभाषा में वर्णित अपीलार्थी या प्रत्यर्थी के वर्ग में नहीं है, किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं आता है।

4. अतः, अनिवासी अपीलार्थियों या प्रत्यर्थियों के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता को अवधारित करने के लिए, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध, अधिनियम की धारा 2(18) का संशोधन एक परंतुक का अंतःस्थापन करके "उच्च न्यायालय" की परिभाषा को उपांतरित करने के लिए प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां साधारणतया व्यथित पक्षकार किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता में कारबार नहीं करता है या व्यैक्तिक रूप से अभिलाभ के लिए कार्य नहीं करता है या जहां सरकार व्यथित पक्षकार है तथा कोई भी प्रत्यर्थी साधारणतया उच्च न्यायालय की अधिकारिता में नहीं रहता है या व्यैक्तिक रूप से अभिलाभ के लिए कार्य नहीं करता है, तब उच्च न्यायालय वह होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर आरंभिक अधिकारी का कार्यालय स्थित है।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 152]

अधिनियम की धारा 153 के अधीन समय-सीमा संबंधी उपबंधों की एकरूपता

वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा यथा प्रतिस्थापित अधिनियम की धारा 153 में निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःपरिकलन को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा उपबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (1) अधिनियम की धारा 143 या 144 के अधीन निर्धारण का आदेश करने के लिए समय-सीमा उस निर्धारण वर्ष के अंत से इक्कीस माह के रूप में उपबंधित है, जिसमें आय पहले निर्धारणीय थी। उसके पश्चात्, पश्चात्पूर्वी वित्त अधिनियमों द्वारा इक्कीस माह की इस समयवधि को कम करके उस निर्धारण वर्ष के अंत से नौ माह कर दिया गया है, जिसमें आय पहले निर्धारण वर्ष 2021-22 और बाद के निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारणीय थी। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम 2022 द्वारा अधिनियम की धारा 153 में उपधारा (1क) यह उपबंध करते हुए अंतःस्थापित की गई थी कि ऐसे मामले में जहां निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की गई है, वहां अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण का आदेश उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें ऐसी विवरणी प्रस्तुत की गई थी, नौ माह की समाप्ति से पूर्व किसी समय किया जा सकता है।

2. इसके अतिरिक्त, निर्धारिती को अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से तीन माह तक तामील की जा सकती है, जिसमें विवरणी प्रस्तुत की जाती है। इसका यह अर्थ है कि निर्धारण अधिकारी के पास निर्धारण करने के लिए अधिकतम छह माह का समय है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्वेषणों का करना, निर्धारितियों को सुनवाई के अवसर देना, मामले से सुसंगत अन्य सामग्री अभिलेख पर लाना, विभिन्न विधिक मामलों की न्यायिक स्थिति का विश्लेषण करना आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, पहचान विहीन (फेसलैस) निर्धारण से, निर्धारण के

विभिन्न पहलुओं को भिन्न-भिन्न इकाइयों अर्थात निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई, तकनीकी इकाई और पुनर्विलोकन इकाई द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अतः प्रत्येक एकल निर्धारण संवीक्षा में विभिन्न इकाइयों के बीच पर्याप्त समन्वय का होना आवश्यक है और तर्कसंगत तथा सकारण आदेश के लिए पर्याप्त समय का होना आवश्यक है।

3. तथापि, निर्धारण की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए छह माह की अवधि कम है। परिणामस्वरूप, करदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने या अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय न दिए जाने के कारण शिकायतें उद्भूत हो सकती हैं। इससे युक्तियुक्त आदेश करने तथा निर्धारितियों को नैसर्गिक न्याय उपलब्ध कराना जोखिम में पड़ सकता है। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि एक अप्रैल, 2022 को या इसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध समय उस निर्धारण वर्ष के अंत से 12 माह होगा, जिसमें आय पहले निर्धारणीय थी। उपरोक्त के अनुरूप, अद्यतन विवरणी के मामले में निर्धारण कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध समय को भी, उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें ऐसी विवरणी प्रस्तुत की गई है, बढ़ाकर 12 माह किए जाने का प्रस्ताव है।

4. इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अधिनियम की धारा 263 का संशोधन किया गया था जिससे प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त को भी उक्त धारा के अधीन पुनरीक्षण का आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। तथापि, अधिनियम की धारा 153 में उपधारा (3), (5) और (6) में कीमत अंतरण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनःनिर्धारण या धारा 92क के अधीन आदेश पारित करने के लिए उपबंधित समय-अवधि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेशों के प्रति निर्देश नहीं किया गया है। अतः यह प्रस्ताव है कि धारा 153 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए की उक्त उपधारा (3), (5) और (6) का उपबंध धारा 263 या धारा 264 के अधीन, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त अथवा प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेश पर भी लागू होगा।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त अधिनियम, 2021 के पूर्व ऐसे मामलों में, जहां अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या अधिनियम की धारा 132क के अधीन लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या अन्य आस्तियां अधिगृहीत की जाती हैं, वहां निर्धारिती, या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में निर्धारण, अधिनियम की धारा 153क, 153ख और 153ग, जो विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे मामलों के संबंध में हैं, के विशेष उपबंधों के अनुसार किया गया था। अधिनियम की धारा 153क में यह उपबंधित था कि अधिनियम की धारा 153क में दिए गए अनुसार छह निर्धारण वर्षों की अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण, यदि कोई है, और, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने की तारीख को लंबित सुसंगत

निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए या अधिनियम की धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा का उपशमन हो जाएगा। संवीक्षा कार्यवाहियों को बाद में अधिनियम की धारा 153क के उपबंधों के अधीन पुनः खोला जाएगा जिससे तलाशी की कार्यवाही के पश्चात् ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप उपलब्ध जानकारी के आधार पर आय के सही निर्धारण को तर्कसंगत रूप से पूर्ण किया जा सके।

6. वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अधिनियम की धारा 147 और पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों से संबंधित अन्य उपबंधों को यह उपबंध करते हुए संशोधित किया गया था कि तलाशी से संबंधित निर्धारण अधिनियम की धारा 147 के अधीन कार्यान्वित किए जाने हैं। तथापि, पुनःनिर्धारण से संबंधित अधिनियम के चालू उपबंधों में अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी या अधिनियम की धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की तारीख को लंबित किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाहियों का उपशमन या पुनर्जीवित करने के लिए उपबंध नहीं है। परिणामस्वरूप, किसी तलाशी में उपलब्ध जानकारी का, जिसका सरोकार लंबित संवीक्षा कार्यवाहियों से है, ऐसी कार्यवाहियों की परिसीमा के कारण प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

7. इसके अतिरिक्त, यदि सुसंगत तलाशी के मामले में अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया है, तो अभिगृहीत सामग्री आदि निर्धारण अधिकारी को ऐसी सामग्री या आंकड़ों की पूर्व-निर्धारण प्रक्रिया करने के कारण केवल कुछ समय पश्चात् अंतरित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी को तलाशी या अध्यपेक्षा कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप निर्धारिती की आय की संगणना करने के लिए अन्वेषण करने और साक्ष्य एकत्रित करने की भी आवश्यकता होती है। अतः अधिनियम के उपबंधों का संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे निर्धारण अधिकारी को अभिगृहीत सामग्री और किए गए अन्वेषण के आधार पर मामले की उचित संवीक्षा करने और धारा 132 के अधीन तलाशी या अधिनियम की धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप संवीक्षा अधीन सभी निर्धारण वर्षों के लिए पुनःनिर्धारण कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए परिसीमा की तारिखों को समरूप बनाने के लिए अनुज्ञात किया जा सके।

8. अतः यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 153 में एक नई उपधारा (3क) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जाए कि जहां धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने की तारीख को या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को निर्धारण या पुनःनिर्धारण लंबित है, वहां उक्त धारा की उपधारा (1), (1क) और (3) के अधीन, यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण पूर्ण करने के लिए उपलब्ध अवधि को ऐसे निर्धारिती के मामले में जहां ऐसी तलाशी धारा 132 के अधीन आरंभ की जाती है या ऐसी अध्यपेक्षा धारा 132क के अधीन की गई है या ऐसे निर्धारिती के मामले में जिससे अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई धन, बुलियन, जेवरात या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का ऐसे व्यक्ति से अभिग्रहण किया गया है या उससे उसके संबंध में अध्यपेक्षा की गई है या ऐसे निर्धारिती के मामले में

जिससे अभिगृहीत या अध्यपेक्षित किन्हीं लेखा बहियों या दस्तावेजों का उससे संबंध है या उनमें अंतर्विष्ट कोई जानकारी उससे संबंधित है, 12 माह बढ़ाया जाएगा।

9. इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1क) के पुरःस्थापन के परिणामस्वरूप, धारा 153 की उपधारा (3), (4), (6) तथा स्पष्टीकरण 1 के प्रथम परंतुक में उपधारा (1क) के प्रतिनिर्देश को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

10. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 72]

पहचान विहिन स्कीम और ई कार्यवाहियों से संबंधित उपबंधों का संशोधन

केंद्रीय सरकार ने करदाता और विभाग के बीच व्यक्ति से व्यक्ति के इंटरफेस को तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक समाप्त करके और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का उपबंध करके तथा एक गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ एक सहयोग-आधारित निर्धारण करने के लिए अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं।

2. अधिनियम में पुरःस्थापित इन संशोधनों के परिणामस्वरूप विभिन्न स्कीमों अधिसूचित की गई हैं और ई-कार्यवाहियों तथा पहचान विहिन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:

क्रम सं.	धारा	स्कीम
1	135क	ई-सत्यापन स्कीम, 2021
2	245इक	ई-विवाद समाधान स्कीम, 2022
3	245द	ई-अग्रिम विनिर्णय स्कीम, 2022
4	250	पहचान विहिन अपील स्कीम, 2021
5	275	पहचान विहिन शास्ति स्कीम, 2022

3. सुसंगत उपबंधों में इन संशोधनों को पुरःस्थापित करते समय, किसी समय बद्ध रीति में इन सुधारों का कार्यान्वयन करने के आशय के साथ निदेश जारी करने के लिए समय सीमाओं को भी कानूनों में निगमित किया गया था।

क्रम सं.	धारा	स्कीम
1	135क	31.03.2022
2	245इक	31.03.2023
3	245द	31.03.2023
4	250	31.03.2022
5	274	31.03.2022

4. इन स्कीमों के कार्यान्वयन से उद्भूत किसी समस्या से पार पाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीमें बदलते समय के अनुसार प्रवर्तन में रह सकें, उपबंधों के अधीन जारी किए गए निदेशों के संबंध में समायोजन किया जाना अपेक्षित होगा। तथापि, विद्यमान उपबंधों के अनुसार, सुसंगत समय अवधि के अवसान पर निदेशों का संशोधन या उपांतरण करने की कोई अभिव्यक्त शक्ति उपलब्ध नहीं है।

5. इसलिए सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां परिसीमा के अवसान अर्थात् यथास्थिति, 31 मार्च, 2022 या 31 मार्च, 2023 से पूर्व उस धारा के अधीन स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए कोई निदेश जारी किया गया है, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी समय ऐसे निदेश का संशोधन कर सकेगी।

6. ये संशोधन धारा 135क, धारा 250 और धारा 274 के लिए 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे। और धारा 245इक और 245द के लिए ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 66,96,97,100 और 116]

पुनःनिर्धारण कार्यवाहियों से संबंधित उपबंध

वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अधिनियम में आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण की प्रक्रिया को 1 अप्रैल, 2021 से संशोधित किया गया था। उक्त संशोधन ने, अन्य के साथ-साथ अधिनियम की धारा 147, धारा 148, धारा 149 को उपांतरित किया था और अधिनियम में एक नई धारा 148क भी पुरःस्थापित की थी। ऐसे मामलों में, जहां अधिनियम की धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की गई है या अधिनियम की धारा 132क के अधीन उससे लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या अन्य आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई है, तो अब निर्धारण या पुनःनिर्धारण उस वर्ष से पूर्व के सभी सुसंगत वर्षों के लिए, जिसमें वित्त अधिनियम, 2021 के पश्चात् तलाशी ली गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी, अधिनियम

की धारा 147 के अधीन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पुनःनिर्धारण कार्यवाहियों के उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा सुव्यवस्थित किया गया था।

2. अधिनियम के अधीन पुनःनिर्धारण कार्यवाहियां करने से संबंधित उपबंधों में उनका और अधिक सुव्यवस्थीकरण करने और उनके संचालन को सुकर बनाने तथा निर्बाध रीति में पूर्ण करने के लिए संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि अधिनियम की धारा 148 को यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जाए कि अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना के उत्तर में विवरणी उस माह के अंत से, जिसमें ऐसी सूचना जारी की जाती है, तीन माह के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जो निर्धारित द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए। तथापि, ऐसी कोई विवरणी, जो धारा 148 में आय की ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि से परे प्रस्तुत की जाती है, उसे अधिनियम की धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी नहीं समझा जाएगा। परिणामतः, पारिणामिक अपेक्षाएं अर्थात् धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना आदि ऐसी विवरणियों के लिए आज्ञापक नहीं होंगी।

3. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 147 के अधीन कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने के लिए अधिनियम की धारा 149 में परिसीमा की अवधि उपबंधित है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधिनियम की धारा 132 के अधीन किसी तलाशी की कार्रवाई दशा में, अधिनियम की धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के मामले और ऐसे मामलों में, जिनके लिए जानकारी उपरोक्त कार्यवाहियों से प्रकट होती है, अधिनियम की धारा 149 के अधीन जानकारी समझी जाती है और ऐसी दशाओं में ऐसे मामलों को पुनः खोलने से पूर्व अधिनियम की धारा 148क के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियां आवश्यक नहीं हैं।

4. ऐसे मामलों में, जहां अधिनियम की धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण किया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 148 के प्रयोजनार्थ जानकारी होना समझा जाएगा, किन्तु अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने से पूर्व अधिनियम की धारा 148क के अधीन कार्यवाहियां करने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि ऐसे मामलों में जहां पूर्वोल्लिखित तलाशी, अध्यपेक्षा या सर्वेक्षण कार्यवाहियां किसी वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के पश्चात् की जाती हैं, तो इस जानकारी को संबद्ध करने और अधिनियम की धारा 148क(ख) के अधीन कारण बताओ सूचना जारी करने के लिए बहुत ही कम समय होता है। इसके अतिरिक्त, तलाशी को अन्वेषण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है और सूचना निर्धारण अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है।

5. तथापि, कर अपवंचन का साक्ष्य 31 मार्च से पूर्व की गई ऐसी कार्यवाही के दौरान अभिलिखित किए गए कथनों या अभिगृहीत या परिबद्ध किए गए दस्तावेजों आदि से परिलक्षित हो सकता है, किन्तु ऐसी जानकारी या तलाशी से संबंधित सूचना का जारी किया जाना इसमें अंतर्वलित

प्रक्रिया के कारण उपबंधित परिसीमा से परे हो सकता है। अतः राजस्व चोरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम कुछ दिनों में की गई इन तलाशियों के परिणामस्वरूप अभिप्राप्त की गई सूचना के लिए समय की कमी के कारण अग्रसर नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, उक्त धारा में यह उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की जाती है या ऐसी तलाशी जिसके लिए अंतिम अनुमोदन या धारा 132क के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के पश्चात् अध्यपेक्षा की जाती है, तो धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ पंद्रह दिन की अवधि अपवर्जित की जाएगी और इस प्रकार जारी की गई सूचना उस वित्तीय वर्ष के मार्च माह के 31वें दिन जारी की गई समझी जाएगी।

6. अधिनियम की धारा 149 में एक अन्य परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में, जहां निर्धारण अधिकारी के पास जानकारी किसी वित्तीय वर्ष के मार्च माह के 31वें दिन या इससे पूर्व धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी या अंतिम प्राधिकार निष्पादित करने के परिणामस्वरूप या ऐसे वित्तीय वर्ष के मार्च माह के 15वें दिन के पश्चात् धारा 132क के अधीन की गई किसी अध्यपेक्षा में, यथास्थिति, अभिलिखित किए गए किसी कथन या समन अथवा सर्वेक्षण के अधीन परिबद्ध किए गए दस्तावेजों से प्रकट होना समझी जाती है, तो धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने के लिए और परिसीमा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ पंद्रह दिनों की अवधि अपवर्जित की जाएगी और ऐसे मामले में धारा 148क के खंड (ख) के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना को ऐसे वित्तीय वर्ष के मार्च माह के 31वें दिन जारी किया गया समझा जाएगा। यह भी उपबंध किया गया है कि परिबद्ध करना या तलाशी के परिणामस्वरूप कथन अभिलिखित करना या स्वयंमेव तलाशी केवल 31 मार्च से पूर्व होने चाहिए। समय-विस्तार का उपबंध, यथास्थिति, केवल धारा 148 या 148क के अधीन सूचना जारी करने के लिए प्रक्रिया में व्यतीत हुए समय के लिए किया गया है।

7. अधिनियम की धारा 151 में उस विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, जो अधिनियम की धारा 148 और 148क के प्रयोजनार्थ अनुमोदन प्रदान कर सकता है। उक्त धारा में यह उपबंधित है कि वह प्राधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त होगा और जहां कोई प्रधान मुख्य आयुक्त नहीं है, वहां मुख्य आयुक्त तीन वर्षों की अवधि के परे के लिए अनुमोदन देगा।

8. यह देखा गया कि उक्त धारा के खंड (ii) के गलत निर्वचन के परिणामस्वरूप तथा उन मामलों के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के विषय में भ्रम था, जहां सुसंगत निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों के पश्चात् निर्धारण को पुनः खोला जा रहा था। अतः इस विषय में विधि की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की

धारा 151 के खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक होगा।

9. साथ ही साथ, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के विषय में और अधिक स्पष्टता के लिए धारा 151 में एक परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ तीन वर्षों की अवधि की गणना करते समय उस अवधि को गणना में लिया जाएगा जो अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने के लिए अधिनियम की धारा 149 में के परंतुकों के अनुसार समय-सीमा में से अपवर्जित या विस्तारित की गई है।

10. ये संशोधन 1, अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 69,70 और 71]

वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट-योग्य लेखे का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति

अधिनियम की धारा 285खक में लेखा बहियां या किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार के अभिलेख को समाविष्ट करते हुए अन्य दस्तावेज या ऐसे अन्य रिपोर्ट-योग्य लेखे, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, विहित किए जाए, रजिस्टर करने या बनाए रखने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार के संबंध में विवरण या ऐसे रिपोर्ट-योग्य लेखे विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए आज्ञापक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा अधिनियम के अध्याय 21 में वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट-लेखे के गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति का उपबंध करने के लिए धारा 271चकक अंतःस्थापित की गई थी।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 114ज के अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले योग्य व्यक्तियों और खाताधारकों द्वारा स्व-प्रमाणन करना आज्ञापक बनाया गया है। इसमें, अन्य के साथ-साथ, ऐसे मामले सम्मिलित हैं जहां नये खाते खोले जाते हैं (देश के कर के स्थान को प्रमाणित करने के लिए), ऐसे मामले जिनमें पूर्व-विद्यमान खातों के लिए पहचान-चिन्ह को संसाधित करना अंतर्वलित है (देश के कर के स्थान को प्रमाणित करने के लिए) और यह प्रमाणित करने के लिए सत्ताओं के मामले कि क्या वे निष्क्रिय रिपोर्ट न करने वाली वित्तीय सत्ताएं हैं। जबकि एक विधिमान्य स्व-प्रमाणन होने की अपेक्षा को आय-कर नियम, 1962 के नियम 114ज में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथापि, मिथ्या स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने के लिए कोई शास्तिक उपबंध नहीं है जिसके परिणामस्वरूप धारा 285खक के अधीन गलत विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः मिथ्या स्व-प्रमाणन को शास्तिक बनाने के लिए अधिनियम में एक उपबंध का पुरःस्थापन करने की आवश्यकता है।

3. अतः उक्त धारा में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जाएगा कि यदि किसी विहित रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय संव्यवहार के विवरण में कोई गलती है और ऐसी गलती खाता धारक द्वारा प्रस्तुत की गई मिथ्या या गलत जानकारी के कारण है, तो ऐसी संस्था पर पांच हजार रुपये की शास्ति, ऐसी वित्तीय संस्था पर उक्त धारा में उद्गृहणीय शास्ति के अतिरिक्त, यदि कोई है, अधिरोपित करने योग्य होगी। यह शास्ति अधिनियम की धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्था खाता धारक की ओर से संदत ऐसी रकम की वसूली कर सकती है या उन धनराशियों में से प्रतिधारित कर सकती है जो उसके कब्जे में हों या ऐसे प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले खाता धारक से उसके पास आ सकती है।

4. यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 271चकक में उस विहित आय-कर प्राधिकारी के प्रति निर्देश, जो उक्त शास्ति उद्गृहीत करेगा, धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।

[खंड 114]

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के नए उपबंधों के परिणामस्वरूप संशोधन

अधिनियम की धारा 271ग में स्रोत पर कर कटौती के विफल होने पर शास्ति के उपबंध हैं। इस धारा के अधीन ऐसा व्यक्ति जो अध्याय 17ख (स्रोत पर कर कटौती-टीडीएस) के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित पूर्ण या कर के भाग की कटौती करने या धारा 115-ण (वितरित लाभों पर कर) के अधीन यथा अपेक्षित पूर्ण या कर के भाग का संदाय करने में या धारा 194ख (शब्द-वर्ग पहेली, लॉटरी, पहेलियों इत्यादि से जीत पर कर) के परंतुक के अधीन कटौती करने में विफल रहता है वह तो उस कर की उस रकम के समतुल्य किसी राशि की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसकी वह कटौती या संदाय करने में विफल रहा है। अधिनियम की धारा 276ख अध्याय 12-घ (धारा 115-ण के अधीन यथा अपेक्षित) के अधीन या अध्याय 17ख (स्रोत पर कर कटौती) के अधीन केंद्रीय सरकार के प्रत्यय के लिए कर का संदाय करने में विफल रहने के लिए अभियोजन का उपबंध करती है।

2. दो नए उपबंध- धारा 194द और धारा 194ध वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा अधिनियम में पुरःस्थापित किए गए थे। धारा 194द कारबार या वृत्ति की बाबत फायदे या परिलब्धि पर कर की कटौती के लिए उपबंध करती है। इसके अतिरिक्त विधेयक द्वारा ऑनलाइन गेम से प्राप्त सकल जीत-राशि (विनिंग्स) पर स्रोत पर कर कटौती का उपबंध करने के लिए अधिनियम में धारा 194खक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

3. धारा 194ध वर्चुअल डिजिटल आस्ति (वीडीए) के, उनकी अपनी प्रकृति के कारण, अंतरण पर संदाय से संबंधित कर की कटौती का उपबंध करती है। फायदा या परिलब्धि या वीडिआ से संबंधित संदाय,

पूर्णतः वस्तु रूप में या भागतः नकद में और भागतः वस्तु रूप में भी हो सकेगा। तदनुसार, धारा 194द का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि फायदे या परिलब्धि या वीडिए के मामले में “वस्तु रूप में” एक संगटक है तब उत्तरदायी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा की फायदा या परिलब्धि के जारी होने से पूर्व कर की अपेक्षित रकम संदत्त कर दी गई है।

4. वीडिए के मामले में, चूंकि अंतरण के लिए प्रतिफल दूसरे वीडिए (“पूर्णतः वस्तु के रूप में”) या भागतः वस्तु रूप में विनिमय हो सकेगा, इसलिए धारा 194ध का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि प्रतिफल का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा की प्रतिफल के जारी होने से पूर्व कर की अपेक्षित रकम संदत्त कर दी गई है।

5. इसी प्रकार, ऑनलाइन गेम की जीत-राशि के मामले में, प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध किया गया है कि जहां सकल जीत-राशि पूर्णतः वस्तु रूप में है या भागतः नकद में और भागतः वस्तु रूप में है, तो सकल जीत-राशि का संदाय करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि जीत-राशि निर्मुक्त करने से पूर्व सकल जीत-राशि के संबंध में कर का संदाय कर दिया गया है।

6. वर्तमान में, शास्ति और अभियोजन के उपबंध, कोई ऐसा व्यक्ति जो संदाय नहीं करता है या यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि किसी ऐसी स्थिति में कर का संदाय कर दिया गया है, जहां फायदा या परिलब्धि किसी वस्तु के रूप में पारित की गई है, के लिए शास्ति या अभियोजन को स्पष्ट रूप से आदेशित नहीं करते हैं। इसलिए, ऐसी शास्ति और अभियोजन को समर्थ बनाने के लिए धारा 194द के पहले परंतुक और धारा 194ध के पहले परंतुक का संदर्भ देते हुए उपधारा (1) में खंड (ख) के अधीन दो नए उपखंडों को अंतःस्थापित करके धारा 271ग का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। धारा 276 में भी इसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। मूल उपबंधों के साथ भाषा को समरूप करने के लिए धारा में प्रारूपण संबंधी परिवर्तनों का भी प्रस्ताव किया गया है।

7. ये संशोधन 1, अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे।

8. इसके अतिरिक्त, अधिनियम में धारा 194खक अंतःस्थापित करने के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, धारा 194खक की उपधारा (2) के प्रति निर्देश करते हुए धारा 271ग और 271ख के अधीन एक नया उपखंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

9. यह संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा।

[खंड113 और 119]

च उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

ब्याज कटौती योग्यता पर निर्बंधन से गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का अपवर्जन

अधिनियम की धारा 94ख किसी अनिवासी, जो उधारकर्ता के साथ सहबद्ध उद्यम है, द्वारा जारी किए गए किसी ऋण के संबंध में ब्याज संबंधी व्ययों की कटौती पर निर्बंधन का उपबंध करती है। यह किसी भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी कंपनी के स्थायी स्थापन, जो एक उधारकर्ता है, के संबंध में लागू होता है। यदि ऐसा व्यक्ति ब्याज या उसी प्रकृति के माध्यम से एक करोड़ रुपए से अधिक का कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जो “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में कटौती योग्य है, तो कटौती योग्य ब्याज, इसके ब्याज, कर, अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण से पूर्व इसकी आय (ईबीआईटीडीए) के 30 प्रतिशत की सीमा तक निर्बंधित होगा। इस धारा का परंतुक कतिपय ऐसे ऋणों को इसकी परिधि के भीतर लाता है, जो किसी ऐसे उधार देने वाले द्वारा जारी किया गया था जो उधारकर्ता के साथ सहबद्ध कोई उद्यम नहीं है।

2. अत्याधिक ब्याज कटौतियों द्वारा क्षरण और आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण के मुद्दे का समाधान करने के लिए जी-20-ओईसीडी देशों के तत्वाधान के अधीन आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) परियोजना के कार्य योजना 4 के संबंध में अंतिम रिपोर्ट में सिफारिश किए गए उपायों को कार्यान्वित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा अधिनियम में इस धारा को अंतःस्थापित किया गया था।

3. इस धारा की उपधारा 3, कतिपय ऐसी कंपनियों को जो बैंककारी या बीमा के कारबार में अंतर्वलित है, को इसकी परिधि से अपवर्जित करती है।

4. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कथन किया गया है कि ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसीएस) जो वित्त पोषण के कारबार में अंतर्वलित है, को भी इस धारा की परिधि से अपवर्जित किया जाना चाहिए था क्योंकि वे उसी प्रकार का कृत्य कर रही हैं और अब उन्हीं कृत्यों के संबंध में उसी प्रकार के विनियमों और अनुपालनों के अध्याधीन हैं।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 94ख की उपधारा 3 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों को उभारने का उपबंध किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 94ख की उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित इनके संबंध में लागू नहीं होगा-

(i) कोई भारतीय कंपनी या कोई विदेशी कंपनी का स्थायी स्थापन जो बैंककारी या बीमा के कारबार में अंतर्वलित है: या

(ii) ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों का वर्ग जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में यथा अधिसूचित की जाएं:

6. यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है कि इस धारा “गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी” के प्रयोजनों के लिए उसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के स्पष्टीकरण के खंड (vii) में दिया गया है।

7. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 47]

अधिनियम की धारा 196क के अधीन स्रोत पर कर कटौती(टीडीएस) के समय कर संधि राहत

अधिनियम की धारा 196क किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी के लिए कतिपय आय के संदाय पर 20% की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का उपबंध करती है। आय, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि इकाईयों की बाबत या अधिनियम की धारा 10 के खंड 35 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट कंपनी से अपेक्षित है।

2. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि कर संधि के फायदे पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के समय विचार किया जाना चाहिए जिससे कि यदि संधि 20%से निम्नतर दर का उपबंध करती है तो टीडीएस निम्नतर दर से किया गया जाएगा।

3. कर दाताओं द्वारा अनुरोध किए गए राहत का उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह परंतुक यह उपबंध करने की इप्सा करता है कि ऐसे किसी संदायकर्ता जिसके संबंध में ऐसा करार लागू होता है और ऐसा संदायकर्ता ने अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर निवासिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, के मामले में, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उस दर से होगा जो 20% की दर और अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में उपबंधित दर या दरों से निम्नतर है।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

[खंड 87]

5. किसी कर्मचारी के लिए देय संचित अतिशेष के संदाय पर टीडीएस(स्रोत पर कर कटौती)

अधिनियम की धारा 192क कर्मचारी भविष्य निधि 1952, के अधीन किसी कर्मचारी के लिए देय संचित अतिशेष के संदाय पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का उपबंध करती है। अधिनियम की धारा 192क के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, किसी कर्मचारी को देय एकमुश्त संदाय के कर योग्य

संघटक के 10% की दर से कर की कटौती का उपबंध करते हैं। इसके अतिरिक्त, जहां संदायकर्ता को ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदाय की संकलित रकम 50 हजार रुपए से कम है तो कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

2. अधिनियम की धारा 192क का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई ऐसी रकम, जिसपर कर कटौती योग्य है, को प्राप्त करने का हकदार है, ऐसी कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपना स्थायी लेखा संख्या (पैन) प्रस्तुत करेगा, जिसके विफल होने पर कर की अधिकतम सीमांत दर से कटौती की जाएगी।

3. यह देखा गया है कि बहुत से निम्न-संदत कर्मचारियों के पास स्थायी लेखा संख्या (पैन) नहीं होता है और इसीलिए उनके मामलों में टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की धारा 192क के अधीन अधिकतम सीमांत दर से कटौती की जाती है। अतः अधिनियम की धारा 192क के दूसरे परंतुक का लोप करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि व्यक्ति को देय संचित अतिशेष के संदाय के संबंध में उसके द्वारा स्थायी लेखा संख्या (पैन) के प्रस्तुत किए जाने में विफल रहने की दशा में, कर की कटौती अधिकतम सीमांत दर की बजाय अधिनियम की धारा 206कक के अनुसार 20% की दर से की जाएगी, जैसा कि अन्य पैन-विहिन मामलों में किया जाता है।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

[खंड 80]

विगत वर्ष की आय की विवरणी में पहले से प्रकटित आय के लिए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) को सुकर बनाना

ये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कई मामलों में कटौतीकर्ता द्वारा उस वर्ष में कर की कटौती की गई है जिसमें आय निर्धारिती को वास्तविक रूप से संदत की गई है। तथापि, प्रोद्भवन रीति का अनुसरण करते हुए, निर्धारिती अपनी आय की विवरणी में पूर्व वर्षों में इस आय को पहले से ही प्रकटित कर चुके हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) सुमेलित नहीं रहते हैं, चूंकि तत्संबंधी आय निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्षों में कर के लिए पहले से ही पेश की गई है, तथापि, टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की कटौती काफी बाद में हो रही है, जब वास्तविक संदाय किया जा रहा है। निर्धारिती उस वर्ष में टीडीएस के प्रत्यय का दावा नहीं कर सकता जिसमें कर की कटौती की गई है चूंकि उस वर्ष में आय कर के लिए पेश नहीं की गई है। उस विगत वर्ष की विवरणी का पुनरीक्षण करना संभाव्य नहीं होगा जिसमें तत्संबंधी आय को सम्मिलित किया गया था चूंकि उस वर्ष की आय की विवरणी को पुनरीक्षण करने का समय व्यपगत हो चुका है। इसका परिणाम निर्धारिती को टीडीएस के प्रत्यय का दावा करने में कठिनाई है।

2. इस कठिनाई को दूर करने के लिए, अधिनियम की धारा 115 में एक नई उपधारा 20 को अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह नई उपधारा वहां लागू होती है जहां किसी आय को किसी निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् “सुसंगत निर्धारण वर्ष” कहा गया है) के लिए अधिनियम की धारा 139 के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में सम्मिलित किया गया है और ऐसी आय पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है तथा किसी पश्चातवर्ती वित्त वर्ष में अध्याय 17-ख के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्यय के लिए संदत्त किया गया है। ऐसे मामले में निर्धारिती उस वित्त वर्ष, जिसमें स्रोत पर ऐसी कर कटौती की गई थी, के अंत से 2 वर्ष के भीतर निर्धारण अधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा। तब निर्धारण अधिकारी निर्धारण के आदेश का संशोधन करेगा या सुसंगत निर्धारण वर्ष में स्रोत पर ऐसी कर कटौती के प्रत्यय को अनुज्ञात करते हुए संसूचित करेगा। इसके अतिरिक्त यह उपबंध किया गया है कि अधिनियम की धारा 154 के उपबंध जहां तक हो सके उसके संबंध में लागू होंगे और उस धारा की उपधारा 7 में विनिर्दिष्ट 4 वर्षों की अवधि को उस वित्त वर्ष के अंत से गिना जाएगा जिसमें ऐसे कर की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त स्रोत पर कटौती किए गए ऐसे कर का प्रत्यय किसी अन्य निर्धारण वर्ष में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

3. अधिनियम की धारा 244क में संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपरोक्त परिशोधन से उद्भूत प्रतिदाय पर ब्याज आवेदन की तारीख से उस तारीख की अवधि तक के लिए होगा जिसको प्रतिदाय मंजूर किया गया है।

4. ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 74 और 93]

आयकर विवरणियां फाइल न करने वालों के लिए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती)/टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रहण) की उच्चतर दर के विशेष उपबंध से राहत

अधिनियम की धारा 206कख आयकर विवरणियों के गैर फाइलकर्ताओं के लिए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की उच्चतर दर के लिए विशेष उपबंध का उपबंध करती है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 206गगक आयकर विवरणियों के गैर फाइलकर्ताओं के लिए टीसीएस(स्रोत पर कर संग्रहण) की उच्चतर दर के लिए विशेष उपबंध का उपबंध करती है। इन धाराओं में ये गैर फाइलकर्ता “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” के रूप में निर्दिष्ट हैं

2. इन धाराओं में परिभाषित “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने उस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष, जिसमें कर की कटौती या संग्रहित (यथा स्थिति) किया जाना अपेक्षित है, के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है-

(i) जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का अवसान हो गया है: और

(ii) उसके मामले में उक्त पूर्ववर्ती वर्ष में संकलित स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण 50 हजार रुपए या अधिक है।

3. इन परिभाषाओं के परंतुक, विनिर्दिष्ट व्यक्ति की परिभाषा से किसी अनिवासी को अपवर्जित करते हैं, यदि अनिवासी का भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है।

4. ऐसे कतिपय व्यक्ति हो सकते हैं जिनके लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। ऐसी व्यक्तियों को गैर-फाइलकर्ताओं की श्रेणी में सम्मिलित करने का आशय नहीं है। अतः ऐसे मामलों में राहत का उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 206कख और 206गगक में “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” की परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि ऐसे व्यक्ति को, जिसके लिए उक्त पूर्ववर्ती वर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है और जो इस निमित्त राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है, का अपवर्जन किया जा सके।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 89 और 91]

अद्यतन विवरणी के संबंध में कर का सुव्यवस्थीकरण

अतिरिक्त कर के संदाय के साथ कतिपय शर्तों को पूर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्षों तक कर-दाताओं द्वारा किसी अद्यतन विवरणी को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा अधिनियम की धारा 139 में उपधारा (8क) अंतःस्थापित की गई थी। ऐसी अद्यतन विवरणी के संबंध में अतिरिक्त कर की रकम का अवधारण करने के लिए अधिनियम में धारा 140ख अंतःस्थापित की गई थी।

2. अधिनियम की धारा 140ख की उपधारा (4) अद्यतन विवरणी के संबंध में कर पर अधिनियम की धारा 234ख के अधीन ब्याज की संगणना के लिए उपबंध करती है। उक्त उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि अधिनियम की धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की, निर्धारित कर के किसी समतुल्य रकम या ऐसी रकम जिसके द्वारा निर्धारण कर में संदत्त अग्रिम कर की कमी के संबंध में गणना की जाएगी। इसमें यह अंतर्निहित है कि ब्याज केवल निर्धारण कर और अग्रिम कर के अंतर के संबंध में संदेय था। इसके अतिरिक्त उक्त उपधारा के खंड (क) का उपखंड (i) भी यह उपबंध करता है कि अग्रिम कर, जिसे आय की पूर्व विवरणी में दावा किया गया है उस रकम की संगणना हेतु ध्यान में रखा जाएगा जिस पर ब्याज का संदाय किया जाना था।

3. इसलिए अधिनियम की धारा 140ख की उपधारा (4) के उपबंधों को और स्पष्ट करने के लिए उक्त उपधारा में किसी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है की धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की

संगणना अग्रिम कर, प्रत्यय जिसके लिए पूर्व विवरणी, यदि कोई हो, में दावा किया गया है, कि रकम से घटाकर निर्धारण कर के समतुल्य किसी रकम पर की जाएगी।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 67]

कर के परिवर्जन की संभावना को दूर करने के लिए धारा 56 (2) (viiख) के क्षेत्र के भीतर गैर-निवासी विनिधानकर्ताओं को लाया जाना

आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 56(2) (viiख), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता वास्तविक रूप में हितबद्ध हो, पूर्व वर्ष में, किसी व्यक्ति के निवासी होते हुए, अंशों के निर्गमन के लिए कोई प्रतिफल, जो ऐसे अंशों के अंकित मूल्य से अधिक हो, प्राप्त करता है, वहां ऐसे अंशों के लिए प्राप्त किया गया संकलित प्रतिफल, जो अंशों के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो, 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा। आय-कर नियम का नियम 11पक अधिनियम की धारा 56(2) (viiख) के प्रयोजन के लिए गैर-उद्धृत साम्या अंशों के उचित बाजार मूल्य की संगणना के लिए फार्मूला का उपबंध करता है।

2. अधिनियम की धारा 56 की उपधारा 2 के खंड (viiख) का अंतःस्थापन वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा किसी निकटतः धारित कंपनी में निवासी विनिधानकर्ताओं से अंश प्रीमियम के उचित बाजार मूल्य से अधिक पर प्राप्त अंश प्रीमियम के माध्यम से गैर-लेखा धन के सृजन और परिसंचरण का निवारण करने के लिए किया गया है। तथापि, उक्त धारा गैर-निवासी विनिधानकर्ताओं से प्राप्त प्रतिफल (अंश आवेदन धन/अंश प्रीमियम) के लिए लागू नहीं होता।

3. तदनुसार, उक्त खंड से वाक्यांश 'निवासी होते हुए' को हटाकर, खंड (viiख) के क्षेत्र के अधीन किसी गैर-निवासी से भी प्राप्त प्रतिफल को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इससे, यह उपबंध किसी व्यक्ति से, उसके निवासीय प्रस्थिति को ध्यान में न रखते हुए, अंशों के निर्गमन के लिए प्रतिफल की प्राप्ति के लिए लागू हो जाएगा।

4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 और पश्चातवर्ती वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 32]

कर्मचारियों को प्रदान किए गए रिहायशी आवास के मूल्यांकन से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 17 के खंड (2) के अनुसार, "परिलब्धि" में, अन्य के साथ-साथ, किराया-मुक्त आवास का मूल्य या नियोजक द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किए गए किराये के मामलों में किसी रियायत का मूल्य सम्मिलित है। कर्मचारियों के दो प्रवर्गों के लिए

परिलब्धियों के मूल्यांकन की विभिन्न क्रिया-विधियों के साथ नियोजक या तो केंद्रीय/राज्य सरकार हो सकता है या इससे भिन्न हो सकता है।

2. तथापि, किराया-मुक्त आवास के मूल्य की संगणना करने के लिए क्रिया-विधि आय-कर नियम, 1962 (नियम) के नियम 3 में विहित है, जबकि नियोजक द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले किराए के मामलों में किसी रियायत के मूल्य की संगणना करने के लिए क्रिया-विधि धारा 17 के खंड (2) के स्पष्टीकरणों में विहित है।

3. परिलब्धि के मूल्य की संगणना करने के लिए नियमों में एकसमान क्रिया-विधि विहित करके इस उपबंध का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए और नियोजकों द्वारा प्रदान किए गए आवास की बाबत परिलब्धियों के दो प्रवर्गों का स्पष्ट रूप से वर्गीकरण करने के लिए, अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (i) और (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है। निधारिती को उसके नियोजक द्वारा प्रदान किए गए किराया-मुक्त आवास के मूल्य और उसके नियोजक द्वारा निधारिती को रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी आवास के मूल्य की संगणना करने के लिए क्रिया-विधि विहित करने की शक्ति लेने का प्रस्ताव है।

4. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आवास एक रियायती दर पर प्रदान किया गया तब समझा जाएगा यदि संगणित आवास का मूल्य निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

5. इसके अतिरिक्त, इस धारा का सुव्यवस्थीकरण करने और कर्मचारी को उसके नियोजक द्वारा प्रदान किए गए आवास के मूल्य की विहित नियमों द्वारा उचित संगणना करने की पद्धति को विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3 और स्पष्टीकरण 4 को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

6. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10]

भारत में निर्यात आगमों के प्रति प्रतिफल लाने के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट करना :

अधिनियम की धारा 10कक के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, विशेष आर्थिक जोन में स्थापित यूनिट को 15 वर्ष का कर फायदा उपबंधित करती है, जो 1 अप्रैल, 2005 को या के पश्चात् विनिर्माण या वस्तुओं या चीजों का उत्पादन या सेवाएं प्रदान करना आरंभ करती है। कटौती उन यूनिटों को उपलब्ध है जिन्होंने 1 अप्रैल, 2020 से पूर्व प्रचालन आरंभ किया है, जिसे कराधान तथा अन्य

विधियां (शिथिलिकरण तथा कतिपय उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से 30 सितंबर, 2020 तक विस्तारित किया गया है तथा उसमें विनिर्दिष्ट रीति में अनुज्ञात है।

2. तथापि, उक्त धारा वैसी ही कटौतियों के लिए दावा करने के लिए, जैसा कि इसी प्रकार की कटौतियों के लिए उपबंध किया गया है, यथा उपबंधित कटौती दावा करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित देय तारीख से पूर्व विवरणी फाइल करने के लिए शर्त उपबंध नहीं करती है। तथापि, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि धारा 10कक के अधीन कटौती तब पात्र होगी, यदि ऐसी आय की विवरणी देय तारीख से पूर्व फाइल की गई है। अतः अधिनियम के दोनो उपबंधों की एकरूपता के लिए, अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (1) के परंतुक का अंतःस्थापन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कोई कटौती किसी निर्धारित को, जो धारा 139 की उपधारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या से पूर्व आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है, अनुज्ञात नहीं होगी।

3. इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि उक्त धारा के अधीन कटौती का दावा करने के लिए विशेष आर्थिक जोन द्वारा माल के विक्रय या सेवाओं के उपबंध से निर्यात आगमों का समय से भीतर प्रेषण करने के लिए अधिनियम में कोई विहित समय सीमा नहीं है, जैसा कि अधिनियम में अन्य वैसी ही निर्यात संबंधी कटौतियों के अधीन उपबंधित है। अतः, एक नई उपधारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध हो सके कि ऐसी यूनिट के लिए अधिनियम की धारा 10कक के अधीन कटौती उपलब्ध होगी, यदि माल के विक्रय या सेवाओं के उपबंधों से निर्धारित द्वारा भारत में आगम पूर्व वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर या इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी ऐसी और अवधि के लिए अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेश विनिमय में प्राप्त की गई है या लाई गई है।

4. इस नई अंतःस्थापित उपधारा के प्रयोजन के लिए, "सक्षम प्राधिकरण" अभिव्यक्ति से भारत का रिजर्व बैंक या ऐसा प्राधिकरण अभिप्रेत होगा, जो विदेश विनिमय में संदाय तथा व्यौहार विनिमय करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकृत है।

5. यह भी प्रस्तावित है कि यदि माल के विक्रय या सेवाओं के उपबंधों से निर्यात आगमों को भारत में प्राप्त हुआ समझा जाएगा, जहां माल के विक्रय या सेवाओं के उपबंधों से ऐसी प्राप्तियां निर्धारित द्वारा भारत के रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत के बाहर किसी बैंक के साथ प्रयोजन के लिए अनुरक्षित पृथक खाते में जामा की गई है।

6. इसके अतिरिक्त, 'संपरिवर्तनीय विदेशी विनियम' पद को परिभाषित करने के लिए और नई उपधारा (4क) का 'निर्यात आवर्त' की परिभाषा में निर्देश देने के लिए उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 का खंड (i) को प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

7. इसके अतिरिक्त, धारा 10कक का अंतःस्थापन करने के लिए अधिनियम की धारा 155 की उपधारा (11क) में पारिणामिक संशोधन करना प्रस्तावित है, जिससे निर्धारण अधिकारी को बाद में निर्धारण आदेश का संशोधन करना अनुज्ञात हो जाए, जहां अनुज्ञात अवधि के पश्चात् भारत में निर्यात उपार्जन वसूला जाना है।

8. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6 और 74]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का प्रवर्गीकरण

अधिनियम की धारा 43ख, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और व्यवस्थित ढंग से आवश्यक गैर-जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग कंपनी से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में निर्धारित द्वाारा संदेय कोई रकम, भुगतान आधार पर कटौती के रूप में अनुज्ञात होगी। यह प्रोद्भूत आधार पर अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सुसंगत पूर्व वर्ष की आय की विवरणी के देने की देय तारीख पर या उससे पहले इसका वास्तविक भुगतान कर दिया गया है।

2. अधिनियम की धारा 43घ, अन्य बातों के साथ, जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और व्यवस्थित ढंग से आवश्यक गैर-जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आय के मामले में विशेष उपबंध करने का उपबंध करती है। ऐसी जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और व्यवस्थित ढंग से आवश्यक जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा कतिपय वर्गों के डूबा या शंकास्पद ऋण के संबंध में ब्याज आय, उस पूर्व वर्ष में कर से प्रभार्य होगी, जिसमें वह उस वर्ष के लिए उसके लाभ और हानि लेखा में जमा की गई है या वास्तविक रूप में प्राप्त की गई है, जो भी पहले हो।

3. अधिनियम की धारा 43ख और 43घ वर्तमान में दो तत्कालीन प्रवर्गों के एन बी एफ सी अर्थात् जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और व्यवस्थित ढंग से आवश्यक गैर-जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उपयोग करती है। आस्ति के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए भारत का रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ऐसा वर्गीकरण का अनुसरण नहीं किया जाता है।

4. उपरोक्त को देखते हुए शब्द 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए' के लिए शब्द "जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और व्यवस्थित ढंग से आवश्यक गैर-जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 43ख और 43घ के संशोधन का प्रस्ताव है।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 13 और 14]

नकद में प्राप्त लाभों और परिलब्धियों पर स्पष्टता प्रदान करना

अधिनियम की धारा 28 में उस आय के लिए उपबंध किया गया है जो 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य होगी। इस धारा का खण्ड (iv) कारबार या किसी पेशे के प्रयोग से उद्भूत किसी लाभ या परिलब्धि के मूल्य को प्रभार्य बनाता है, चाहे वह धन में परिवर्तित किए जाने योग्य है या नहीं। यह उपबंध वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था और इस अधिनियम के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए तारीख 7 जुलाई, 1964 को परिपत्र सं. 20घ स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करते हुए जारी किया गया था कि ऐसा लाभ नकद या वस्तु रूप में हो सकता है। अतः इस उपबंध को पुरःस्थापित करते हुए विधानमंडल का आशय ऐसे लाभ या परिलब्धि को भी सम्मिलित करना था चाहे वह नकद में हो या वस्तु रूप में। तथापि, न्यायालयों ने यह निर्वचन किया है कि यदि लाभ या परिलब्धि नकद में हैं, तो यह अधिनियम की धारा 28 के इस खंड की व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2. इस उपबंध को विधानमंडल के आशय के अनुरूप बनाने के लिए, अधिनियम की धारा 28 के खंड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध ऐसे मामलों को भी लागू होंगे जहां प्रदान किया गया लाभ या परिलब्धि नकद में है या वस्तु रूप में है या भागतः नकद में है और भागतः वस्तु रूप में है।

3. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024- 2025 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा।

[खंड 11]

4. अधिनियम की धारा 194द किसी निवासी को कारबार या किसी पेशे के प्रयोग से उद्भूत लाभ या परिलब्धि पर कर की कटौती करने के लिए उपबंध करते हुए वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा अंतःस्थपित की गई थी।

5. उक्त धारा की उपधारा (1) ऐसे लाभ या परिलब्धि के मूल्य या संकलित मूल्य के 10प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उपबंध करती है। स्रोत पर कर की कटौती करने का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर नियत किया गया है जो किसी निवासी को, ऐसे लाभ या परिलब्धि, जो ऐसे निवासी को किसी कारबार या पेशे के प्रयोग से उद्भूत हुआ है, प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, चाहे यह धन में सपरिवर्तनीय है या नहीं।

6. उपधारा (1) का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसे किसी मामले में जहां, यथास्थिति, लाभ या परिलब्धि पूर्णतः वस्तु रूप में है या भागतः नकद में है और भागतः वस्तु रूप में है किंतु नकद में का ऐसा भाग ऐसे संपूर्ण लाभ या परिलब्धि के संबंध में कर की कटौती के दायित्व की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसा लाभ या परिलब्धि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा लाभ या परिलब्धि निर्मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ या परिलब्धि के संबंध में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित कर का संदाय कर दिया गया है।

7. उपधारा (2) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा (केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से) कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उपबंध करती है। तदनुसार, तारीख 16 जून, 2022 का परिपत्र सं. 12 जारी किया गया था। इस परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया है कि धारा 194द के अधीन कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है चाहे लाभ या परिलब्धि नकद में है या वस्तु रूप में।

8. तदनुसार, अधिनियम की धारा 194द के साथ एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) के उपबंध लाभ या परिलब्धि को लागू होंगे, चाहे यह नकद में हो या वस्तु रूप में या भागतः नकद में या भागतः वस्तु रूप में हो।

9. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा।

[खंड 86]

पूर्त न्यास और संस्थाओं के उपबंध का सुव्यवस्थीकरण

1. पृष्ठभूमि

1.1 अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की या अधिनियम की धारा 12कक या 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था की आय विभिन्न धाराओं के अधीन उपबंधित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए, छूट-प्राप्त है। इन न्यासों या संस्थाओं को छूट दो प्रणालियों के अधीन उपलब्ध है-

- (i) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv)या उपखंड (v) या उपखंड (vi)या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए प्रणाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था कहा गया है) ; और

- (ii) अधिनियम की धारा 12कक/ 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यासों के लिए प्रणाली (जिसे इसमें इसके पश्चात वित्तीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था कहा गया है)।

1.2. अधिनियम की धारा 12 में, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 11 और 12 के अधीन छूट का दावा करने के लिए न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। अधिनियम की धारा 12कख नई धारा है जो तारीख 13अप्रैल, 2021 से प्रभावी हुई थी।

2. काय (कॉर्पस) का वापस जमा किया जाना और ऋणों या उधारों का प्रतिसंदाय

2.1 अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, न्यासों और संस्थाओं द्वारा दोनों प्रणालियों के अधीन प्राप्त कॉर्पस दान निम्नलिखित प्रकार से छूट-प्राप्त हैं: -

क) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1 में यह उपबंधित है कि निधियों या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय उस आय में सम्मिलित नहीं होगी जो इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ किए गए स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में है कि वे इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कॉर्पस का भाग होगी कि ऐसे स्वैच्छिक अभिदायों का विनिधान या जमा ऐसे कॉर्पस के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट रूप से बनाए रखे गए एक या अधिक रूपों या ढंगों में किया जाएगा।

ख) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यह उपबंधित है कि इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ किए गए स्वैच्छिक अभिदाय कि वे न्यास या संस्था के कॉर्पस का भाग होंगे, न्यास या संस्था की कुल आय में इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए सम्मिलित नहीं किए जाएंगे कि ऐसे स्वैच्छिक अभिदायों का अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट ऐसे कॉर्पस के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाए रखे गए एक या अधिक रूपों या ढंगों में विनिधान या जमा करेंगे।

ग) कॉर्पस के बाहर उपयोजन को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं समझा जाएगा। तथापि, जब ऐसे कॉर्पस के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाए रखे गए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या ढंगों में इसका पूर्ववर्ती वर्ष की आय से वापस विनिधान या जमा किया जाता है, तो ऐसी रकम को ऐसे जमा या

विनिधान की सीमा तक उस पूर्ववर्ती वर्ष में उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें इसका ऐसे कॉर्पसमें वापस जमा किया जाता है।

घ) ऋणों और उधारों से उपयोजन को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक और अधिनियम की धारा 11 के खंड (क) और (ख) के प्रयोजनार्थ पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में नहीं समझा जाएगा। तथापि, जब ऋण या उधार का प्रतिसंदाय पूर्व वर्ष की आय से किया जाता है, तो ऐसे प्रतिसंदाय को उस पूर्ववर्ती वर्ष में ऐसे प्रतिसंदाय की सीमा तक उपयोजनके रूप में समझा जाएगा जिसमें इसे प्रतिसंदत किया जाता है।

2.2 अधिनियम, 2021 द्वारा कॉर्पस और ऋण या उधार से संबंधित उपबंधों को वित्त हाल ही के परिवर्तनों को कार्यान्वित करते हुए यह ध्यान में आया है कि कॉर्पस या ऋण या उधार से उपयोजन का दावा तारीख 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व उपयोजन के रूप में पहले ही किया गया है। अतः ऐसी रकम को कॉर्पस में विनिधान करने या वापस जमा करने या ऋण या उधार के प्रतिसंदाय के रूप में पुनः उपयोजन किया जाना अनुज्ञात करना दोहरी कटौती की कोटि में आयेगा।

2.3 यह भी पाया गया कि कोई न्यास रकम को वापस कॉर्पस में जमा कर सकता है या कॉर्पस या ऋण से उपयोजन के कई सारे वर्षों के पश्चात् ऋण का प्रतिसंदाय कर सकता है और ऋण के ऐसे प्रतिसंदाय या कॉर्पस में विनिधान/वापस जमा करने का पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में दावा कर सकता है। विनिधान या कॉर्पस में वापस जमा करने या ऋण के प्रतिसंदाय के लिए अनिश्चित अवधि की उपलब्धता से इन उपबंधों का कार्यान्वयन अत्यंत कठिन हो जाएगा।

2.4 इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के मामले में जिन शर्तों का समाधान किया जाना अपेक्षित है, उनका कॉर्पस या ऋण या उधार से उपयोजन करते हुए भी समाधान किया जाना आवश्यक है। ये शर्तें निम्नलिखित हैं: -

(i) ऐसा उपयोजन किसी अन्य न्यास को कॉर्पस दान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए [प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) का बारहवां परंतुक और द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 2];

(ii) स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस), यदि लागू होती है, तो ऐसा उपयोजन पर कटौती की जानी चाहिए [प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) का तेहरवां परंतुक और द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 3];

(iii) ऐसा उपयोजन अनुज्ञात नहीं है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को एक दिन में विनिर्दिष्ट ढंगों से भिन्न (जैसे की नकद) ढंग द्वारा किया गया संदाय या संकलित संदाय 10 हजार रुपये से अधिक है [प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) का तेहरवां परंतुक और द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 3];

(iv) अधिक उपयोजन को अग्रेषित करना या मुजरा करना अनुज्ञात नहीं है [प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) का स्पष्टीकरण 2 और द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 5];

(v) उस वर्ष में उपयोजन अनुज्ञात है जिस वर्ष में इसका वास्तव में संदाय किया जाता है [प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) का स्पष्टीकरण 2 और द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण];

(vi) उपयोजन से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा नहीं मिलना चाहिए और न्यास या संस्था की आय से ऐसे व्यक्ति को कोई फायदा उत्पन्न नहीं होना चाहिए [प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) का इक्कीसवां परंतुक और द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के लिए अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) का खंड (ग)];

(vii) उपयोजन, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय, भारत में होना चाहिए।

2.5 दोनों छूट-प्राप्त प्रणालियों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि तारीख 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व कॉर्पस या ऋणों या उधारों के बाहर उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में तब मंजूर नहीं किया जाना चाहिए जब ऐसी रकम को कॉर्पस में वापस जमा या विनिधान किया जाता है या जब ऋण या उधार का प्रतिसंदाय किया जाता है। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि यदि न्यास या संस्था कॉर्पस में रकम का वापस विनिधान या जमा करता है या कॉर्पस या ऋण से उपयोजन के पांच वर्षों के भीतर ऋण का प्रतिसंदाय करता है, तब ऐसे विनिधान/कॉर्पस में वापस जमा करना या ऋण का प्रतिसंदाय करना पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कॉर्पस या ऋण से उपयोजन से पैरा 2.4, में यथा उल्लेखित शर्तों का समाधान नहीं किया जाता है, वहां ऋण का प्रतिसंदाय या विनिधान/ऐसी रकम को कॉर्पस में वापस जमा करना उपयोजन के रूप में नहीं समझा जाएगा।

2.6 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है :-

(i) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में दूसरे परंतुक का अंतःस्थापन करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम परंतुक के उपबंध केवल तब लागू होंगे यदि कॉर्पस से किए गए उपयोजन के समय अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के बाहरवें, तेहरवें और इक्कीसवें परंतुक और स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था ;

(ii) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तृतीय परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में तृतीय परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिधान या वापस जमा की गई रकम को प्रथम परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए तब तक उपयोजन के रूप में नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा विनिधान या जमा उस पूर्ववर्ती वर्ष के अंत से पांच वर्षों की अवधि के भीतर नहीं किया गया है जिस वर्ष में कॉर्पस से ऐसा उपयोजन किया गया था ;

(iii) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तृतीय परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में एक चौथे परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां कॉर्पस से उपयोजन मार्च, 2021 के 31वें दिन से पूर्व किया गया है ;

(iv) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तृतीय परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (2) में एक द्वितीय परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम परंतुक के उपबंध केवल वहां लागू होंगे यदि ऋण या उधार से किए गए उपयोजन के समय अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के बाहरवें, तेहरवें, इक्कीसवें परंतुक और स्पष्टीकरण 2 और 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था ;

(v) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तृतीय परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (2) में एक तृतीय परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिसंदाय की गई रकम को प्रथम परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा प्रतिसंदाय उस पूर्ववर्ती वर्ष के अंत से पांच वर्षों की अवधि के भीतर नहीं किया गया है जिस वर्ष के दौरान ऋण या उधार से ऐसा उपयोजन किया गया था ;

(vi) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तृतीय परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में एक चौथे परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां किसी ऋण या उधार से उपयोजन मार्च, 2021 के 31वें दिन को या इससे पूर्व किया गया है;

(vii) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (i) में एक द्वितीय परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम परंतुक के उपबंध केवल तब लागू

होंगे यदि खंड (ग) और उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2, 3 और 5 तथा अधिनियम की धारा 11 के स्पष्टीकरण और अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तों का कॉर्पस से उपयोजन के समय अतिक्रमण नहीं हुआ था ;

(viii) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (i) में एक तृतीय परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिधान या वापस जमा की गई रकम को प्रथम परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए तब तक उपयोजन के रूप में नहीं समझा जाएगा जब तक उस पूर्ववर्ती वर्ष के अंत से, जिसके दौरान कॉर्पस से ऐसी उपयोजन किया गया था, पांच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसा विनिधान या जमा न किया गया हो ;

(ix) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (i) में एक चौथे परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां कॉर्पस से उपयोजन मार्च, 2021 के 31वें दिन को या इससे पूर्व नहीं किया गया है ;

(x) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ii) में एक चौथे परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम परंतुक के उपबंध केवल तब लागू होंगे यदि खंड (ग) और उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2, 3 और 5 तथा अधिनियम की धारा 11 के स्पष्टीकरण और अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तों का ऋण या उधार से किए गए उपयोजन के समय अतिक्रमण नहीं हुआ था ;

(xi) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ii) में एक तृतीय परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिसंदाय की गई रकम को प्रथम परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा प्रतिसंदाय उस पूर्ववर्ती वर्ष के अंत से पांच वर्षों की अवधि के भीतर न किया गया हो जिसके दौरान ऋण या उधार से ऐसा उपयोजन किया गया था ;

(xii) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ii) में एक चौथे परंतुक का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी ऋण या उधार से उपयोजन मार्च, 2021 के 31वें दिन को या इससे पूर्व नहीं किया गया है।

2.7 ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे।

[खंड 5 और 7]

3 अन्य न्यासों को दिए गए दान का विवेचन

3.1 न्यासों और संस्थाओं की आय दोनों प्रणालियों के अधीन कतिपय शर्तें पूर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए छूट-प्राप्त है। ऐसी कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं :-

क) न्यास या संस्था की कम-से-कम 85 प्रतिशत आय को वर्ष के दौरान पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानी चाहिए जिससे पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए इसका न्यूनतम उपयोजन सुनिश्चित हो सके।

ख) न्यासों या संस्थाओं को अनुज्ञा है कि वे अपनी आय का आज्ञापक 85 प्रतिशत या तो स्वयं उपयोजन करें या इसी प्रकार के उद्देश्यों से दान करके उपयोजन करें।

ग) यदि अन्य न्यासों या संस्थाओं को दान किया गया है, तो दान कॉर्पस में नहीं किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दान का उपयोजन दाता न्यास द्वारा किया गया है।

घ) अतः प्रत्येक न्यास या संस्था को प्रति वर्ष अपनी 15 प्रतिशत आय का संचय करने की अनुज्ञा है।

3.2 इस प्रकार के दृष्टांत ध्यान में आए हैं कि कतिपय न्यास या संस्थाएं अनेक न्यासों का गठन करके और प्रत्येक सतह में 15 प्रतिशत का संचय करके विधानमंडल के आशय को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक न्यासों की स्थापना करने और प्रत्येक प्रक्रम पर 15 प्रतिशत का संचय करने से पूर्ण या धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आज्ञापक 85 प्रतिशत के प्रभावी उपयोजन की तुलना में घटकर महत्वपूर्ण रूप से एक कमतर प्रतिशतता तक हो जाती है।

3.3 पूर्ण या धार्मिक प्रयोजन के लिए आशयित उपयोजन को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि किसी न्यास या संस्था द्वारा प्रथम या द्वितीय प्रणाली के अधीन किसी अन्य न्यास को प्रथम या द्वितीय प्रणाली के अधीन किए गए दान को ऐसे दान का केवल 85 प्रतिशत की सीमा तक उपयोजन के रूप में समझा जाएगा। तदनुसार, निम्नलिखित संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है:-

क) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 में खंड (iii) का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय से बाहर, बाहरवें परंतुक में निर्दिष्ट रकम से भिन्न, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था में जमा या संदत्त रकम पूर्ण या

धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसी जमा या संदत्त रकम के केवल पचासी प्रतिशत की सीमा तक उपयोजन के रूप में समझी जाएगी ;

ख) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 में खंड (iii) का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था में, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था में उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट रकम से भिन्न जमा या संदत्त रकम पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसी जमा या संदत्त रकम की केवल पचासी प्रतिशत की सीमा तक उपयोजन के रूप में समझी जाएगी।

3.4 ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे।

[खंड 5 और 7]

4 छूट को वापस लेने से संबंधित अनावश्यक उपबंधों का लोप

4.1 द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्थाओं के लिए वापस लेने का उपबंध हैं। अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) में उपबंधित है कि जहां अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, वहां छूट उस वित्तीय वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में उपलब्ध होगी जिसमें आवेदन किया गया है।

4.2 अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक में यह उपबंधित है कि जहां न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन प्रदान किया गया है, तब अधिनियम की धारा 11 और 12 के उपबंध उस पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष, जिसके लिए निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारण कार्यवाहियां ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं के पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष के अधीन न्यास द्वारा धारित किसी संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय के संबंध में तब लागू होंगे, यदि ऐसे न्यास या संस्था के उद्देश्य या क्रियाकलाप ऐसे पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए वैसे ही बने रहते हैं।

4.3 अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक में उपबंधित है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 147 के अधीन पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष

के लिए किसी ऐसे न्यास या संस्था के मामले में केवल उक्त निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे न्यास या संस्था के गैर-रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

4.4 अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) के चौथे परंतुक में उपबंधित है कि अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) के दूसरे और तीसरे परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी न्यास या संस्था की दशा में लागू नहीं होंगे जिसे रजिस्ट्रीकरण के लिए इनकार कर दिया गया था या इसे प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण को अधिनियम की धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन किसी समय रद्द कर दिया गया था।

4.5 ऊपर चर्चा किए गए अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) का दूसरा, तीसरा और चौथा परंतुक कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलिकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा अधिनियम की धारा 12क के संशोधन के पश्चात् अनावश्यक बन गया है। अब द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यासों और संस्थाओं के लिए अपने क्रियाकलाप आरंभ करने से पूर्व अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है और इसलिए अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) के दूसरे और तीसरे परंतुक में उपबंधित रोल बैक उपबंधों की आवश्यकता नहीं है।

4.6 उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण करने की दृष्टि से, अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) के दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुक का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

4.7 ये उपबंध तारीख 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 8]

5. कुछ मामलों में संयोजित अनंतिम और नियमित रजिस्ट्रीकरण

5.1 कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलिकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के प्रथम और द्वितीय परंतुक, अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) और अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा 5 के प्रथम और द्वितीय परंतुक का संशोधन करके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से संबंधित उपबंधों का संशोधन किया गया था। संशोधित उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध किया गया है:-

क) दोनों प्रणालियों तथा धारा 80छ के अधीन प्रणाली के अधीन नए न्यासों या संस्थाओं को उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के आरंभ से कम-से-कम एक माह पूर्व अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन की ईप्सा की गई है। ऐसा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

ख) दोनों प्रणालियों और धारा 80छ के अधीन प्रणाली के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत/अनुमोदित न्यासों या संस्थाओं को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन की अवधि की समाप्ति से कम-से-

कम छह माह पूर्व या क्रियाकलापों के प्रारम्भ से छह माह के भीतर, जो भी पूर्व हो, पुनः आवेदन करने की आवश्यकता होगी। नियमित रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन 5 वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

ग) दोनों प्रणालियों और धारा 80छ के अधीन प्रणाली के अधीन न्यासों और संस्थाओं को नियमित रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के समाप्त होने से कम-से-कम 6 माह पूर्व आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

5.2 यह भी ध्यान में लाया गया है कि न्यास निम्नलिखित कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं :-

क) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान गठित या निगमित न्यास या संस्था उस वर्ष के लिए छूट प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं है जिसमें उन्हें गठित या निगमित किया गया है चूंकि उनके द्वारा उस पूर्ववर्ती वर्ष से एक माह पूर्व आवेदन करना आवश्यक है जिसके लिए छूट की ईप्सा की जाती है।

ख) इसके अतिरिक्त, न्यासों या संस्थाओं को, जहां क्रियाकलाप पहले ही आरंभ हो गये हैं, वहां दो रजिस्ट्रीकरणों (क्रमशः अनंतिम और नियमित) के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।

5.3 इन उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे मामलों में सीधे अंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के लिए अनुज्ञा देने का प्रस्ताव है। इसकी प्राप्ति के लिए निम्नलिखित संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है :-

क) प्रथम प्रणाली के अधीन न्यासों या संस्थाओं को अनंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के प्रस्तावित प्रथम परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (क) के अधीन केवल क्रियाकलापों के आरंभ होने से पूर्व अनुज्ञात किया जाएगा।

ख) इसी प्रकार द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यासों और संस्थाओं को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) के प्रस्तावित मद (क) के अधीन केवल क्रियाकलापों के आरंभ होने के पूर्व अनुज्ञात किया जाएगा।

ग) इसी प्रकार धारा 80छ के अधीन प्रणाली के अधीन न्यासों और संस्थाओं को अनंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक के खंड (iv) के प्रस्तावित उपखंड (क) के अधीन क्रियाकलापों के प्रारंभ होने से पूर्व ही अनुज्ञात किया जाएगा।

घ) प्रथम प्रणाली के अधीन ऐसे न्यास और संस्था को, जिन्होंने पहले ही अपने क्रियाकलाप आरंभ कर लिए हैं, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के प्रथम परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (ख) के अधीन नियमित अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा।

ड) द्वितीय प्रणाली के अधीन ऐसे न्यास और संस्था, जिन्होंने पहले ही अपने क्रियाकलाप आरंभ कर लिए हैं, अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) के मद (ख) के अधीन नियमित रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

च) धारा 80छ प्रणाली के अधीन न्यासों और संस्थाओं को, जिन्होंने पहले ही अपने क्रियाकलाप आरंभ कर लिए हैं, अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक के खंड (iv) के प्रस्तावित उपखंड (ख) के अधीन नियमित अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा।

छ) ऐसे आवेदन की परीक्षा प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्रथम प्रणाली के अधीन न्यासों और संस्थाओं के लिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक के खंड (ii), द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यासों और संस्थाओं के लिए अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) और अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

ज) जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त का उद्देश्यों और क्रिया-कलापों की सत्यता के बारे में समाधान हो जाता है, ऐसे मामलों में 5 वर्षों के लिए रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

झ) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ऐसे आवेदनों को मंजूर या नामंजूर करने के लिए आदेश उस माह के अंत से, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था, गणना करके 6 माह के भीतर पारित करेगा।

5.4 ये संशोधन तारीख 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगे।

[खंड 5, 8, 9 और 40]

6. धारा 12क और धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवें परंतुक के अधीन निर्निदिष्ट अतिक्रमण

6.1 कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से संबंधित उपबंधों का संशोधन अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के प्रथम और द्वितीय परंतुक, और अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) का संशोधन करके किया गया था। अब नये न्यासों के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण और अनुमोदन के लिए आवेदन करना आवश्यक है जो तीन वर्षों की अवधि के लिए या क्रियाकलापों के प्रारंभ से छह माह तक, जो भी पूर्व हो, विधिमान्य है। दोनों प्रणालियों के अधीन पहले ही रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित न्यासों और संस्थाओं के लिए पुनःरजिस्ट्रीकरण/ अनुमोदन के लिए प्ररूप 10क में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था। नये न्यासों के लिए अनंतिम अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने और पहले ही रजिस्ट्रीकृत न्यासों के लिए पुनःरजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन की प्रक्रिया स्वचालित है। न्यास या संस्था द्वारा आवेदन ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइल किया जाता है और ऐसे मामलों में अनंतिम अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण स्वचालित रीति में सत्यापन के बिना प्रदान किया जाता है।

6.2 यह ध्यान में आया है कि कुछ मामलों में न्यासों द्वारा अनंतिम अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण और पुनःरजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए प्ररूप त्रुटिपूर्ण होते हैं और चूंकि रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन की प्रक्रिया स्वचालित है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण सीपीसी द्वारा प्रदान किया गया है। वर्तमान में, प्रधान आय-कर आयुक्त/आय-कर आयुक्त द्वारा

कतिपय विनिर्दिष्ट अतिक्रमणों के लिए न्यासों का अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण और अनंतिम अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।

6.3 इस उपबंध का सुव्यस्थीकरण करने के लिए यह प्रस्ताव है,

(क) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के पन्द्रहवें परन्तुक के लिए स्पष्टीकरण 2 में खंड (छ) को अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव है कि 'विशिष्ट अतिक्रमण' का मामला भी सम्मिलित होगा जहां प्रथम परन्तुक में के लिए निर्दिष्ट आवेदन संपूर्ण नहीं है या इसमें मिथ्या या असत्य सूचना अन्तर्वलित होती है।

(ख) इसी प्रकार, इसमें अधिनियम की धारा 12क की उप धारा के स्पष्टीकरण में खंड (छ) अंतःस्थापित करने के उपबंध का प्रस्ताव है कि 'विशिष्ट अतिक्रमण' मामला भी सम्मिलित है जहां अधिनियम की धारा 12क की उपधारा के खंड (कग)में के निर्दिष्ट आवेदन संपूर्ण नहीं है या इसमें मिथ्या या असत्य सूचना शामिल होती है।

6.4 ये संशोधन तारीख, 1अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आएंगे।

[खंड 5 और 9]

7. न्यासों या संस्थाओं का कतिपय मामलों में आवेदन फाइल नहीं किया जाना।

7.1 कराधान और अन्य विधियों (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 का अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (क ग), अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग)के प्रथम और द्वितीय परन्तुक का संशोधन करते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन से संबंधित उपबंधों का संशोधन करता है। संशोधित उपबंध निम्नलिखित उपबंध करते हैं।

(क) प्रथम और द्वितीय प्रणाली के अधीन सभी विद्यमान न्यासों और संस्थाओं को तारीख 31.3.2021 को या पूर्ण पुनः रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिए लागू करना अपेक्षित है। तारीख 01.11.2022 के प्रपत्र सं. 22 का पुनः रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिए देय तिथि तारीख 25.11.2022 तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विस्तारित 5 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ख) प्रथम और द्वितीय प्रणाली के अधीन नए न्यासों/संस्थानों को निर्धारण वर्ष के संबंध में पूर्व वर्ष के आरंभ होने से पूर्व कम से कम एक मास अस्थायी रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिए लागू करना अपेक्षित है जिसमें उक्त रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन की मांग की है। ऐसा अस्थायी रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन 3 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(ग) अस्थायी रूप से प्रथम और द्वितीय प्रणाली के अधीन रजिस्ट्रीकृत/अनुमोदित न्यास और संस्थाएं क्रियाकलाप के आरंभ होने के छह मास के लिए अवधि के समाप्त होने से पूर्व कम से कम छह

मास नियमित रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिए लागू किए जाने की पुनः आवश्यकता होगी, जो भी पहले हो।

(घ) प्रथम और द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यासों और संस्थाओं को पुनः रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन की समाप्ति से पूर्व कम से कम छह मास लागू किया जाना अपेक्षित है।

7.2 ऐसे दृष्टांत ध्यान में आये हैं जहां प्रथम और द्वितीय प्रणाली के अधीन कतिपय न्यासों और संस्थाओं को अस्थायी रजिस्ट्रेशन लेने के पश्चात नियमित रजिस्ट्रेशन के लिए लागू नहीं किया है। आगे प्रथम और द्वितीय प्रणाली के अधीन कुछ न्यासों और संस्थाओं को पुनः रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिए लागू नहीं किया है। आगे, इसमें दृष्टांत संभव हो सकते हैं जहां प्रथम और द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यासों और संस्थाओं को 5 वर्ष/ 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए लागू नहीं होगा। निम्नलिखित अनाशियत परिणामस्वरूपों में यह परिणाम होगा।

(क) एक बार जब प्रथम और द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यासों या संस्था को प्रणाली में छूट प्रदान की जाती है तो यह स्वयं की अभिवृद्धि आय (सम्पत्ति और दायित्व का निष्पक्ष बाजार मूल्य के बीच भिन्नता) पर अधिकतम पार्श्व दर पर कर का संदाय पर निकासी के लिए अनुमति देती है। यह कारण है कि न्यास या संस्थाओं की आय को न्यास की प्रस्तुत आय की अभिवृद्धि आय और कर से छूट दी गई है जिस पर कर को संदत्त नहीं किया गया है और इसके संबंध में मूल्यांकन किया है।

(ख) पुनः रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन या रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन के लिए लागू न करके, न्यास अभिवृद्धि आय पर कर का संदाय किये बिना निकासी का आसान उपाय प्राप्त करता है।

7.3 प्रथम या द्वितीय प्रणाली के अधीन कोई न्यास या संस्था अपनी क्रियाकलापों और विघटन को स्वेच्छा से समेट सकती है या गैर-पूर्त संस्था को किसी दूसरे के साथ भी मिला सकती है, या किसी गैर-पूर्त संगठन में परिवर्तित कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि छूट के द्वारा वर्ष पर प्रदत्त लाभ दुरुपयोग नहीं होता और विधि में अन्तर को भरने के लिए छूट के माध्यम कार्पस/धन बढ़ाते हुए कर परिणामों के बिना गैर-पूर्त संगठन में परिवर्तित करते हुए न्यासों और संस्थाओं को अनुमति दी जाती है, धारा 115नघ 115नड और 115नच को मिलाते हुए एक नया अध्याय XIIडख वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा अधिनियम में अंतःस्थापित किया था।

7.4 यह अध्याय निकासी कर की प्रकृति में उदग्रहण अधिभार अधिरोपित करना चाहता है जो आकर्षित करता है जब संगठन असमान्तर उद्देश्य से कोई पूर्त संगठन या गैर-पूर्त संगठन में परिवर्तित करता है या दूसरे पूर्त संगठन के लिए आस्ति का अंतरण नहीं करता है।

7.5 इन उपबंधों के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं :

- (i) आय न्यास या संस्था में (अभिवृद्धि आय) न्यास के परिवर्तन पर करादेय है या संस्था में अधिनियम की धारा 12कख या 12कक के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य नहीं है या किसी स्वामित्व में मिलाने पर सामांतर उदेश्य नहीं है और अधिनियम की धारा 12कख या 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता या आस्ति के गैर-वितरण पर अधिनियम की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता किसी पूर्त संस्था का विघटन, विघटन के मास के अंत से 12 मास की अवधि के भीतर है।
- (ii) अभिवृद्धि आय विशिष्ट तारीख पर दायित्व द्वारा कम करते हुए कुल आस्ति की निष्पक्ष बाजार मूल्यांकन (एफ.एम.वी.) का सकल धनराशि है। मूल्यांकन की पद्धति नियमों में वर्णित की गयी है।
- (iii) अभिवृद्धि आय का करादेय अधिकतम पार्श्व दर है।
- (iv) यह उदग्रहण स्वामित्व के स्रोतों में कर के लिए किसी अधिभार आय के अतिरिक्त है।
- (v) वित्त अधिनियम, 2022 देखिये, अधिनियम की धारा 115नघ, 115नड. और 115नच के उपबंध प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था को लागू करने के लिए संशोधन किया गया है।
- 7.6 वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा, अधिनियम की धारा 115नघ, 115नड. और 115नच के उपबंध प्रथम प्रणाली के अधीन किसी न्यास या संस्था के लिए उनके लागू करने के लिए संशोधन किया गया है।
- 7.7 इसमें अधिनियम की धारा 115नघ की उपधारा (3) खंड (iii) का अंतः स्थापन करते हुए अधिनियम की धारा 115नघ के उपबंध का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अध्याय xii-ड.ख के उपबंध लागू होंगे यदि प्रथम या द्वितीय प्रणाली के अधीन अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के प्रथम परंतुक न्यास या संस्था खंड (i) या (iii) के अनुसार लागू करने में असफल रहता है या अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (i) के खंड (कग) के उपखंड(iii) या उपखंड(i) या उपखंड(ii) के अनुसार उक्त खंडों या उपखंडों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लागू करने में असफल रहता है। इनके उल्लंघन पर, इसे पूर्व वर्ष में रजिस्ट्रेशन या अनुमोदन के लिए योग्य न होना किसी प्ररूप में परिवर्तित किया जाना समझा जायेगा जिसमें ऐसी अवधि समाप्त हो गई है।
- 7.8 इसमें आगे उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 115नघ की उपधारा (5) के खंड (ii) का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है कि प्रधान अधिकारी या विशिष्ट व्यक्ति का न्यासी जैसा भी मामला हो और विशिष्ट व्यक्ति अधिनियम की धारा 115नघ की उपधारा (3) के उपखंड (iii) में के लिए निर्दिष्ट मामले में पूर्व वर्ष की समाप्ति से चौदह दिन के भीतर केन्द्र सरकार को जमा करने के लिए अभिवृद्धि आय पर कर का संदाय करने का भी दायी होगा।

7.9 इसमें यह उपबंध करने कि लिए अधिनियम की धारा 115नघ को स्पष्टीकरण करने के लिए खंड (i) में उपखंड (ग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि परिवर्तन की तारीख धारा 10 के खंड (23ग) के प्रथम परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के लिए कोई आवेदन करने के लिए या धारा 12क उपधारा (i) के खंड (कग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख भी अभिप्रेत होगी, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 115नघ की उपधारा (3) के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामला।

7.10 ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आयेंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होंगे।

[खंड 57]

8. आय और कर संपरीक्षा रिपोर्ट के संगणन के लिए प्रेषित प्ररूप के लिए समय सीमा का संरेखन

8.1 प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास और संस्थायें अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपबंधों के 10वें परंतुक के खंड(ख)के उपबंधों के अनुसार अपनी लेखा संपरीक्षा प्राप्त करना अपेक्षित है। द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास और संस्थायें अधिनियम की धारा 12क की उपधारा(i) के खंड (ख) के उपखंड(ii) के उपबंधों के अनुसार अपनी लेखा संपरीक्षा कराना अपेक्षित है। दोनों प्रणालियों के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि से पूर्व कम से कम एक महीने के भीतर भेजा जाना अपेक्षित है।

8.2 अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के द्वितीय परंतुक के स्पष्टीकरण 3 यह उपबंध करता है कि जहां प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (i) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तिथि पर या पूर्व विहित (प्ररूप 10) या ऐसे न्यास या संस्था अपनी आय के अतिरिक्त या संगणक में विवरण भेजने की अपेक्षा की जाती है।

8.3 अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3)के खंड (ग) यह उपबंध करता है कि जहां द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था अपनी आय के अतिरिक्त संग्रहण या ऐसे न्यास या संस्था पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (i) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तिथि से पूर्व या विहित प्ररूप (प्ररूप 10) में विवरण भेजने की अपेक्षा की जाती है।

8.4 अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (i) के स्पष्टीकरण 1 का खंड (2) यह उपबंध करता है कि जहां द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था लागू किया जाना कतिपय आय समझी जाती है। पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 के उपखंड (i) के

अधीन विनिर्दिष्ट देय तिथि से पूर्व या विहित प्ररूप (प्ररूप 9क) में विवरण भेजने की अपेक्षा की जाती है।

8.5 प्ररूप 9क और प्ररूप 10 प्रस्तुत करने की देय तिथि आय विवरणी भेजने की देय तिथि एक ही है। न्यास आय की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से पूर्व एक मास (प्ररूप 10/9क) में संपरीक्षा रिपोर्ट भेजने की भी अपेक्षा की जाती है। संपरीक्षकों से संपरीक्षा रिपोर्ट में प्ररूप 10/9क ब्यौरा रिपोर्ट दिये जाने की अपेक्षा की जाती है। चूंकि प्ररूप 9क/10 प्रस्तुत करने की देय तिथि आयकर विवरणी भेजने की देय तिथि से पूर्व एक मास है, संपरीक्षकों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना कठिन होता है।

8.6 उपबंध के सुव्यवस्थीकरण के उद्देश्य से, इसमें पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (i) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तिथि से पूर्व कम से कम दो मास में प्ररूप संख्या 10क/9क को फाइल किये जाने के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है,

(क) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तृतीय परंतुक के स्पष्टीकरण 3क खंड (ग);

(ख) अधिनियम की धारा 11 के उपखंड (i) के स्पष्टीकरण 1 का खंड (2);

(ग) अधिनियम की उक्त धारा 11 के उपधारा (2) के खंड(ग)।

8.7 ये संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आयेंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होंगे।

[खंड 5 और 7]

9 छूट से इन्कार जहां आय की विवरणी समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है।

9.1 अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग)के 12वें परंतुक के उपबंधों के अनुसार यदि आय की विवरणी अधिनियम की धारा 139 के अधीन समय के भीतर प्रथम प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था के द्वारा नहीं भेजा जाता है तो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv/v/vi/vi) के अधीन छूट ऐसे न्यास या संस्था के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

क. उसी प्रकार अधिनियम की धारा 125 के उपखंड (i) के खंड (कख)के उपबंधों के अनुसार, यदि आयकर विवरणी अधिनियम की धारा 139 के अधीन समय सीमा के भीतर द्वितीय प्रणाली के अधीन न्यास या संस्था द्वारा भेजी नहीं जाती है तो अधिनियम की धारा 11, 12 के अधीन छूट ऐसे न्यास या संस्था को उपलब्ध नहीं होगी।

ख. अधिनियम की धारा 139 निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से 2 वर्ष तक अद्यतन आय की विवरणी भेजने के लिए करदाताओं से एक विकल्प प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधन किया गया था।

ग यह अधिनियम की धारा 11,12 के अधीन छूट देने के अनाशियत परिणामों के निष्कर्ष और अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv/v/vi/vिक) न्यासों के लिए उपलब्ध होगी जहां वे अद्यतन आयकर विवरणी प्रेषित करते हैं। तदनुसार यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 11,12 और अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv/v/vi/vिक) के अधीन उपलब्ध होगी। यदि आयकर विवरणी अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर प्रेषित की गई है।

घ. इसलिए, यह प्रस्ताव करने के लिए है,

(क) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के बारहवें परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था उपखंड (iv) या उपखंड (v)या उपखंड (vi)या उपखंड(vिक) में निर्दिष्ट उस धारा के उपखंड (1) या उपखंड (4) के अधीन अनुज्ञात समय सीमा के भीतर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपबंधों के अनुसार पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी भेजनी होगी।

(ख) अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (खक) का संशोधन करने का उपबंध करती है कि आय की रशीद प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस धारा की उपधारा (1)या उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय सीमा के भीतर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा(4क) के उपबंधों के अनुसार पूर्व के लिए आय की विवरणी प्रेषित करेगा।

ड. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 को प्रभाव में आयेंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष को लागू होंगे।

[खंड 5 और 8]

धारा 80छ से कतिपय निधियों को हटाया जाना

आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 80छ में, अन्य बातों के साथ-साथ, दान प्राप्त करने वाली कतिपय संस्थाओं और निधियों को अनुमोदन प्रदान करने तथा ऐसे दानों के संबंध में ऐसे दान करने वाले निर्धारिती को अनुज्ञेय कटौतियों के लिए प्रक्रिया उपबंधित है।

2. अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ-साथ, इन निधियों की वह सूची उपबंधित है जिनमें पूर्ववर्ती वर्ष में दान के रूप में निर्धारित द्वाारा संदत्त कोई राशि इस प्रकार दान की गई रकम की 50 प्रतिशत/100 प्रतिशत की सीमा तक कटौती के रूप में अनुज्ञात है।
3. यह अवलोकन किया गया है कि उक्त धारा में व्यक्तियों के नामों पर आधारित केवल तीन निधियां हैं। ऐसी निधियों को हटाने के लिए, अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii), (iii)ग और (iii)घ का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।
4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा।

[खंड 40]

कतिपय मामलों में प्रतिदाय का मुजरा और उसे रोकना

अधिनियम की धारा 241क कतिपय मामलों में प्रतिदाय को रोकने का उपाय करती है। धारा के अनुसार, जहां धारा 143 की उपधारा (1)के अधीन किसी निर्धारित को प्रतिदाय देय हो जाता है तथा धारा 134 की उपधारा (2)के अधीन उसे निर्धारण के लिए नोटिस जारी हो गया है, निर्धारण अधिकारी निर्धारण की तारीख तक ऐसे प्रतिदाय को रोक सकेगा, यदि उसका यह मत है कि प्रतिदाय का अनुदत्त राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसी रोक इस प्रकार करने के कारणों को लेखबद्ध करने तथा प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन के पश्चात की जा सकती है तथा निर्धारण वर्ष 2017-18 को या के पश्चात् लागू है।

2. अधिनियम की धारा 245 शेष संदेय कर के लिए प्रतिदाय के मुजरा के साथ समाधान करती है। यह उपबंध करती है कि जहां अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यक्ति को प्रतिदाय देय पाया जाता है, निर्धारण अधिकारी या धारा में वर्णित अन्य आयकर प्राधिकारी संदाय के बदले ऐसे व्यक्ति द्वारा शेष संदेय किसी राशि के लिए प्रतिदाय के भाग या पूर्ण प्रतिदाय का प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में उसे लिखित में सूचना देने के पश्चात मुजरा कर सकते हैं।

3. वहां दो उपबंधों के बीच में परस्पर व्युत्पत्ता है। इसलिए, धारा 245 को प्रतिस्थापित करके दोनों धाराओं को जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को प्रतिदाय देय है, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त या प्रधान आयुक्त या मुख्यायुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त प्रतिदाय के संदाय के बदले, प्रतिदाय की जानी वाली रकम या उस रकम के किसी भाग का इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति द्वारा जिसे प्रतिदाय देय है, इस धारा के अधीन प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई के बारे में उस व्यक्ति को लिखित सूचना देने के पश्चात मुजरा संदेय शेष राशि के विरुद्ध कर सकेंगे।

4. यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय के भाग का मुजरा किया जा चुका है या जहां किसी रकम का मुजरा नहीं हुआ है तथा किसी व्यक्ति को प्रतिदाय देय हो जाता है, तब, निर्धारण अधिकारी इस तथ्य के संबंध में कि ऐसे मामले में निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां लंबित हैं तथा प्रतिदाय का अनुदत्त राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है तथा कारणों को लेखबद्ध करते हुए और प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पिछले अनुमोदन के साथ ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण की तारीख तक प्रतिदाय रोक सकता है।
5. इसमें उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 241क का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव है कि यह धारा 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।
6. आगे अधिनियम की धारा 241क का संशोधन भी प्रस्तावित संशोधनों की धारा 244क की उपधारा 1(क) में निर्दिष्ट मामलों पर प्रभाव होगा; जैसे, जहां निर्धारण या पुनःनिर्धारण को बनाने की तारीख तक प्रस्तावित धारा की उपधारा (2)के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी निर्धारिती को देय प्रतिदाय रोकना अपेक्षित है, धारा 244क की उपधारा(1क) का संशोधन परंतुक अंतःस्थापित करके प्रस्तावित है, कि किसी निर्धारिती की दशा में जहां निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए कार्यवाहियां लंबित हैं, इस उपधारा के अधीन निर्धारिती को अतिरिक्त ब्याज संदेय नहीं होगा, उस अवधि के लिए जो उस तारीख को प्रारंभ हो रही है जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा प्रतिदाय रोक लिया गया है, धारा 245 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन तथा अनुसरण में, उस तारीख तक जिसको ऐसे मामले में लंबित निर्धारण या पुनःनिर्धारण कर लिया जाता है।
7. तथापि, प्रस्तावित संशोधन, धारा 244क की उपधारा (1क) के अधीन अतिरिक्त ब्याज के सिवाय सभी अन्य प्रकार के संबंध में विद्यमान स्थिति का प्रभावित नहीं करेगा, जो कि अधिनियम के अधीन निर्धारिती को यथा अपेक्षित संदेय है।
8. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 92, 93 और 94]

छ. अन्य

अधिनियम के उपबंधों के कतिपय प्रतिदाय का लोप किया जाना

- जीवन बीमा किस्त, भविष्य निधि के अभिदाय आदि पर छूट से संबंधित अधिनियम की धारा 88 के विद्यमान उपबंध।
2. उक्त धारा वर्तमान में सुसंगत नहीं है क्योंकि इसे वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा समाप्त कर दिया गया था और धारा 80ग को, वहां सूचीबद्ध विभिन्न लिखतों पर कटौती अनुज्ञात करने के लिए पुरःस्थापित किया गया है।
3. अधिनियम से अनावश्यक उपबंधों को हटाने के लिए, अधिनियम से धारा 88 के लोप करने का प्रस्ताव है।

4. अधिनियम की धारा 10 आय के लिए यह उपबंध करती है जिसमें कुल आय सम्मिलित नहीं है। इसके खंड (23खखच), (23ड.ख), (26क), 41 और 49 पहले से ही हटा दिए गए हैं।

5. इसलिए अधिनियम की धारा 10 के खंड (23खखच), (23ड.ख), (26क), 41 और 49 लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।

[खंड 5, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 42, 44, 48 और 49]

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एस.यू.यू.टी.आई.) के विनिर्दिष्ट उपक्रम के लिए छूट की सीमा और प्रशासक के कार्यालय को खाली करने के लिए वैकल्पिक तंत्र के लिए उपबंध

एस.यू.यू.टी.आई. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 (यू.टी.आई. निरसन अधिनियम, 2002) द्वारा सर्जित हुई थी। यह पूर्व में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यू.टी.आई.) की उत्तराधिकारी है और पूर्व यू.टी.आई. के कारण सरकार के दायित्व परिनिर्धारण करना अनिवार्य है।

2. यू.टी.आई. निरसन अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) के अनुसार, एस.यू.यू.टी.आई. 31.3.2023 तक आयकर संदाय करने से छूट दी गई है। आगे यू.टी.आई.; निरसन अधिनियम 2002 की धारा 8 उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि प्रशासक, एस.यू.यू.टी.आई. सभी स्कीमों की मुक्ति पर ही अपना कार्यालय खाली करेगा।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि एस.यू.यू.टी.आई. अपने गठन से विभिन्न स्कीमों की मुक्ति के माध्यम से निवेशकों के देयों के संदाय के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तथापि चालू प्रगति पर, सभी स्कीमों का छुटकारा और शेष निवेशकों की सम्पूर्ण राशि का संदाय के लिए अनिश्चित समय लिया जाये। आगे, स्कीमों के छुटकारे के संबंध में एस.यू.यू.टी.आई. का कार्य, सम्पूर्ण धनराशि का संदाय लंबित मुकदमें इत्यादि 31 मार्च, 2023 से परे अर्थात् समय सीमा तक से परे विस्तारित किया जाना अपेक्षित है जिसमें आयकर की छूट का उपबंध किया गया है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसमें संशोधन द्वारा यू.टी.आई. निरसन अधिनियम 2002 का संशोधन करने का प्रस्ताव है;

- i. धारा 8 की उपधारा (1) यह उपबंध किये जाने के लिए है कि प्रशासक एस.यू.यू.टी.आई. विनिर्दिष्ट उपक्रम की सभी स्कीमों का छुटकारा और उस तारीख से या निवेशकों को संपूर्ण धनराशि का संदाय तुरंत करेगा जैसा भी मामला हो शासकीय राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित जो भी पहले हो अपना कार्यालय खाली करेगा;

- ii. धारा 13 की उपधारा (1) में यह उपबंध किये जाने का प्रस्ताव है कि अधिनियम 1961 (1961 का 43) में अंतर्वलित या कर या आय, लाभ या अभिलाभों के संबंध में प्रवृत्त समयावधि के लिए कोई अन्य अधिनियमन, न आयकर या कोई अन्य कर विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में प्राप्त कोई धनराशि या लाभ या अभिलाभों, किसी आय के बाबत 30 सितंबर, 2023 के समाप्ति की अवधि तक विनिर्दिष्ट उपबंध के संबंध में प्रशासक द्वारा संदेय होगा।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल 2023 को प्रभाव में आयेंगे।

[खंड 154]

अधिनियम की धारा 276क का निरापराधीकरण

अधिनियम की धारा 276क का किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो समापक है तथा जो धारा 178 की उपधारा (1) के अनुसार सूचना देने में विफल रहता है या उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा या कंपनी की आस्तियों के किसी भाग द्वारा या उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में विशेषताओं द्वारा यथाअपेक्षित रकम का अपास्त करने में विफल रहता है, 2 वर्ष तक के कठोर कारावास के अभियोजन का उपबंध करती है।

2. यह कथन किया गया है कि छोटे अपराधों को निरापराध बनाने के लिए सरकार की नीति कारबार की सुगमता को सुधारने की तरफ एक कदम है। इस संबंध में, अधिनियम के उपबंधों का परीक्षण किया गया है। धारा 276क का धारा 178 के अननुपालन के लिए समापक के अभियोजन का उपबंध करती है। धारा उसी अननुपालन के लिए ऐसे समापक पर व्यैक्तिक दायित्व भी अधिरोपित करती है। इसके अतिरिक्त, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के प्रवर्तन से अब परिसमापन के अधीन कंपनियों के स्थान पर देय संदायों के लिए तीव्र क्रियाविधि है और धारा 178 (मूल धारा) की उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि इस धारा का कोई प्रभाव नहीं होगा जब आईबीसी के उपबंध विरोधाभास में है। इसके अतिरिक्त समापक अब इस विनिर्दिष्ट विधि की अन्वेक्षा के अधीन कार्य कर रहा है।

3. इसको दृष्टिगत करते हुए तारीख 31.03.2023 से प्रभावी धारा के संबंध में किसी लोपित खंड का उपबंध करके धारा 276क का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि 1 अप्रैल, 2023 को या इसके पश्चात् इस धारा के अधीन कोई नया अभियोजन आरंभ नहीं किया जाएगा। पूर्व अभियोजन हांलांकि जारी रहेंगे।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

[खंड 118]

सीमाशुल्क

टिप्पण:

- (क) "आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी)" से अभिप्रेत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमा शुल्क है।
- (ख) "कृषि अवसंरचना और विकास उपकर" का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है, जो वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124 के तहत लगाया जाता है।
- (ग) "समाज कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस)" का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 110 के तहत लगाया जाता है।
- (घ) वर्ग कोष्ठक में खंड संख्या [] वित्त विधेयक, 2023 के प्रासंगिक खंड को इंगित किया गया है।
- (ङ) वित्त विधेयक, 2023 के माध्यम से किए गए संशोधन इसके अधिनियमित होने की तिथि से प्रभावी होंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

I. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2023 का खंड
1.	सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 (4क) में इस आशय का एक प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है, कि दो साल की वैधता अवधि, बहुपक्षीय या द्विपक्षीय व्यापार समझौतों; अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियों के तहत दायित्वों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, राजनयिकों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संबंध में कन्वेंशन सहित; संवैधानिक अधिकारियों के विशेषाधिकार; विदेश व्यापार नीति के तहत योजनाएं; केंद्र सरकार की योजनाएं जिनकी दो वर्ष से अधिक की वैधता है; पुनः आयात, अस्थायी आयात, उपहार या व्यक्तिगत सामान के रूप में आयातित सामान; सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप धारा (7) के अधीन लगाए जाने वाले एकीकृत कर सहित, धारा 12 के तहत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क के अलावा, के संबंध में जारी छूट अधिसूचनाओं पर लागू नहीं होगी।	[123]
2	सेटलमेंट कमीशन के समक्ष दायर आवेदन के निपटान के लिए आवेदन की तारीख से 9 महीने की समयसीमा निर्दिष्ट करने के लिए धारा 127ग में एक नई उपधारा (8क) डाली जा रही है।	[124]

II. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2023 का खंड
क.	पूर्वव्यापी संशोधन (01.01.1995 से प्रभावी)	[125]
1.	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उप-धारा (6) और उप-धारा (7) में अस्पष्टता को दूर करने और स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि प्रतिकारी शुल्क के लिए निर्धारण और समीक्षा में प्रतिकारी शुल्क के निर्धारण और समीक्षा को अधिनियम के तहत नियमों में निर्धारित तरीके से संदर्भित करता है।	[125]
2.	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) में अस्पष्टता को दूर करने और स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि प्रतिपाटन शुल्क के लिए निर्धारण और समीक्षा को अधिनियम के तहत नियमों में निर्धारित तरीके से संदर्भित करती है।	[125]
3.	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 यह अस्पष्टता को दूर करने और यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित की जा रही है कि इस धारा के अधीन की गई अपील धारा 8 ख, 9, 9क और 9ख के अधीन अधिसूचित नियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किया जायेगा।	[125]
ख.	भावी संशोधन	
4.	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची को 2.2.2023 से कुछ टैरिफ वस्तुओं पर टैरिफ दरों में वृद्धि के लिए संशोधित किया जा रहा है	[126 (क)] दूसरी अनुसूची के साथ पढ़ें
5.	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधित किया जा रहा है ताकि सहमति की तिथि से सीमाशुल्क दर संरचना के युक्तिकरण के हिस्से के रूप में कुछ टैरिफ वस्तुओं पर टैरिफ दरों को संशोधित किया जा सके।	[126 (ख)] तीसरी अनुसूची के साथ पढ़ें
6.	परियोजना आयात के दायरे से सौर ऊर्जा संयंत्र/सौर ऊर्जा परियोजना को बाहर करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्षक 9801 में संशोधन सहमति की तिथि से प्रभावी किया जा रहा है।	[126 (ग)] चौथी अनुसूची के साथ पढ़ें
7.	1 मई, 2023 से प्रभावी टैरिफ प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में भी संशोधन किया जा रहा है।	[126 (ग)] चौथी अनुसूची के साथ पढ़ें

III. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन

- (i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में नई टैरिफ लाइनें लाने या मौजूदा टैरिफ लाइनों को संशोधित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। प्रस्तावित परिवर्तन अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 19, अध्याय 27, अध्याय 29, अध्याय 31, अध्याय 38, अध्याय 39, अध्याय 48, अध्याय 52, अध्याय 54, अध्याय 57, अध्याय 61, अध्याय 62, अध्याय 63, अध्याय 69, अध्याय 71, अध्याय 84, अध्याय 85 और अध्याय 87 में हैं।
- (ii) अनुसूची की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के सामान्य व्याख्यात्मक नोट में कुछ बदलाव करने के लिए संशोधन किया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एचएस 22 के पूरक संशोधनों के साथ संक्षिप्तीकरण और टैरिफ को संरेखित करने के लिए परिवर्तन शामिल हैं।
- (iii) सीमा शुल्क दर संरचना के युक्तिकरण के हिस्से के रूप में कुछ टैरिफ वस्तुओं पर टैरिफ दरों को संशोधित करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में भी संशोधन किया जा रहा है।
- (iv) 1 मई, 2023 से पहली अनुसूची के साथ शीर्ष 1202 के तहत प्रविष्टियों को संरेखित करने के लिए दूसरी अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है। [वित्त विधेयक, 2023 की पांचवीं अनुसूची के साथ खंड 127 पढ़ा जाए]

संशोधन					
टैरिफ दर परिवर्तन					
(क)	टैरिफ दर में वृद्धि (02.02.2023 से प्रभावी होने के लिए) * [वित्त विधेयक, 2023 का खंड 126 (क)]			शुल्क की दर	
	* अनंतिम कर संग्रह अधिनियम, 1931 के तहत एक घोषणा के माध्यम से तत्काल प्रभाव से लागू होगा				
क्र.सं.	शीर्षक, उप-शीर्षक, टैरिफ मद	माल	से	तक	
		रसायन			
1.	2902 50 00	स्टाइरीन	2%	2.5%	
2.	2903 21 00	विनाइल क्लोराइड मोनोमर	2%	2.5%	
		रबड़			
3.	4005	मिश्रित रबड़	10%	25% या रु 30 प्रति किग्रा., जो भी कम हो	

		रत्न और आभूषण क्षेत्र		
4.	7113, 7114	कीमती धातुओं की वस्तु	20%	25%
5.	7117	इमीटेशन आभूषण	20% या रु. 400 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो	25% या रु. 600 प्रति किग्रा., जो भी अधिक हो
		इलेक्ट्रिकल सामान		
6.	8414 60 00	इलेक्ट्रिक किचन चिमनी	7.5%	15%
		ऑटोमोबाइल और खिलौने		
7.	8712 00 10	साइकिलें	30%	35%
8.	9503	खिलौने और खिलौनों के हिस्से (इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के हिस्सों के अलावा)	60%	70%
(ख)	<p>टैरिफ दर में बदलाव (सीमाशुल्क की प्रभावी दर में परिवर्तन किए बिना) वित्त विधेयक, 2023 का खंड [126 (ख)]</p> <p>ध्यान दें :</p> <p>कर संरचना को सरल बनाने के लिए बीसीडी दरों की संख्या कम की जा रही है। बीसीडी दर संरचना का यह युक्तिकरण इस तरह से किया जा रहा है ताकि कुछ मदों में शुल्क के मौजूदा प्रभाव को बनाए रखा जा सके। इन परिवर्तनों को एआईडीसी/एसडब्ल्यूएस दरों में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ पढ़ने की आवश्यकता है</p>		शुल्क की दर	
क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक, टैरिफ मद	माल	से	तक
1.	4011 30 00	शीर्षक 8802 के अंतर्गत आने वाले वायुयान में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के रबर के नए और रिट्रेटीड न्यूमैटिक टायर	3%	2.5%
2.	7107 00 00	सेमी-मैन्युफैक्चर्ड की तुलना में आगे काम नहीं करने वाली चाँदी से ढकी हुई बेस मेटल्स,	12.5%	10%
3.	7108	सोना (प्लैटिनम के साथ चढ़ाया हुआ सोना सहित) कच्चा या अर्ध-निर्मित रूपों में, या पाउडर के रूप में	12.5%	10%
4.	7109 00 00	अर्ध-निर्मित की तुलना में आगे काम नहीं	12.5%	10%

		करने वाली आधार धातु या चांदी, सोने से ढकी हुई		
5.	7110 11 10 7110 11 20 7110 19 00 7110 21 00 7110 29 00 7110 41 00 7110 49 00	प्लेटिनम, अपरिष्कृत या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में	12.5%	10%
6.	7111 00 00	आधार धातुएं, चांदी या सोना, प्लेटिनम से आच्छादित, अर्ध-निर्मित से आगे काम नहीं किया	12.5%	10%
7.	7112	कीमती धातु या कीमती धातु से ढकी धातु का अपशिष्ट और स्क्रेप; अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप जिसमें कीमती धातु या कीमती धातु के यौगिक होते हैं, मुख्य रूप से शीर्षक 8549 के माल के अलावा कीमती धातु की वसूली के लिए उपयोग किया जाता है	12.5%	10%
8.	7118	सिक्का	12.5%	10%
9.	8802 20 00 8802 30 00 8802 40 00	हवाई जहाज और अन्य विमान	3%	2.5%
(ग)	टैरिफ दर परिवर्तन (सीमा शुल्क की प्रभावी दर में परिवर्तन के साथ) [वित्त विधेयक, 2023 की धारा 126 (ख)]		शुल्क की दर	
1.	7106	चांदी (सोना या प्लेटिनम के साथ चांदी चढ़ाया हो सहित), कच्चा या अर्ध-निर्मित रूपों में, या पाउडर के रूप में	12.5%	10%

IV अधिसूचनाओं में आधारभूत सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन वाले अन्य प्रस्ताव

(क)	आधारभूत सीमा शुल्क में परिवर्तन (02.02.2023 से प्रभावी होने के लिए)		शुल्क की दरें	
क्र.सं	अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक, टैरिफ मद	माल	से	तक
		कृषि उत्पाद और उप उत्पाद		
1.	0802 99 00	भिदुरकाष्ठ फल (पेकान नट्स)	100%	30%

2.	1504 20	अक्काटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए मछली लिपिड तेल	30%	15%
3.	1520 00 00	एपिक्लोरोहाइड्रिन के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चा ग्लिसरीन	7.5%	2.5%
4.	2102 20 00	अक्काटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए शैवालीय प्राइम (आटा)	30%	15%
5.	2207 20 00	औद्योगिक रसायनों के निर्माण में उपयोग के लिए डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल	5%	शून्य
6.	2301 20	अक्काटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए फिश मील	15%	5%
7.	2301 20	अक्काटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए क्रिल मील	15%	5%
8.	2309 90 90	अक्काटिक फ़ीड के निर्माण में उपयोग के लिए पूर्वमिश्रित खनिज और विटामिन	15%	5%
		खनिज पदार्थ		
9.	2529 22 00	एसिड ग्रेड फ्लोरास्पार (जिसमें भार के आधार पर में 97% से अधिक कैल्शियम फ्लोराइड हो)	5%	2.5%
		पेट्रोकेमिकल्स		
10.	2710 12 21, 2710 12 22, 2710 12 29	नाफ्था	1%	2.5%
		रत्न और आभूषण क्षेत्र		
11.	7102, 7104	प्रयोगशाला में विकसित रफ हीरे के निर्माण में उपयोग के लिए बीज	5%	शून्य
12.	7106	चांदी (सोना या प्लेटिनम के साथ चांदी चढ़ाया हो सहित), कच्चा या अर्ध-निर्मित रूपों में, या पाउडर के रूप में	7.5%	10%
13.	7106	सिल्वर डोरे	6.1%	10%
		आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स		
14.	25, 28, 32, 39, 40, 69, 73, 85	प्री-कैल्साइन्ड फेराइट पाउडर के निर्माण के लिए निर्दिष्ट रसायन/आइटम	7.5%	शून्य
15.	3824 99 00	कनेक्टर्स के पुर्जों के निर्माण के लिए पैलेडियम टेट्रा अमिन सल्फेट	7.5%	शून्य

16.	कोई भी अध्याय	सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरा मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग के लिए कैमरा लेंस और इसके इनपुट/पुर्जे	2.5%	शून्य
17.	8529	टीवी पैनल के ओपन सेल के निर्माण के लिए निर्दिष्ट पुर्जे	5%	2.5%
		इलेक्ट्रॉनिक उपकरण		
18.	8516 80 00	इलेक्ट्रिक किचन चिमनी के निर्माण में उपयोग के लिए हीट कॉइल	20%	15%
		ऑटोमोबाइल्स		
19.	8703	सेमी-नॉकड डाउन (एसकेडी) रूप में वाहन (इलेक्ट्रिक वाहनों सहित)	30%	35%
20.	8703	पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) फॉर्म में वाहन, जो सीआईएफ यूएसडी 40,000 से अधिक या पेट्रोल से चलने वाले वाहन जो 3000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता हो और डीजल से चलने वाले वाहन जो 2500 सीसी से अधिक हो, के अलावा हो	60%	70%
21.	8703	पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) रूप में विद्युत संचालित वाहन, जो सीआईएफ मूल्य यूएसडी 40,000 से अधिक के अलावा हो	60%	70%
22.	39,40,58,70,72 73,83,84,85,87,90	परीक्षण और/या प्रमाणन के उद्देश्य से अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा आयात किए जाने पर वाहन, निर्दिष्ट ऑटोमोबाइल्स पुर्जे/घटक, उप-प्रणाली और टायर, शर्तों के अधीन	जैसा लागू हो	शून्य
		पूंजीगत वस्तुएं		
23.	84, 85	विद्युत संचालित वाहन (ईवी) की बैटरी में उपयोग के लिए लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए विशिष्ट पूंजीगत सामान/मशीनरी	जैसा लागू हो	शून्य
(ख)	आधारभूत सीमा शुल्क में परिवर्तन (सीमा शुल्क की प्रभावी दर में कोई परिवर्तन किए बिना अर्थात बीसीडी+एआईडीसी+एसडब्ल्यूएस) टिप्पणी: कर संरचना को सरल बनाने के लिए बीसीडी दरों की संख्या कम की जा रही है। बीसीडी दर संरचना का यह युक्तिकरण इस तरीके से किया जा रहा है ताकि कुछ		शुल्क की दर	

	मदों पर शुल्क के मौजूदा प्रभाव को बनाए रखा जा सके। इन परिवर्तनों को एआईडीसी/एसडब्ल्यूएस दरों में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ पढ़ने की आवश्यकता है			
क्र.सं	अध्याय, शीर्षक, उप- शीर्षक, टैरिफ मद	माल	से	तक
I.	2701, 2702, 2703	कोयला, पीट, लिग्नाइट	1%	2.5%
II.	7108	सोना (प्लैटिनम के साथ चढ़ाया हुआ सोना सहित) कच्चा या अर्ध-निर्मित रूपों में, या पाउडर के रूप में	12.5%	10%
III.	7108	गोल्ड डोरे	11.85%	10%
IV.	7110 11 10 7110 11 20 7110 19 00 7110 21 00 7110 29 00 7110 41 00 7110 49 00	प्लैटिनम, कच्चा या अर्ध-निर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में, उच्च मेटल कंपाउंड्स, उच्च मेटल सॉल्यूशंस और कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले के अलावा	12.5%	10%
(ग)		छूट की अंतिम तिथि में परिवर्तन (ड्यूटी की प्रभावी दर में कोई बदलाव नहीं)	शुल्क की दर	
क्र.सं	क्रमांक में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क	माल	से	तक
1	368	लौह अपशिष्ट और स्क्रेप	शून्य	शून्य (31.03.2024 तक)
2	374, 375	सीआरजीओ स्टील के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चा माल	शून्य	शून्य (31.03.2024 तक)
3	527क	सेल्युलर मोबाइल फोन की बैटरी या बैटरी पैक के निर्माण में उपयोग के लिए लिथियम-आयन सेल	5%	5% (31.03.2024 तक)
4	527ख	बिजली से चलने वाले वाहन (ईवी) या हाइब्रिड मोटर वाहन की बैटरी या बैटरी	5%	5% (31.03.2024 तक)

		पैक के निर्माण में उपयोग के लिए लिथियम-आयन सेल		तक)
5	168	दूरसंचार ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण में उपयोग के लिए विशिष्ट इनपुट और उप-भाग	शून्य	शून्य (31.03.2025 तक)
6	341	दूरसंचार ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण में उपयोग के लिए सिलिका का प्रीफॉर्म	5%	5% (31.03.2025 तक)
7	341क	सिलिका के प्रीफॉर्म के निर्माण के लिए इनपुट	शून्य	शून्य (31.03.2025 तक)
8	237	ईवीए शीट या बैक शीट के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट इनपुट जिनका उपयोग सौर सेल या मॉड्यूल के निर्माण में किया जाता है	शून्य	शून्य (31.03.2024 तक)
9	340	सौर सेल या सौर मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग के लिए सौर टेम्पर्ड ग्लास	शून्य	शून्य (31.03.2024 तक)
10	405, 406	पवन संचालित इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर्स के निर्माण के लिए कच्चे माल और पुर्जों, पवन संचालित बिजली ऑपरेटरों में उपयोग के लिए 500 किलो वाट से ऊपर पीएम तुल्यकालिक जनरेटर के निर्माण के लिए स्थायी चुंबक सहित	5%	5% (31.03.2025 तक)
11	559	जहाजों/जहाजों के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चा माल और पुर्जे (ड्रेजर सहित)	शून्य	शून्य (31.03.2025 तक)
12	166	निर्दिष्ट दवाएं, दवाएं, निदान किट या उपकरण, दवाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली थोक दवाएं या दवाएं	5%	5% (31.03.2025 तक)
13	167	जीवन रक्षक दवाएं/दवाएं और निदान टेस्ट किट, जीवन रक्षक दवाओं या दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली थोक दवाएं	शून्य	शून्य (31.03.2025 तक)

V. सीमा शुल्क रियायतों/छूटों की समीक्षा:

(क) अधिसूचना संख्या 50/2017 - सीमा शुल्क दिनांक 30.6.2017 में निर्धारित बीसीडी की सशर्त छूट दरों की समीक्षा:

(क) अधिसूचना के निम्नलिखित क्रमांक के अंतर्गत आने वाले सामानों के लिए बीसीडी छूट को एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जा रहा है , जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

क्र.सं.	अधिसूचना की क्र.सं	विवरण
31. 03. 2024 तक वृद्धि		
1.	90	होम्योपैथिक दवा के निर्माण में उपयोग के लिए लैक्टोज
2.	133	सोने के निर्माण में उपयोग के लिए स्वर्ण अयस्क और सान्द्र
3.	139	जहाजों या जहाजों में उपयोग के लिए निर्दिष्ट बंकर ईंधन
4.	150	उर्वरकों के निर्माण के लिए शीर्षक 2710 या 271490 का सामान
5.	155	अतिरिक्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैसें (एलपीजी) डीटीए इकाई द्वारा एसईजेड इकाई को वापस कर दी गई हो
6.	164	1000 मेगावाट या उससे अधिक के बिजली संयंत्रों द्वारा डीटीए को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत ऊर्जा
7.	165	1000 मेगावाट से कम बिजली संयंत्र से डीटीए को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत ऊर्जा
8.	183	चिकित्सा उपयोग विखंडन मोलिब्डेनम-99 (मो-99) रेडियो फार्मास्यूटिकल के निर्माण में उपयोग के लिए
9.	184	औषधि संदर्भ मानक
10.	188	एलिसा किट के निर्माण के लिए निर्दिष्ट सामान
11.	204	हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में उपयोग के लिए एंथ्राक्विनोन या 2-एथिल एंथ्राक्विनोन
12.	212क	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), रेड क्रॉस या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली दवाएं/दवाएं/टीके
13.	213	ड्रग्स और सामग्री
14.	238	विद्युत स्टील के निर्माण के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक कोटिंग सामग्री
15.	253	ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (बीएलडीसी) मोटर्स के निर्माण के लिए सामान
16.	254	पवन चालित बिजली जेनरेटर के कास्ट घटकों के निर्माण के लिए उत्प्रेरक
17.	255	विंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर के कास्ट कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए रेजिन
18.	258	सिक्वोरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर द्वारा सुरक्षा पेपर के निर्माण के लिए सुरक्षा फाइबर, सुरक्षा धागे, एम-फीचर सहित पेपर आधारित टैगेंट।

क्र.सं.	अधिसूचना की क्र.सं	विवरण
19.	259	सिक्वोरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्रा. लिमिटेड, मैसूर, को सुरक्षा कागज के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चा माल जो सुरक्षा फाइबर और सुरक्षा धागे के निर्माण में उपयोग हो
20.	260	902110 के अंतर्गत आने वाले आर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के निर्माण के लिए सामान
21.	261	अलाथियन और तांबे के तार
22.	269	वयस्क डायपर, टैम्पोन, सैनिटरी पैड आदि (9619) के निर्माण के लिए सुपर शोषक बहुलक
23.	271	स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण में उपयोग के लिए पॉलीटेट्रामेटिलीन ईथर ग्लाइकोल (पीटी एमईजी)।
24.	276	एथिलीन - प्रोपलीन - गैर-संयुग्मित डायन रबर (ईपीडीएम) इन्सुलेटेड तारों और केबलों के निर्माण के लिए
25.	277क	स्मार्ट कार्ड के निर्माण के लिए कैलेंडर्ड प्लास्टिक शीट (8523)
26.	279	अनुसूचित हवाई सेवा में उपयोग किए जाने वाले विमानों के एमआरओ के लिए रबर के वायवीय टायर
27.	280	प्रशिक्षण, एयरोक्लब आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमानों के एमआरओ के लिए रबर के वायवीय टायर ।
28.	333	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पुर्जों के निर्माण के लिए साँचे , घटक/उपकरण और रंजक
29.	334	सिलिकॉन सिल्लियां बनाने के लिए ग्रेफाइट फेल्ड एवं ग्रेफाइट पेक; सिलिकॉन वेफर्स के टुकड़े करने के लिए तार की आरी में इस्तेमाल होने वाले पतले स्टील के तार
30.	339	सौर तापीय संग्राहकों या हीटर्स के लिए कठोर कांच
31.	353	विदेशी मुद्रा के सिक्के जब किसी अनुसूचित बैंक द्वारा भारत में आयात किए जाते हैं
32.	364क	कीमती धातुओं से युक्त स्पेंट उत्प्रेरक या राख
33.	378	शीर्षक 8546 के अंतर्गत बिजली के इंसुलेटर के निर्माण के लिए धातु के पुर्जे
34.	379	बॉयलर के निर्माण में उपयोग के लिए पाइप और ट्यूब
35.	380	पवन संचालित बिजली जनरेटर में उपयोग के लिए विशेष बीयरिंग के निर्माण के लिए जाली स्टील के छल्ले
36.	381	सौर सेल/मॉड्यूल के लिए फोटो वोल्टिक रिबन के निर्माण में उपयोग के लिए फ्लैट तांबे का तार
37.	387	ऐसी प्रक्रियाओं के लिए भारत से निर्यात किए जाने वाले जिंक कंसन्ट्रेट से टोल स्मेल्टिंग या टोल प्रोसेसिंग द्वारा बरामद जिंक धातु
38.	392	धातु खींचने के लिए डार्ई, जब मरम्मत के बाद निर्यात किए गए समान पुराने रंगों के बदले में मरम्मत के बाद आयात किया जाता है

क्र.सं.	अधिसूचना की क्र.सं	विवरण
39.	415	उत्प्रेरक कन्वर्टर्स या उसके पुर्जों के निर्माण के लिए पुर्जे और इनपुट
40.	415क	2843 के अंतर्गत आने वाले और शीर्षक 381512 के सामान के निर्माण के लिए उच्च मेटल कंपाउंड्स और उच्च मेटल सॉल्यूशंस सहित सभी सामानों के निर्माण के लिए प्लेटिनम या पैलेडियम ।
41.	416	कैटेलिटिक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए सेरिया जिरकोनिया यौगिक
42.	417	उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए सेरिया यौगिक
43.	418	उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए जिओलाइट
44.	419	उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड
45.	420	उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के लिए सिरैमिक सबस्ट्रेट में उपयोग के लिए क्ले 2 पाउडर (एल्यूमैक्स)
46.	421	आधारभूत टेलीफोन/इंटरनेट सेवा के लिए आवश्यक सामान और उनके हिस्से
47.	426	8523 5200, 8541, 8542, 8543 9000 या 8548 00 00 के अंतर्गत आने वाले माल के निर्माण के लिए निर्दिष्ट सामान
48.	428	मान्यता प्राप्त प्रेस कैमरामैन द्वारा आयातित निर्दिष्ट सामान
49.	429	निर्दिष्ट माल, मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा आयातित
50.	435	प्रिंटिंग उद्योग के लिए पूंजीगत सामान/मशीनरी
51.	441	अन्य बातों के साथ-साथ सोने, प्लेटिनम और रोडियम या इनमें से किसी एक या अधिक धातुओं से बने स्पिनरेट , जब भारत से बाहर निर्यात किए गए पुराने या क्षतिग्रस्त स्पिनरेट के बदले में आयात किए जाते हैं
52.	462	सीएनसी खराद, मशीनिंग केंद्र या 8456 से 8463 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के सीएनसी मशीन टूल्स के निर्माण में उपयोग के लिए बॉल स्क्रू
53.	463	8456 से 8463 के अंतर्गत आने वाले सीएनसी खराद, मशीनिंग केंद्रों या सभी प्रकार के सीएनसी मशीन टूल्स के निर्माण में उपयोग के लिए लीनियर मोशन गाइड
54.	464	सीएनसी खराद, मशीनिंग केंद्र या 8456 से 8463 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के सीएनसी मशीन टूल्स के निर्माण में उपयोग के लिए सीएनसी सिस्टम
55.	467	कैश डिस्पेंसर और उसके पुर्जे
56.	468	माइक्रो एटीएम; सेलुलर मोबाइल फोन के निर्माण में उपयोग के अलावा फिंगरप्रिंट रीडर/स्कैनर; एमपीओएस (मोबाइल फोन या टैबलेट कंप्यूटर के अलावा) के लिए लघुकृत पीओएस कार्ड रीडर, उपरोक्त मर्दों के निर्माण के लिए पुर्जे और पुर्जे
57.	471	एलईडी लाइट्स या एलईडी लैंप सहित जुड़नार के निर्माण में उपयोग के लिए सभी भागों
58.	472	एलईडी लाइट और जुड़नार या एलईडी लैंप के लिए एलईडी ड्राइवर या एमसीपीसीबी के निर्माण में उपयोग के लिए सभी इनपुट

क्र.सं.	अधिसूचना की क्र.सं	विवरण
59.	475	स्कैम्बलर, डेस्कैम्बलर, एनकोडर, जैमर, नेटवर्क फ़ायरवॉल, एसएमएस मॉनिटरिंग सिस्टम आदि सहित विनिर्दिष्ट सामान
60.	476	विदेशी फिल्म यूनिट या टेलीविजन टीम द्वारा आयातित फिल्म लेने के लिए टेलीविजन उपकरण या अन्य उपकरण, कैमरे आदि
61.	477	फोटोग्राफिक फिलिमिंग, विदेशी मूल के साउंड रिकॉर्डिंग और रेडियो उपकरण और वीडियो टेप, साउंड रिकॉर्डिंग टेप और अन्य फिल्मस इत्यादि, यदि भारत से निर्यात किए जाने के बाद भारत में आयात किए जाते हैं,
62.	478	वायरलेस उपकरण, एक लाइसेंस प्राप्त शौकिया रेडियो ऑपरेटर द्वारा आयातित पुर्जे
63.	480	निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों में परीक्षण के लिए आयातित माल
64.	482	न्यूज पेपर पेज, ट्रांसमीशन और रिसेप्शन फैक्स सिस्टम या इक्वूपमेंट, टलीफोटा ट्रांसमीशन और रिसेप्शन सिस्टमस या इक्वूपमेंट्स
65.	489ख	माइक्रोफोन के निर्माण के लिए निर्दिष्ट सामान
66.	495	विद्युत चालित दोपहिया या तीन पहिया वाहनों समेत विद्युत चालित वाहनो के लिए बैटरी
67.	497	अक्षय ऊर्जा प्रणाली (आरपीएस) इनवर्टर के निर्माण में उपयोग के लिए सक्रिय ऊर्जा नियंत्रक (एईसी)
68.	504	डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरों के पुर्जे और घटक
69.	509	डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर / नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) के निर्माण के लिए पुर्जे, घटक और सहायक उपकरण और 85219090 में आने वाले और इन वस्तुओं के निर्माण के लिए उपभाग
70.	510	टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण के निर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे, घटक और सहायक उपकरण और इन वस्तुओं निर्माण के लिए उपभाग
71.	511	सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरे के निर्माण के लिए पुर्जे, पुर्जे और सहायक उपकरण और इन वस्तुओं निर्माण के लिए उपभाग
72.	512	लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी पैक के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट भाग, घटक और उप-भाग
73.	512क	लिथियम आयन बैटरी और बैटरी पैक के पीसीबीए के निर्माण के लिए इनपुट, पुर्जे या उपभाग
74.	515क	8524 शीर्ष के एलसीडी और एलईडी टीवी पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए ओपन सेल
75.	516	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और एलईडी टीवी पैनल के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट सामान
76.	519	ई-रीडर के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चा माल या पुर्जे
77.	523क	लिथियम आयन सेल के निर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे, उप-पुर्जे, इनपुट या कच्चा माल

क्र.सं.	अधिसूचना की क्र.सं	विवरण
78.	527	सेलुलर मोबाइल, फोन, इलैक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल या हाइब्रिड मोटर वाहन के अलावा अन्य वस्तुओं की बैटरी या बैटरी पैक के निर्माण में लिथियम आयन सेल का उपयोग
79.	534	ग्लाइडर के पुर्जे या विमान के सिमुलेटर (रबर के टायर और ग्लाइडर के ट्यूब को छोड़कर)
80.	535	विमान या उसके पुर्जों के निर्माण के लिए कच्चा माल (टेलीविजन, कैमरा, डिजिटल कैमरा या विडियो रिकार्डर कैमरा के रूप में उपयोग किए जाने वाले मानव रहित यान को छोड़कर)
81.	535क	रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निर्यात किए गए विमान के निर्माण के लिए (टेलीविजन, कैमरा, डिजिटल कैमरा या विडियो रिकार्डर कैमरा के रूप में उपयोग किए जाने वाले मानव रहित यान को छोड़कर) या विमान के पुर्जों के निर्माण के लिए विमान के पुर्जे या पुर्जे
82.	536	विमान या उसके पुर्जों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए पुर्जे, परीक्षण उपकरण, उपकरण और टूल-किट (टेलीविजन, कैमरा, डिजिटल कैमरा या विडियो रिकार्डर कैमरा के रूप में उपयोग किए जाने वाले मानव रहित यान को छोड़कर)
83.	537	शीर्षक 8802 के सभी सामान - (88026000-अंतरिक्ष यान को छोड़कर)
84.	538	8802 शीर्षक वाले विमान के इंजन सहित अवयव या पुर्जे
85.	539	(क) उपग्रह और पेलोड; (ख) (क) के परीक्षण के लिए लाए गए ग्राउंड उपकरण
86.	539क	प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों और पेलोड्स के उपयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण आदि
87.	540	अनुसूचित हवाई ट्रांसपोर्टर द्वारा आयातित शीर्षक 8802 के तहत निर्दिष्ट माल
88.	542	एयरो क्लब, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयातित विशिष्ट सामान
89.	543	गैर-अनुसूचित हवाई ट्रांसपोर्टर द्वारा आयातित निर्दिष्ट माल
90.	544	अनुसूचित हवाई परिवहन/एयर कार्गो सेवाओं के संचालन के लिए शीर्ष 8802 के विमान के पुर्जे (रबर ट्यूब के अलावा)
91.	546	गैर-अनुसूचित यात्री/चार्टर सेवाओं, एयरो क्लब, प्रशिक्षण उद्देश्यों आदि के लिए शीर्ष 8802 के विमान के पुर्जे (रबर ट्यूब के अलावा)
92.	548	जहाजों के साथ आयातित बजरे या पंटून
93.	549	समुद्र में जाने वाले जहाजों की मरम्मत के लिए पूंजीगत सामान और अतिरिक्त कच्चा माल और पुर्जे, मैटेरियल हैंडलिंग उपकरण और उपभोग्य
94.	550	भारत में पंजीकृत समुद्री जहाजों की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य वस्तुएं।
95.	551	कूज पोत। भ्रमण जहाज (जहाजों और फ्लोटिंग संरचनाओं को छोड़कर ब्रेकिंग के लिए आयातित)

क्र.सं.	अधिसूचना की क्र.सं	विवरण
96.	553	मछली पकड़ने के जहाज, टग और पुशर शिल्प, हल्के जहाज(जहाजों और फ्लोटिंग संरचनाओं को छोड़कर ब्रेकिंग के लिए आयातित)
97.	555	युद्धपोत, लाइफबोट जैसे वेसल्स (जहाजों और फ्लोटिंग संरचनाओं को छोड़कर ब्रेकिंग के लिए आयातित)
98.	565	लचीले मेडिकल वीडियो एंडोस्कोप के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट सामान
99.	566	प्रवेशनी के निर्माण के लिए पॉलीप्रोपाइलीन, स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप और एसएस केशिका ट्यूब
100.	567	स्टेनलेस स्टील ट्यूब और तार, कोबाल्ट क्रोमियम ट्यूब, हैनस मिश्रित धातु 25 और कोरोनरी स्टेंट/कृत्रिम वाल्व के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोलिपाइपलिन मैश, कोरोनरी स्टेंट सिस्टम और कृत्रिम हृदय वाल्व ।
101.	568	ब्लड प्रेशर मॉनिटर और रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर) के निर्माण के लिए आवश्यक पुर्जे और घटक
102.	569	निर्दिष्ट सामान जैसे ओस्टोमी उत्पाद, इसके सामान और आवश्यक पुर्जे ऐसे चिकित्सा उपकरण के निर्माण के हिस्से
103.	570	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण, उपकरण और उपकरण जिसमें स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण शामिल हैं
104.	575	निर्दिष्ट अस्पतालों में उपयोग के लिए निर्दिष्ट अस्पताल उपकरण (उपभोग सामग्रियों को छोड़कर)
105.	577	जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, सहायक उपकरण या स्प्रेयर पार्ट्स या दोनों सहित जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण व्यक्तिगत उपयोग के लिए
106.	578क	कॉक्लियर इम्प्लांट्स के निर्माण के लिए कच्चा माल, पार्ट्स और सहायक उपकरण
107.	579	सर्वेक्षण (डीजीपीएस) उपकरण, खनिजों के सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण के लिए 3डी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कम एक्यूपमेंट
108.	580	एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली और उसके पुर्जे
109.	581	पोर्टेबल एक्स-रे मशीन / सिस्टम
110.	583	ब्रेल घड़ियों के निर्माण के लिए ब्रेल घड़ियों के पुर्जे और मामले
111.	593	वीडियो गेम के निर्माण के लिए वीडियो गेम के हिस्से
112.	607	स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या ड्यूकेन मस्कुलर डिस्टॉफी के लिए दवा सहित निर्दिष्ट जीवन रक्षक दवाएं/दवा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए
113.	607क	व्यक्तिगत उपयोग के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुफ्त में प्रदान की गयी जीवनरक्षक दवाएं/दवाएं
114.	611	एसआई या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित संग्रहालय में सार्वजनिक लाभ के लिए पुरातात्विक नमूने, तस्वीरें, प्लास्टर कास्ट या पुरावशेष की प्रदर्शनी के लिए

क्र.सं.	अधिसूचना की क्र.सं.	विवरण
115.	612	खेल के सामान के लिए निर्दिष्ट कच्चा माल

नोट : प्रविष्टियों का विवरण सांकेतिक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है।

(ख). अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क के निम्नलिखित क्रमांक के तहत कवर किए गए सामानों के लिए बीसीडी छूट को पांच साल की अवधि के लिए यानी **31 मार्च, 2028 तक बढ़ाया जा रहा है**।

क्र.सं.	अधिसूचना की क्र.सं.	विषय
1.	609	मृत व्यक्ति के उपयोग किये हुए व्यक्तिगत और घर गृहस्थी के सामान

(ख) अन्य अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित छूट की समीक्षा:

क. निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत आने वाले सामानों के लिए बीसीडी छूट को एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाया जा रहा है।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	विषय
1	16-सीमा शुल्क दिनांक 23.1.65	भारत सरकार के शो-रूम में प्रदर्शन के लिए विदेशों को निर्यात किए गए सामानों पर छूट
2.	80/1970-सीमा शुल्क	दोषपूर्ण वस्तुओं के प्रतिस्थापन के रूप में वारंटी के तहत मुफ्त में आपूर्ति की गई वस्तुओं पर छूट
3.	46-सीमा शुल्क (1974)	शैक्षिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सामग्री
4.	248/76-सीमा शुल्क	'अनुमोदन या वापसी' के आधार पर डाक द्वारा आयातित कीमती पत्थरों पर छूट
5.	207/89-सीमा शुल्क	विदेशियों द्वारा आयातित खाद्य पदार्थों और प्रावधानों को छूट
6.	134/94-सीमा शुल्क	मरम्मत, परीक्षण अंशांकन या रखरखाव करने के लिए माल की छूट
7.	147/94-सीमा शुल्क	प्रसिद्ध शॉट द्वारा आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद पर छूट
8.	148/94-सीमा शुल्क	धर्मार्थ ट्रस्ट, रेड क्रॉस, केयर और भारत सरकार द्वारा आयातित निर्दिष्ट मुफ्त उपहार, दान, राहत और पुनर्वास सामग्री के लिए छूट
9.	151/94-सीमा शुल्क	इंडियन एयरलाइंस, यूनाइटेड अरब एयरलाइंस, भारतीय वायु सेना द्वारा विमान उपकरण, टैंक, ईंधन और चिकनाई वाले तेल पर छूट

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	विषय
10.	152/94-सीमा शुल्क	विकलांग व्यक्तियों, धर्मार्थ या सामाजिक कल्याण उद्देश्यों और अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रम के लिए आयात में छूट
11.	153/94-सीमा शुल्क	मरम्मत और वापसी के लिए आयातित विदेशी मूल के सामानों को छूट
12.	39/96-सीमा शुल्क	रक्षा , आंतरिक सुरक्षा बलों और वायु सेना से संबंधित आयात
13.	50/96-सीमा शुल्क	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए आयातित निर्दिष्ट उपकरणों, उपकरणों, कच्चे माल आदि को छूट
14.	51/96-सीमा शुल्क	सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों, सरकार द्वारा अनुसंधान उपकरणों, विभाग, प्रयोगशाला, आईआईटी आदि को छूट
15.	25/98-सीमा शुल्क	अध्याय 70,84,85 या 90 के माल के लिए शुल्क की प्रभावी दर
16.	97/99-सीमा शुल्क	आरबीआई की गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत गोल्ड बार को छूट
17.	113/2003-सीमा शुल्क	एसईजेड में इकाई द्वारा स्वदेशी संयंत्र और मशीनरी पर स्वदेशी अरंडी के बीज से निर्मित कैस्टर ऑयल खली और अरंडी डी-ऑयल केक को छूट और डीटीए में लाया गया
18.	30/2004-सीमा शुल्क	स्कूलों, धर्मार्थ संस्थानों द्वारा दान के रूप में प्राप्त पुराने कंप्यूटरों/सामानों को छूट
19.	45/2005-सीमा शुल्क	एसईजेड से निकासी किए गए और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाए गए माल पर सीमा शुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट
20.	81/2005-सीमा शुल्क	गैर-पारंपरिक बिजली उत्पादन संयंत्रों की प्रारंभिक स्थापना के लिए मशीनरी/घटकों को छूट
21.	102/2007-सीमा शुल्क	आयातकों द्वारा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का भुगतान किए जाने पर बाद की बिक्री के लिए आयातित सभी सामानों को विशेष सीवीडी से छूट
22.	26/2011-सीमा शुल्क	सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आयातित कला के काम, संग्रहालय या आर्ट गैलरी में प्राचीन वस्तुओं को छूट
23.	23/2016-सीमा शुल्क	मानक विनिमय योजना के तहत आयातित विमान के पुर्जों के लिए प्रभावी दरें
24.	05/2017-सीमा शुल्क	ईंधन सेल आधारित स्थापित करने के लिए मशीनरी, घटकों को छूट बिजली उत्पादन संयंत्र
25.	16/2017-सीमा शुल्क	फार्मा कंपनियों के रोगी सहायता कार्यक्रम के तहत मरीजों को मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली निर्दिष्ट दवाओं और दवाओं को छूट
26.	29/2017-सीमा शुल्क	निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए नमूना, मॉडल, दीवार चित्रों और आरेखों के लिए छूट

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	विषय
27.	30/2017-सीमा शुल्क	मीडिया पर मुद्रित या रिकॉर्ड किए गए गेमिंग कंसोल में उपयोग के लिए चलचित्र, संगीत, गेमिंग सॉफ्टवेयर को छूट
28.	32/2017-सीमा शुल्क	100 साल से अधिक समय से भारतीय कलाकार, मूर्तिकार, प्राचीन वस्तुओं की पुस्तकों द्वारा विदेशों में बनाई गई कला कृतियों को छूट
29.	37/2017-सीमा शुल्क	रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बलों से संबंधित आयात
30.	49/2017-सीमा शुल्क	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के निर्दिष्ट माल पर विशेष अतिरिक्त शुल्क में छूट
31.	52/2017-सीमा शुल्क	अध्याय 27 के तहत माल के लिए अतिरिक्त शुल्क की प्रभावी दर

(ख). निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत आने वाले सामानों के लिए बीसीडी छूट को पांच साल की अवधि के लिए यानी 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाया जा रहा है।

1	41 / 2017 – सीमाशुल्क	भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/विश्व कप में विजेता टीमों को प्रदान किए जाने वाले कपों, ट्रॉफियों के आयात पर छूट
2	33/2017 – सीमाशुल्क	रक्षा बल या उसके सदस्यों की एक इकाई द्वारा जीते गए चैलेंज कप और ट्रॉफियों के आयात पर पुनः आयात छूट
3	146/94 - सीमाशुल्क	राष्ट्रीय खेल संघ या प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट प्रतिष्ठा वाले खिलाड़ी द्वारा आयातित निर्दिष्ट खेल सामग्री के आयात पर छूट
4	90/2009-सीमा शुल्क	भारतीय अंटार्कटिक अभियान या भारतीय ध्रुवीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त या उससे संबंधित वस्तुओं के अंटार्कटिका से आयात पर छूट

VI. अन्य अधिसूचना परिवर्तन

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	विषय
1.	अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30.04.2022	भारत-यूई सीईपीए टैरिफ अधिसूचना को आधारभूत सीमा शुल्क शुल्क दर संरचना के युक्तिकरण के परिणामी परिवर्तन के रूप में संशोधित किया जा रहा है।
2.	अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमा शुल्क,	सोने पर आयात शुल्क संरचना में परिवर्तन और चांदी की शुल्क दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप आभूषण निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित इस अधिसूचना में संशोधन किया जा रहा है।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	विषय
	दिनांक 08.05.2000	
3.	अधिसूचना संख्या 146/94-सीमा शुल्क, दिनांक 13.07.1994	मौजूदा छूट अधिसूचना सं. 146/94-सीमा शुल्क, दिनांक 13.07.1994 का लाभ 02.02.2023 से 'वार्म ब्लड घोडा' के आयात के लिए बढ़ाया जा रहा है जब प्रशिक्षण के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ी द्वारा आयात किया जाता है।

VII. सीमा शुल्क छूट/रियायतें बंद की जा रही हैं

अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.6.2017 और अन्य अधिसूचना के तहत कुछ बीसीडी छूट 31.03.2023 से बंद की जा रही हैं

निम्नलिखित का लोप किया जा रहा है :

क्र.सं.	अधिसूचना की क्र.सं	विवरण
1.	50/2017-सीमा शुल्क का क्रमांक 16	'मानव भ्रूण' से संबंधित इस छूट प्रविष्टि को वापस लिया जा रहा है क्योंकि यह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार मानव भ्रूण के आयात पर प्रतिबंध के कारण निरर्थक है। [अधिसूचना संख्या] डीजीएफटी का 22/ 20-2015 दिनांक 20 जुलाई, 2022 संदर्भित]
2.	50/2017-सीमा शुल्क का क्रमांक 325	'मोनोफिलामेंट यार्न' से संबंधित यह छूट प्रविष्टि वापस ली जा रही है क्योंकि टैरिफ दर भी 5% है और इसलिए अनावश्यक है
3.	48/2017-सीमा शुल्क	इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन के विमानों द्वारा विदेशी उड़ानों से दोबारा आयात किए जाने पर केटरिंग केबिन उपकरण, खाने-पीने की चीजों पर छूट वापस ली जा रही है।

VIII. समाज कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) की उगाही

(क)	अधिसूचना संख्या 11/2018 - सीमा शुल्क, दिनांक 02.02.2018 में संशोधन (02.02.2023 से प्रभावी)
क्र.सं.	विवरण
(I)	आधारभूत सीमा शुल्क दर संरचना के युक्तिकरण के कारण कुल प्रभावी शुल्क को बनाए रखने के लिए समाज कल्याण के कारण निम्नलिखित वस्तुओं को उगाही से छूट दी जा रही है:
1.	सिल्वर (एचएसएन 7106), गोल्ड (एचएसएन 7108) और इमीटेशन आभूषण (एचएसएन 7117)।

2.	भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785(ई), दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित संलग्न सारणी के क्रम संख्या 415(ए) और 415ए के अंतर्गत आने वाले रोडियम और अन्य सामान के अलावा प्लेटिनम (एचएसएन 7110) ।
3.	एचएसएन 7113 के तहत आने वाले सभी सामान, अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. संख्या 785(ई), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित तालिका के क्रम संख्या 356, 357 और 364सी के तहत आने वाले सामानों के अलावा ।
4.	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. संख्या 785(ई), दिनांक 30 जून, 2017 की तालिका के क्रम संख्या 356 और 357 के तहत आने वाले सामानों के अलावा, एचएसएन 7114 के तहत आने वाले सभी सामान, भारत के राजपत्र के तहत प्रकाशित हुए हैं।
5.	साइकिलें (एचएसएन 8712 00 10)
6.	भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017, संख्या जीएसआर 785 (ई) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत तालिका के क्रम संख्या 526 (1)(बी), 526 (2)(बी), 526ए(1)(बी) और 526ए(2)(बी) के तहत कवर किए गए एचएसएन 8703 के तहत आने वाले बिजली से चलने वाले वाहनों सहित मोटर वाहन।
7.	भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. संख्या 785(ई) दिनांक 30 जून, 2017 की तालिका के क्रम संख्या 543 क के तहत कवर किए गए हवाई जहाज और अन्य विमान हैं ।
8.	अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017 के साथ संलग्न तालिका की क्रम संख्या 591 के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा खिलौने और खिलौनों के पुर्जे (एचएसएन 9503)
(ख)	एसडब्ल्यूएस से संबंधित अधिसूचना को रद्द करना आधारभूत सीमा शुल्क दर संरचना युक्तिकरण के कारण अनावश्यक होने के कारण इन अधिसूचनाओं को रद्द किया जा रहा है:
1	भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, अधिसूचना सं. 13/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, संख्या सा.का.नि. 71(ई), दिनांक 1 फरवरी, 2021
2	भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, संख्या 34/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, सा.का.नि. संख्या 487(ई), दिनांक 30 जून, 2022

IX. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) लगाना

अधिसूचना संख्या 11/2021 - सीमा शुल्क, दिनांक 01.02.2021 को निम्नलिखित सामानों पर एआईडीसी दरों को संशोधित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है (02.02.2023 से प्रभावी) :

क.	एआईडीसी दर में बदलाव (सीमा शुल्क की प्रभावी दर में बदलाव के साथ)	शुल्क की दर
----	---	-------------

क्र.सं	अध्याय, शीर्षक, उप- शीर्षक, टैरिफ मद	माल	से	तक
1.	7106 या 98	रजत	2.5%	5%
2.	71	रजत डोर	2.5%	4.35%
ख.	एआईडीसी में बदलाव (सीमा शुल्क की प्रभावी दर में कोई बदलाव किए बिना)		शुल्क की दर	
क्र.सं	अध्याय, शीर्षक, उप- शीर्षक, टैरिफ मद	माल	से	तक
1.	2701, 2702, 2703	कोयला, पीट, लिग्नाइट	1.5%	शून्य
2.	40113000	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क की प्रविष्टि 280 ए में उल्लिखित विमान पर इस्तेमाल होने वाले प्रकार के रबर के नए न्यूमेटिक टायर	शून्य	0.5%
3.	7108 या 98	सोना	2.5%	5%
4.	71	गोल्ड डोर	2.5%	4.35%
5.	71	अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, तालिका के क्रमांक 415(क) और 415क के अंतर्गत आने वाले रोडियाम और सामानों के अलावा प्लेटिनम	1.5%	5.4%
6.	8802 20 00 8802 30 00 8802 40 00	अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क के अंतर्गत आने वाले हवाई जहाज और अन्य विमान	शून्य	0.5%

उत्पाद शुल्क

नोट: (क) "आधारभूत उत्पाद शुल्क" का मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में निर्धारित उत्पाद शुल्क है।

(ख) "एनसीसीडी" का अर्थ वित्त अधिनियम, 2001 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर निर्दिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया गया है।

(ग) वर्ग कोष्ठक में खंड संख्या [] वित्त विधेयक, 2023 के प्रासंगिक खंड को इंगित करता है।

(घ) वित्त विधेयक, 2023 के माध्यम से किए गए संशोधन इसके अधिनियमित होने की तारीख से प्रभावी होते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

I. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में संशोधन

एचएस 2402 के तहत सिगरेट पर एनसीसीडी दरों में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची को 02.02.2023* से संशोधित किया जा रहा है: [खंड 153, वित्त विधेयक, 2023 की छठी अनुसूची के साथ पढ़ें।]

टैरिफ मद	विवरण	यूनिट	एनसीसीडी दरें (रुपये प्रति हजार में)	
			से	तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2402 20 10	फिल्टर सिगरेट के अलावा, जिसकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक नहीं है	हजार की संख्या में	200	230
2402 20 20	फिल्टर सिगरेट के अलावा, लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से अधिक नहीं	हजार की संख्या में	250	290
2402 20 30	लंबाई की सिगरेट को फ़िल्टर करें (फ़िल्टर की लंबाई सहित, फ़िल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो) 65 मिलीमीटर से अधिक नहीं	हजार की संख्या में	440	510
2402 20 40	मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से अधिक लंबाई की सिगरेट को फ़िल्टर करें (फ़िल्टर की लंबाई सहित, फ़िल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो)	हजार की संख्या में	440	510
2402 20 50	मिलीमीटर से अधिक लेकिन 75 मिलीमीटर से अधिक लंबाई की सिगरेट को फ़िल्टर करें (फ़िल्टर की लंबाई सहित, फ़िल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो)	हजार की संख्या में	545	630
2402 20 90	अन्य	हजार की संख्या में	735	850
2402 90 10	तंबाकू के विकल्प वाली सिगरेट	हजार की संख्या में	600	690

* अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1931 के अनन्तिम संग्रह के तहत एक घोषणा के माध्यम से तुरंत प्रभावी होगा।

II. अधिसूचना संख्या 05/2023-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 01.02.2023 दिनांक 2 फरवरी, 2023 से प्रभावी

संशोधन

अधिसूचना संख्या 05/2023-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 01.02.2023 को मिश्रित सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) पर उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जो बायोगैस/संपीड़ित बायो गैस पर भुगतान किए गए जीएसटी के बराबर है, जो ऐसे मिश्रित सीएनजी में निहित है।

माल एवं सेवा कर

- नोट: (क) सीजीएसटी अधिनियम का अर्थ केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है
- (ख) आईजीएसटी अधिनियम का अर्थ है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
- (ग) वित्त विधेयक, 2023 के माध्यम से किए गए संशोधन इसके अधिनियमित होने की तिथि से प्रभावी होते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

खंड 142 को छोड़कर वित्त विधेयक, 2023 में किए गए संशोधन उस तारीख से प्रभावी होंगे, जब उन्हें राज्यों और संघ द्वारा पारित समान अधिनियमों में संबंधित संशोधनों के साथ, जहां तक संभव हो, समवर्ती रूप से अधिसूचित किया जाएगा। विधायिका वाले क्षेत्र। वित्त विधेयक, 2023 की खंड 142 में किए गए संशोधन 1 जुलाई, 2017 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे।

I. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्र.सं.	संशोधन	वित्त का खंड विधेयक, 2023
1.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 में उप-धारा (2) के खंड (घ) और उप-धारा (2क) के खंड (ग) को संशोधित किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माल की आपूर्ति में लगे पंजीकृत व्यक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जा सके। कंपोजिशन लेवी के तहत टैक्स चुकाने का विकल्प चुनने से वाणिज्य संचालक।	[128]
2.	दूसरे और तीसरे प्रावधानों को उक्त उप-धारा को उक्त अधिनियम में प्रदान की गई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।	[129]
3.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) की व्याख्या को संशोधित किया जा रहा है ताकि उक्त अधिनियम की अनुसूची III के पैरा 8 (क) में निर्दिष्ट कुछ लेनदेन के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रतिबंधित किया जा सके। छूट प्राप्त आपूर्ति के मूल्य में ऐसे लेनदेन के मूल्य को शामिल करके निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, उक्त धारा की उप-धारा (5) को भी संशोधित किया जा रहा है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उन वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा जो एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जिनका उपयोग या उपयोग करने का इरादा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उसके दायित्वों से संबंधित गतिविधियाँ।	[130]

4.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) को 01 जुलाई, 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है, ताकि उक्त के संदर्भ में अनिवार्य पंजीकरण के लिए उक्त व्यक्तियों को अधिभावी प्रभाव प्रदान किया जा सके। उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) और धारा 23 की उप धारा (1) के तहत छूट मिलने पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।	[131]
5.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 37 में एक नई उप-धारा (5) शामिल की जा रही है ताकि एक समय सीमा प्रदान की जा सके जिसके लिए उक्त धारा की उप-धारा (1) के तहत कर अवधि के लिए बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत किया जा सके। एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा। इसके अलावा, यह एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए, कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन उक्त समय सीमा के विस्तार के लिए एक सक्षम प्रावधान प्रदान करना चाहता है।	[132]
6.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 39 में एक नई उप-धारा (11) शामिल की जा रही है ताकि एक समय सीमा प्रदान की जा सके जिस तक कर अवधि के लिए रिटर्न एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा, यह एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए, कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन उक्त समय सीमा के विस्तार के लिए एक सक्षम प्रावधान प्रदान करना चाहता है।	[133]
7.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 में एक नई उप-धारा (2) शामिल की जा रही है ताकि एक समय सीमा प्रदान की जा सके जिस तक उक्त धारा के उप-धारा (1) के तहत एक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति। इसके अलावा, यह एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए, कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन उक्त समय सीमा के विस्तार के लिए एक सक्षम प्रावधान प्रदान करना चाहता है।	[134]
8.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 52 में एक नई उप-धारा (15) शामिल की जा रही है ताकि एक समय सीमा प्रदान की जा सके जिसके लिए उक्त धारा के उप-धारा (4) के तहत एक महीने के लिए विवरण एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑपरेटर। इसके अलावा, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों के एक वर्ग के लिए कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन उक्त समय सीमा के विस्तार के लिए एक सक्षम प्रावधान प्रदान करना चाहता है।	[135]
9.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (6) में संशोधन किया जा रहा है ताकि अनंतिम रूप से स्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट के संदर्भ को हटाकर इसे उप-के अनुसार स्व-मूल्यांकन इनपुट टैक्स क्रेडिट की वर्तमान योजना के साथ संरेखित किया जा सके। उक्त अधिनियम की धारा 41 की धारा (1) ।	[136]

10.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 56 में संशोधन किया जा रहा है ताकि विलंबित रिफंड पर ब्याज की गणना के लिए देरी की अवधि की गणना के तरीके को निर्धारित करने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान किया जा सके।	[137]
11	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 में एक नई उप-धारा (1ख) शामिल की जा रही है ताकि अपंजीकृत व्यक्तियों या रचना करदाताओं द्वारा उनके माध्यम से की गई वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों पर लागू होने वाले दंडात्मक प्रावधानों को प्रदान किया जा सके। .	[138]
12.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) में संशोधन किया जा रहा है ताकि उक्त उप-धारा के खंड (छ) , (ज) और (ट) में निर्दिष्ट अपराधों को कम किया जा सके और अभियोजन शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा को बढ़ाया जा सके। उक्त अधिनियम के तहत एक सौ लाख रुपये से दो सौ लाख रुपये तक के अपराधों के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना चालान जारी करने से संबंधित अपराधों को छोड़कर।	[139]
13.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 138 की उप-धारा (1) के पहले प्रावधान को संशोधित किया जा रहा है ताकि खंड (क) की भाषा को सरल बनाया जा सके, खंड (ख) को हटाया जा सके और उक्त परंतुक के खंड (ग) को प्रतिस्थापित किया जा सके ताकि उक्त अधिनियम के तहत अपराधों के कंपाउंडिंग के विकल्प से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना चालान जारी करने से संबंधित अपराधों में शामिल व्यक्तियों को बाहर करने के लिए। यह आगे उप-धारा (2) में संशोधन करना चाहता है ताकि कंपाउंडिंग के लिए न्यूनतम और साथ ही अधिकतम राशि को कम करके विभिन्न अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए राशि को युक्तिसंगत बनाया जा सके।	[140]
14.	सीजीएसटी अधिनियम में एक नई धारा 158ए शामिल की जा रही है ताकि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उसके रिटर्न में या उसके पंजीकरण के आवेदन में या बाहरी आपूर्ति के विवरण में, या विवरण में दी गई जानकारी को साझा करने के तरीके और शर्तों को निर्धारित करने के लिए प्रदान किया जा सके। उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चालान या ई-वे बिल या किसी अन्य विवरण के निर्माण के लिए अपलोड किया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ सामान्य पोर्टल पर, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है।	[141]
15.	उक्त अनुसूची के पैरा 7, 8 (क) और 8 (ख) को पूर्वव्यापी प्रयोज्यता देने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची III में संशोधन किया जा रहा है , ताकि इसमें उल्लिखित गतिविधियों / लेनदेन का इलाज किया जा सके। उक्त पैराग्राफ न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जहां 01 जुलाई, 2017 से 31 जनवरी 2019 की अवधि के दौरान इस तरह के लेनदेन/गतिविधियों के संबंध में कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है , ऐसे भुगतान किए गए कर का कोई रिफंड उपलब्ध नहीं होगा।	[142]

II. आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन:

क्र.सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2023 का खंड
1.	<p>आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (16) में संशोधन किया जा रहा है ताकि "गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता" की परिभाषा को संशोधित किया जा सके, इसके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं (ओआईडीएआर) की प्राप्ति की शर्त को हटा दिया जाए। वाणिज्य, उद्योग या कोई अन्य व्यवसाय या पेशा ताकि गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त सेवाओं को प्राप्त करने वाले और कर योग्य क्षेत्र में स्थित किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई ओआईडीएआर सेवा की करदेयता प्रदान की जा सके। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 के खंड (vi) के संदर्भ में पंजीकृत व्यक्तियों को उक्त खंड के उद्देश्य के लिए अपंजीकृत व्यक्ति माना जाएगा।</p> <p>साथ ही, उक्त धारा के खंड (17) को "ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं" की परिभाषा को संशोधित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है ताकि उक्त आपूर्ति को अनिवार्य रूप से स्वचालित करने और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप को शामिल करने की शर्त को हटा दिया जा सके।</p>	[143]
2.	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (8) के प्रावधान को हटाया जा रहा है ताकि आपूर्ति के स्थान को निर्दिष्ट किया जा सके, माल के गंतव्य पर ध्यान दिए बिना, उन मामलों में जहां सेवाओं के आपूर्तिकर्ता और सेवाओं के प्राप्तकर्ता भारत में स्थित हैं।	[144]
